पत्र संख्या–11/आ० वि०–04/2025 सा0प्र0 3900
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 24.02.2026

विषय :– **राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन सहित अन्य बिन्दुओं के मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के प्रकाशन के संबंध में।**

प्रसंग :– **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–4400 दिनांक–11.03.2025**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन से संबंधित अंगीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) परिचारित किया गया है, जिसमें उत्पन्न संशय के निराकरण हेतु निम्नवत स्पष्टीकरण परिचारित किया जा रहा है–

उल्लेखनीय है कि विभागीय अधिसूचना संख्या–4319 दिनांक–02.03.2023 द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के आलोक में यह प्रावधान है कि–

चयनित खेल विधा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति असैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु (प्रोन्नति हेतु आरक्षित पदों को छोड़कर) उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल के 10 प्रतिशत के अंतर्गत होगी। सिपाही संवर्ग एवं पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु आगामी प्रत्येक रिक्त पदों में एक प्रतिशत पद खिलाड़ियों के लिए खेल कोटा के रूप में आरक्षित रहेगा। पुलिस उपाधीक्षक के लिये स्वीकृत बल का दस प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा।

अतएव उक्त नियमावली में वर्णित प्रावधानों से स्पष्ट है कि उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु (सिपाही संवर्ग, पुलिस अपर निरीक्षक संवर्ग एवं पुलिस उपाधीक्षक संवर्ग को छोड़कर) असैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु (प्रोन्नति हेतु आरक्षित पदों को छोड़कर) उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल के 10 प्रतिशत के अंतर्गत होगी" **अर्थात असैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु अलग से उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पद सुरक्षित नहीं रख कर उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई कर अधियाचना प्रेषित किया जाना अपेक्षित है, जबकि उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु उपलब्ध मूल कोटि के 10 प्रतिशत के अंतर्गत होने का सूचना मात्र अंकित किया जाना है।**

इसी प्रकार उक्त मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के पृष्ठ–22 के महत्वपूर्ण तथ्य अंतर्गत कंडिका–(xvi) में अधिसूचना संख्या–1468 दिनांक–25.04. 2007 {बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2007} के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस हेतु दिये गये विवरणी को विस्थापित करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–15200 दिनांक–14.08.2025 द्वारा बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2025 की कंडिका–5, में निर्धारित वाहन चालक के कुल स्वीकृत बल का 35 प्रतिशत पद वाहन चालक (साधारण कोटि), मूल कोटि स्तर के लिए निर्धारित की जायेगी।

परिपत्र की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

विश्वासभाजन,

23/02/26

(रजनीश कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-C/Mohit – HINDI LETTER

पत्र संख्या–11/आ० वि०–04/2025 सा0प्र0 4400

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 11·3·25

विषय :– **राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के संदर्भ में वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन सहित अन्य बिन्दुओं के मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) के प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत बिहार पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति/प्रोन्नति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किये जाने का उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व रोस्टर गठन की कार्रवाई की जाती है, ताकि सभी वर्गों की भागीदारी समान रूप से सुनिश्चित की जा सके।

अतः राज्याधीन सेवाओं में नियुक्ति/प्रोन्नति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु वर्तमान आरक्षण नीति के अनुरूप रोस्टर गठन से संबंधित अंगीकृत मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) को एतद् द्वारा परिचारित करते हुए अनुरोध है कि इसे अपने अधीनस्थ प्राधिकारों/कार्यालयों में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने स्तर से सुलभ कराने की कृपा की जाय।

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन,

11/03/25

(रजनीश कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

FILE PATH-C/Mohit – HINDI LETTER

रोस्टर गठन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

(S.O.P.)

सामान्य प्रशासन विभाग,

बिहार, पटना।

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ सं0
1	उद्देश्य	1
2	विस्तार क्षेत्र	2
3	आरक्षण का प्रावधान जहाँ लागू नहीं होगा	3
4	सीधी/नियमित नियुक्ति से संबंधित रोस्टर गठन की प्रक्रिया	4
5	बैकलॉग	5
6	बैकलॉग की गणना करने के क्रम में ध्यान देने योग्य तथ्य	6 – 7
7	कोटिवार अनुमान्यता की गणना	8
8	कोटिवार अनुमान्यता की गणना करने के क्रम में ध्यान देने योग्य तथ्य	9
9	प्रोन्नति/उच्चतर पद के प्रभार से संबंधित प्रक्रिया	10
10	महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण	11
11	दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण	12 – 13
12	स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतीनी/पोता/पोती के लिए क्षैतिज आरक्षण	14
13	100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर	15
14	महत्वपूर्ण तथ्य	16 – 22
15	बैकलॉग सहित रोस्टर क्लियरेंस का नमूना	23 – 25
16	बैकलॉग रहित रोस्टर क्लियरेंस का नमूना	26 – 28
17	रोस्टर क्लियरेंस से संबंधित सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)	29 – 43
18	महत्वपूर्ण अधिनियम/संकल्प/परिपत्र	44 – 153

उद्देश्य

कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत बिहार पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति/प्रोन्नति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किये जाने का उद्देश्य राज्य के सभी वर्गों का सम्यक् एवं सर्वांगीण विकास करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय–समय पर विभिन्न अधिनियमों, संकल्पों एवं परिपत्रों के माध्यम से दिशा–निदेश निर्गत किए गए हैं।

उपर्युक्त कोटियों में प्रावधानित आरक्षण उर्ध्वाधर आरक्षण है, जबकि राज्य के दिव्यांगजनों, स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतीनी/पोता/पोती एवं महिलाओं के लिए प्रावधानित आरक्षण क्षैतिज आरक्षण है।

विस्तार क्षेत्र

बिहार अधिनियम–3/1992 (मूल) की धारा–3(ग) की अन्य उप कंडिकाओं तथा 3(घ)(1) एवं (2) में आरक्षण अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें यह अंकित है कि यह अधिनियम उन क्षेत्रों में प्रभावी होगा, जहाँ राज्य के कार्य–कलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें सम्मिलित है–

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार।

(ii) बिहार सहकारी समिति, अधिनियम–1935 (बिहार अधिनियम–6/1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान, जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी लगायी गयी है और जो राज्य सरकार से ऋण अनुदान तथा साहाय्यिकी आदि के रूप में सहायक प्राप्त करता है।

(iii) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया या सहायता प्रदान करती है, और

(iv) सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान।

आरक्षण का प्रावधान जहाँ लागू नहीं होगा

राज्य में वैसे स्थापना अथवा पद है, जहाँ आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं है यथा–

(i) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन;

(ii) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन;

(iii) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन;

(iv) वैसे पद जो स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हों;

(v) वैसे पद जो किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति से रिक्त होता हो;

(vi) 45 से कम दिनों के लिए अस्थायी नियुक्तियाँ;

(vii) सेवारत सरकारी सेवक के मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर की गयी नियुक्ति और

(viii) ऐसे पद जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट करें।

सीधी/नियमित नियुक्ति से संबंधित रोस्टर गठन हेतु प्रक्रिया

रोस्टर गठन के क्रम में वांछित सूचनाएँ–

(i) विभाग का नाम–

(ii) पद का नाम–

(iii) विवेचित पद का कुल स्वीकृत बल–

(सीधी भर्ती हेतु कुल स्वीकृत बल)

(iv) कोटिवार कार्यरत बल (अधियाचित पद सहित)–.......... गैर आरक्षित वर्ग (U.R.)–.......,

अनुसूचित जाति (S.C.)–..., अनुसूचित जनजाति (S.T.)–.......,

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (E.B.C.)–..., पिछड़ा वर्ग (B.C.)–........,

पिछड़े वर्गों की महिलायें (W.B.C.)–.........., आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.)–..........

(v) रिक्ति– ....

(vi) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु–.........

नोट– (i) प्रोन्नति/उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटा/अनुकम्पा एवं अन्य पदों हेतु सुरक्षित/आरक्षित रखे जाने वाले पदों का नियमानुसार उल्लेख करते हुए सीधी भर्ती हेतु कुल स्वीकृत बल अंकित किया जाना अपेक्षित है।

(ii) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु निर्धारित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–9432, दिनांक–14.06.2024 एवं परिपत्र संख्या–14396 दिनांक–10.09.2024 के आलोक में रोस्टर पंजी का संधारण अनिवार्य है।

बैकलॉग

प्रस्तुत समव्यवहार में यदि गैर आरिक्षत वर्ग (U.R. + E.W.S.) के कार्यरत कर्मियों की संख्या, आरक्षित वर्ग (S.C.+S.T.+B.C.+E.B.C.+W.B.C.) के कार्यरत कर्मियों की संख्या से अधिक हो, तो उसी स्थिति में ही बैकलॉग की गणना की जानी है, जिसे निम्नवत उदाहरण से ग्रहण किया जा सकता है–

(i) कुल स्वीकृत बल– 7
(ii) कोटिवार कार्यरत बल– 4 (गैर आरक्षित वर्ग–2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–1 एवं पिछड़ा वर्ग–1)
(iii) शुद्ध रिक्ति– 7 – 4 = 3

चूँकि गैर आरक्षित वर्ग (UR + EWS)–3 के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग–1 के कार्यरत कर्मियों की संख्या से 2 अधिक है, अतएव ऐसी स्थिति में बैकलॉग की स्थिति निम्नवत देय होगी :–

(iv) बैकलॉग पदों की संख्या– {(UR + EWS) - Reserved} {(2 + 1) – 1} = 2

बैकलॉग की गणना

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	बैकलॉग (कॉलम 2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	3 X 2 X 16% = 0.96 = 1	0	1
अनुसूचित जनजाति	3 X 2 X 1% = 0.06 = 0	0	0
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	3 X 2 X 18% = 1.08 = 1	0	1
पिछड़ा वर्ग	3 X 2 X 12% = 0.72 = 1	1	0
पिछड़े वर्गों की महिलायें	3 X 2 X 3% = 0.18 = 0	0	0
कुल	3	1	2

बैकलॉग की गणना करने के क्रम में ध्यान देने योग्य तथ्य

i. बैकलॉग पदों की संख्या, गैर आरक्षित वर्ग (EWS सहित) एवं आरक्षित वर्ग के अंतर्गत कार्यरत बल के अंतर के बराबर होना अपेक्षित है।

ii. बैकलॉग की अनुमान्यता की गणना के क्रम में अनुमान्यता के कॉलम में आरक्षित वर्ग हेतु कुल प्राप्त पदों की संख्या गैर आरक्षित वर्ग (U.R. + E.W.S.) के समतुल्य होना अपेक्षित है।

iii. बैकलॉग पदों की संख्या, गैर आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित वर्ग के अंतर्गत कार्यरत बल के अंतर से कम अथवा अधिक होने की स्थिति में सामंजित किया जाना अपेक्षित है, जिसे ऐकिक नियम के अनुसार निम्नवत उदाहरण से सामंजित किया जा सकता है–

$$\frac{\text{अनुमान्यतानुसार कोटिवार बैकलॉग रिक्ति}}{\text{अनुमान्यतानुसार कुल बैकलॉग रिक्ति}} \times \text{शुद्ध बैकलॉग रिक्ति (Net Backlog Vacancy)}$$

(i) कुल स्वीकृत बल– 116

(ii) कोटिवार कार्यरत बल– 54 (गैर आरक्षित वर्ग–32, अनुसूचित जाति–3, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–6, पिछड़ा वर्ग–13)

(iii) शुद्ध रिक्ति– 116–54 = 62

(iv) बैकलॉग पदों की संख्या (Net Backlog Vacancy)– **{(UR + EWS) - Reserved}** {(32 + 0) – 22} = 10

(iv) चूँकि कार्यरत बल में आरक्षित वर्ग के कर्मियों की संख्या (22), गैर आरक्षित वर्ग (32) के कर्मियों से कम है। अतएव ऐसी स्थिति में समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति बनती है।

बैकलॉग की गणना

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	अनुमान्यतानुसार कोटिवार बैकलॉग रिक्ति (कॉलम 2–3)	सामंजित बैकलॉग
1	**2**	**3**	**4**	**5**
अनुसूचित जाति	32 x 2 x 16% = 10.24 = 10	3	**7**	5*
अनुसूचित जनजाति	32 x 2 x 1% = 0.64 = 1	0	1	1
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	32 x 2 x 18% = 11.52 = 11	6	5	3
पिछड़ा वर्ग	32 x 2 x 12% = 7.68 = 8	13	–5 (Excess)	0
पिछड़े वर्गों की महिलायें	32 x 2 x 3% = 1.92 = 2	0	2	1
कुल	**32**	**22**	कुल बैकलॉग रिक्ति– **15**	शुद्ध बैकलॉग रिक्ति– **10**

अनुसूचित जाति हेतु सामंजित बैकलॉग की गणना *$\{\frac{7}{15}$ X10 = 4.66 = 5$\}$

iv. प्रस्तुत समव्यवहार में यदि गैर आरक्षित वर्ग (U.R. + E.W.S.) के कार्यरत बल की दोगुनी गणना के फलस्वरूप इसके कुल स्वीकृत बल से अधिक होने की स्थिति में कुल कार्यरत बल के आधार पर सामान्य अनुमान्यता के अनुरूप हीं बैकलॉग की गणना की जाएगी।

v. यदि कुल कार्यरत बल विषम संख्या में हो तथा गैर आरिक्षत वर्ग (U.R. + E.W.S.) के कार्यरत कर्मियों की संख्या, आरक्षित वर्ग (S.C.+S.T.+B.C.+ E.B.C.+W.B.C.) के कार्यरत कर्मियों की संख्या से मात्र एक अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में बैकलॉग की गणना नहीं की जानी है।

कोटिवार अनुमान्यता की गणना

निम्नवत उदाहरण के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है–

(i) कुल स्वीकृत बल– 134

(ii) कोटिवार कार्यरत बल– 32 (गैर आरक्षित वर्ग–15, अनुसूचित जाति–4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–6, पिछड़ा वर्ग–7)

(iii) रिक्ति– 134 – 32 = 102

चूँकि गैर आरक्षित वर्ग (15) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (17) के कार्यरत कर्मियों से कम है, अतएव ऐसी स्थिति में बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है।

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	रिक्ति कॉलम (2–3)
1	**2**	**3**	**4**
अनुसूचित जाति	134 x 16% = 21.44 = 22	4	18
अनुसूचित जनजाति	134 x 1% = 1.34 = 1	0	1
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	134 x 18% = 24.12 = 24	6	18
पिछड़ा वर्ग	134 x 12% = 16.08 = 16	7	9
पिछड़े वर्गों की महिलायें	134 x 3% = 4.02 = 4	0	4
	67	**17**	**50**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गैर आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य पद :– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुमान्य रिक्ति की गणना चालू रिक्ति के आधार पर की जाती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	चालू रिक्ति का 10% = 102 x 10% = 10.2	**10**
गैर आरक्षित वर्ग	शुद्ध रिक्ति – (आर्थिक रूप सें कमजोर वर्ग + आरक्षित वर्ग को अनुमान्य पद) = 102 – (10 + 50) = 42	**42**

नोट– बिहार अधिनियम–11/1993 के अनुसार पिछड़े वर्गों की महिलाओं से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाएं।

कोटिवार अनुमान्यता की गणना करने के क्रम में ध्यान देने योग्य तथ्य–

i. कोटिवार अनुमान्यता की गणना के क्रम में अनुमान्यता कॉलम में आरक्षित वर्गों को कुल प्राप्त पदों की संख्या कुल स्वीकृत बल का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

ii. कुल स्वीकृत बल की संख्या विषम होने की स्थिति में गैर आरक्षित वर्ग की अनुमान्यता आरक्षित वर्ग की अनुमान्यता से सामान्यतया एक अधिक होना अपेक्षित है।

iii. बैकलॉग की स्थिति में आरक्षित वर्ग के किसी कोटि में पूर्व से अतिरिक्त (Excess) बल कार्यरत रहने की स्थिति में अतिरिक्त कार्यरत बल को बैकलॉग के रूप में शून्य मानते हुए उसे बैकलाग के रूप में कोई पद उपलब्ध नहीं कराते हुए नियमानुसार सामंजित करते हुए आरक्षित वर्ग के अन्य कोटियों की बैकलॉग की गणना की जाएगी।

iv. इसी प्रकार आरक्षित वर्ग के किसी कोटि में पूर्व से अतिरिक्त (Excess) बल कार्यरत रहने की स्थिति में अतिरिक्त कार्यरत बल को वर्तमान चालू रिक्ति में आरक्षित वर्ग के अन्य कोटि की रिक्तियों के साथ समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात इसे गैर आरक्षित कोटि में समायोजित किया जाएगा।

v. कोटिवार अनुमान्यता की गणना के क्रम में प्राप्त पदों की संख्या रिक्ति/शुद्ध रिक्ति से कम अथवा अधिक होने की स्थिति में सामंजित किया जाना अपेक्षित है, जिसे पूर्व में दिए गए उदाहरण के अनुरूप ऐकिक नियम के अनुसार निम्नवत सामंजित किया जा सकता है–

$$\frac{\text{कोटिवार रिक्ति}}{\text{कुल रिक्ति}} \times \text{शुद्ध रिक्ति}$$

प्रोन्नति / उच्चतर पद के प्रभार से संबंधित प्रक्रिया

रोस्टर गठन के क्रम में वांछित सूचनाएँ–

विभाग का नाम–

प्रोन्नति हेतु पद का नाम–

प्रोन्नति हेतु विवेचित पद का कुल स्वीकृत बल–

कोटिवार कार्यरत बल–.............. (अनुसूचित जाति–..., अनुसूचित जनजाति–.......)

रिक्ति– ....

नोटः–

रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई बिहार अधिनियम–17 / 2002 के आलोक में की जानी है।

राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन रहने की अवधि में कार्यहित एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश के फलाफल के अधीन राज्य सरकार के योग्य कर्मचारियों / पदाधिकारियों को प्रोन्नति के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–19300 दिनांक–13.10.2023 द्वारा अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत मूल कोटि की वरीयता के आधार पर उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार (वेतनमान सहित) देने का निर्णय लिया गया है।

महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण

राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में सुधार एवं इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–963 दिनांक–20.01.2016 द्वारा किया गया है एवं इसे लागू करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–2342 दिनांक–15.02. 2016 द्वारा विहित प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए क्षैतिज आरक्षण

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में विकलांगों (आज की तिथि में दिव्यांग) को तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या–62 दिनांक–05.01.2007 के द्वारा 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह 03 प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगता के 03 प्रवर्गों यथा– (i) दृष्टि निःशक्तता, (ii) मूकबधिर निःशक्तता एवं (iii) चलन निःशक्तता प्रत्येक के लिए 01 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में भी किया गया।

कालांतर में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रवृत्त होने के पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–13062 दिनांक–12.10.2017 द्वारा दिव्यांगजनों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया गया है। इस संकल्प के माध्यम से दिव्यांगता के उपर्युक्त तीनों प्रवर्गों के अतिरिक्त एक अन्य प्रवर्ग मनोविकार दिव्यांगता जोड़ा गया एवं प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 01–01 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य किया गया, जबकि राज्य के सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगजनों के लिए 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान संकल्प संख्या–7162 दिनांक–31.05.2018 द्वारा अनुमान्य कराया गया है।

पुनः दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का प्रावधान केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के समरूप करने के उद्देश्य से सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 द्वारा पूर्व के संकल्प को संशोधित करते हुए

कतिपय संशोधनों के साथ दिव्यांगता के चतुर्थ प्रवर्ग यथा–मनोविकार एवं बहुदिव्यांगता के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया।

विभागीय संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रावधानित आदर्श रोस्टर के आलोक में उक्त दिव्यांगों को निम्नांकित श्रृंखला के अन्तर्गत आरक्षण देय होगा –

<table>
<tr><td>(क)</td><td>अंध और निम्न दृष्टि;
(blindness and low vision)</td><td>रोस्टर बिन्दु– 01 से 25 तक = 01 पद।</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास;
(deaf and hard of hearing)</td><td>रोस्टर बिन्दु– 26 से 50 तक = 01 पद।</td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>चलंत दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण भी है;
(locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy)</td><td>रोस्टर बिन्दु–51 से 75 तक = 01 पद।</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता
(autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness)</td><td rowspan="2">रोस्टर बिन्दु–76 से 100 तक = 01 पद।</td></tr>
<tr><td>(ड.)</td><td>प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों में से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी हैं
(multiple disabilities from amongst persons under clauses (*a*) to (*d*) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities)</td></tr>
</table>

यदि किसी समव्यवहार में रोस्टर बिन्दु–13 तक व्यवहृत हो रहा हो तथा उसके विरूद्ध आरक्षण के आधार पर अंध और निम्न दृष्टि से ग्रसित एक उम्मीदवार चयनित हो जाता है, तो अगले रोस्टर बिन्दु–25 तक किसी अन्य अंध और निम्न दृष्टि उम्मीदवार हेतु आरक्षण देय नहीं होगा। इसी क्रम में रोस्टर बिन्दु–38, 63 एवं 88 तक क्रमशः शेष प्रवर्ग यथा–(ख), (ग), (घ) एवं (ड़) के उम्मीदवार चयनित हो जाते हैं, तो क्रमशः रोस्टर बिन्दु–50, 75 एवं 100 तक अन्य दिव्यांग उम्मीदवार हेतु आरक्षण देय नहीं होगा।

नोटः– दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार के परिपत्र संख्या–138 दिनांक– 23.01.2025 के आलोक में "**मानसिक दिव्यांगता**" के स्थान पर "**बौद्धिक दिव्यांगता**" तथा "**मूक और बधिर**" के स्थान पर "**श्रवण बाधित**" शब्दों का प्रयोग किया जाना अपेक्षित है।

स्वतंतत्रा सेनानी के नाती / नतीनी / पोता / पोती के लिए क्षैतिज आरक्षण

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–13185 दिनांक–03.09.2015 द्वारा बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता / पोती / नाती / नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

विभागीय परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 में निहित प्रावधानों के आलोक में यदि कोई समव्यवहार रोस्टर बिन्दु–100 तक व्यवहृत हो रहा हो, तो उपलब्धता के अनुसार रोस्टर बिन्दु–1 से 50 के बीच 1 (एक) एवं रोस्टर बिन्दु–51 से 100 के बीच 1 (एक) अर्थात कुल 2 (दो) पद स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी का चयन क्षैतिज आरक्षण के तहत कर लिया जायेगा।

100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 द्वारा 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर परिचारित किया गया, जिसमें 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए रोस्टर बिन्दु भी निर्धारित की गयी थी। कालांतर में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–14396 दिनांक–10.09.2024 द्वारा संशोधित रोस्टर बिन्दु परिचारित किया गया है, जो निम्नवत है–

1. अनारक्षित	26. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	51. अनारक्षित	76. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	27. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**	52. **पिछड़े वर्गों की महिलायें**	77. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
3. अनारक्षित	28. अनुसूचित जाति	53. अनारक्षित	78. अनुसूचित जाति
4. अनुसूचित जाति	29. अनारक्षित	54. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	79. अनारक्षित
5. अनारक्षित	30. पिछड़ा वर्ग	55. अनारक्षित	80. पिछड़ा वर्ग
6. पिछड़ा वर्ग	31. अनारक्षित	56. अनुसूचित जाति	81. अनारक्षित
7. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**	32. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	57. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**	82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
8. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	33. अनारक्षित	58. पिछड़ा वर्ग	83. अनारक्षित
9. अनारक्षित	34. अनुसूचित जाति	59. अनारक्षित	84. **पिछड़े वर्गों की महिलायें**
10. अनुसूचित जाति	35. अनारक्षित	60. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	85. अनारक्षित
11. अनारक्षित	36. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	61. अनारक्षित	86. अनुसूचित जाति
12. पिछड़ा वर्ग	37. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**	62. अनुसूचित जाति	87. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
13. अनारक्षित	38. पिछड़ा वर्ग	63. अनारक्षित	88. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	39. अनारक्षित	64. पिछड़ा वर्ग	89. अनारक्षित
15. अनारक्षित	40. अनुसूचित जाति	65. अनारक्षित	90. पिछड़ा वर्ग
16. अनुसूचित जाति	41. अनारक्षित	66. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	91. अनारक्षित
17. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**	42. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	67. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**	92. अनुसूचित जाति
18. **पिछड़े वर्गों की महिलायें**	43. अनारक्षित	68. अनुसूचित जाति	93. अनारक्षित
19. **अनुसूचित जनजाति**	44. अनारक्षित	69. अनारक्षित	94. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	45. अनारक्षित	70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	95. अनारक्षित
21. अनारक्षित	46. पिछड़ा वर्ग	71. अनारक्षित	96. पिछड़ा वर्ग
22. पिछड़ा वर्ग	47. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**	72. पिछड़ा वर्ग	97. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग**
23. अनारक्षित	48. अनुसूचित जाति	73. अनारक्षित	98. अनुसूचित जाति
24. अनुसूचित जाति	49. अनारक्षित	74. अनुसूचित जाति	99. अनारक्षित
25. अनारक्षित	50. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	75. अनारक्षित	100. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग

महत्वपूर्ण तथ्य

(i) पद आधारित रोस्टर एवं रिक्ति आधारित रोस्टर में अंतर–

(a) रिक्ति आधारित रोस्टर–

कुल स्वीकृत पद / बल–200

कोटिवार कार्यरत–100 (गैर आरक्षित वर्ग–35, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–8, अनुसूचित जाति–17, अनुसूचित जनजाति–1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–15, पिछड़ा वर्ग–21 एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें–3)

रिक्ति– 200 – 100 = 100

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	रिक्ति आधारित अनुमान्यता	पूर्व से कार्यरत	अनुमान्यता के पश्चात कोटिवार भागीदारी (2+3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	100 x 16% = 16.0 = 16	17	33 (16.5%)
अनुसूचित जनजाति	100 x 1% = 1.0 = 1	1	2 (1.0%)
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	100 x 18% = 18.0 = 18	15	33 (16.5%)
पिछड़ा वर्ग	100 x 12% = 12.0 = 12	22	34 (17.0%)
पिछड़े वर्गों की महिलायें	100 x 3% = 3.0 = 3	2	5 (2.5%)
	कुल– 50	57	107 (53.5%)

नोट–रिक्ति (100 पद) के आधार पर रोस्टर गठन के क्रम में यहाँ आरक्षित वर्ग को 50 पद प्राप्त हो रहे हैं, जबकि पूर्व से 57 बल कार्यरत हैं। इस प्रकार आरक्षित वर्ग हेतु अनुमान्य कुल स्वीकृत बल 200 का 50 प्रतिशत, अर्थात 100 पदों के विरूद्ध इनकी सहभागिता 50 प्रतिशत आरक्षण से ज्यादा होने पर भी अगले 100 रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्तियों के लिए प्रयुक्त होने वाले समव्यवहार में पुनः अपनी कोटि के विहित आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से दावा किया जाता था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका सिविल संख्या–79 / 1979 (आर० के० सबरवाल एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य) में दिनांक–10.02.1995 को पारित आदेश के अनुसार पद आधारित रोस्टर क्लियरेंस का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत स्वीकृत बल के आधार पर प्रत्येक आरक्षित / गैर आरक्षित वर्ग को उनके आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पद अनुमान्य कराये जाते हैं। इस व्यवस्था को तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–117 दिनांक–30.09.1995 द्वारा लागू किया गया है, जो आज तक प्रचलित है।

(b) पद आधारित रोस्टर–

कुल स्वीकृत पद / बल–200

कोटिवार कार्यरत–100 (गैर आरक्षित वर्ग–35, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–8, अनुसूचित जाति–17, अनुसूचित जनजाति–1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–15, पिछड़ा वर्ग–21 एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें–3)

रिक्ति– 200 – 100 = 100

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	रिक्ति कॉलम (2–3)	अनुमान्यता के पश्चात कोटिवार भागीदारी
1	2	3	4	5
अनुसूचित जाति	200 x 16% = 32.0 = 32	17	15	16%
अनुसूचित जनजाति	200 x 1% = 2.0 = 2	1	1	1%
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	200 x 18% = 36.0 = 36	15	21	18%
पिछड़ा वर्ग	200 x 12% = 24.0 = 24	22	2	12%
पिछड़े वर्गों की महिलायें	200 x 3% = 6.0 = 6	2	4	3%
	कुल– 100	57	43	50%

नोट–पद (स्वीकृत बल–200) के आधार पर रोस्टर गठन के क्रम में यहाँ आरक्षित वर्ग को 43 पद प्राप्त हो रहे हैं तथा पूर्व से 57 बल कार्यरत हैं, इस प्रकार आरक्षित वर्ग हेतु अनुमान्य कुल स्वीकृत बल (200) का 50 प्रतिशत पद, अर्थात 100 पद पर इनकी सहभागिता पूर्ण हो रही है।

(ii) छोटे स्थापना से तात्पर्य– ऐसे संवर्ग से है, जहाँ सभी कोटियों का प्रतिनिधित्व प्रथम चक्र में रोस्टर बिन्दु–1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 (अनुसूचित जनजाति को छोड़कर) पूरा हो रहा हो।

(iii) छोटे स्थापना वाले संवर्ग में आरक्षण प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति को पद उपलब्ध कराने में व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न होती है, अतः किसी रोस्टर क्लियरेंस के क्रम में अनुसूचित जनजाति को अनुमान्य बिन्दु (19, 119, 219 .....) व्यवहृत होने पर यथास्थिति उक्त कोटि के लिए पद उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(iv) ऐसे छोटे स्थापना वाले संवर्ग, जिसमें पिछड़े वर्गों की महिलायें (W.B.C.) **(यथा—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की महिलायें)** कोटि को अनुमान्य उर्ध्वाधर आरक्षण प्रतिशत (03%) के अनुसार पद अनुमान्य कराने में कठिनाई हो रही हो, तो रोस्टर क्लियरेंस के क्रम में पिछड़े वर्गों की महिलायें (W.B.C.) कोटि को अनुमान्यता के अनुरूप स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो रहे रोस्टर बिन्दु—18, 52 एवं 84 व्यवहृत होने पर यथास्थिति उक्त कोटि के लिए पद उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(v) ऐसे छोटे स्थापना वाले संवर्ग, जिसमें आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पद अनुमान्य कराने में कठिनाई हो रही हो, ऐसी स्थिति में कार्यरत बल नहीं होने की स्थिति में रनिंग रोस्टर (अर्थात यथास्थिति रोस्टर बिन्दु) के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा सकेगी तथा कार्यरत बल मौजूद होने की स्थिति में अनुमान्यतानुसार रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा सकेगी।

(vi) यदि किसी स्थापना में पूर्व से कार्यरत बल विद्यमान है तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या—14396 दिनांक—10.09.2024 के साथ संलग्न मॉडल रनिंग रोस्टर के विहित आरक्षण के अनुरूप कोटिवार कार्यरत हैं, तो इसके पश्चात नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु के बाद वाले रोस्टर बिन्दु से रंनिग रोस्टर के आधार पर मॉडल रोस्टर के अनुसार की जाएगी।

इसी प्रकार, नियुक्ति हेतु प्रथम समव्यवहार की स्थिति में रनिंग रोस्टर के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी तथा वैसे समव्यवहार जहाँ कार्यरत बल रनिंग रोस्टर के आधार पर नहीं हो, तो ऐसी परिस्थिति में अनुमान्यतानुसार रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी।

(vii) साथ हीं इसी प्रकार नियुक्ति हेतु किसी समव्यवहार में कार्यरत बल की संख्या शून्य हो, तो बैकलॉग की स्थिति नहीं बनने के कारण अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु के बाद वाले रोस्टर बिन्दु से रंनिग रोस्टर के आधार पर मॉडल रोस्टर के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाएगी।

नोट–चालू/शुद्ध रिक्ति से तात्पर्य है– (कुल रिक्ति – बैकलॉग रिक्ति)।

(viii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को तब तक चालू रिक्ति (Current Vacancy) का 10 प्रतिशत पद अनुमान्य होता रहेगा, जब तक कि उसे कुल स्वीकृत पद का 10 प्रतिशत पद प्राप्त न हो जाय।

(ix) महिलाओं को 35% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के तहत गैर आरक्षित/आरक्षित कोटिवार पद उपलब्ध कराने के क्रम में ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण के अन्तर्गत गैर आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य पदों (रिक्तियों) के विरूद्ध 35% की दर से पदों की गणना महिलाओं के लिए की जायेगी। कम से कम 03 (दो में नहीं) पदों के विरूद्ध महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत 01 पद अनुमान्य कराया जा सकेगा। इस क्रम में भिन्नांक 0.01 से 0.49 तक को 0 (शून्य) तथा 0.50 से 0.99 तक को 01 (एक) माना जायेगा। उदाहरण स्वरूप 1.49 = 01 तथा 1.50 = 02 माना जायेगा। यदि कई समव्यवहारों में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाती है अथवा विभिन्न विभाग अलग–अलग अधियाचना भेजते हैं, जिसके आधार पर आयोग/अनुशंसी संस्थाएं समेकित रूप से विज्ञापन प्रकाशित करती हैं, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत पदों की गणना समव्यवहार (Transaction) वार अथवा विभागवार की जायेगी, न कि समेकित रूप से।

(x) मात्र चालू रिक्ति के विरूद्ध ही दिव्यांगजन हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण, महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों यथा–पोता/पोती/नाती/नतीनी को 2% यथास्थिति क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

(xi) महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण तथा स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों यथा–पोता/पोती/नाती/नतीनी के लिए क्षैतिज आरक्षण को कैरी फारवर्ड नहीं किया जायेगा, यद्यपि दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 की धारा–34(2) के आलोक में जहां कोई रिक्ति किसी भर्त्ती वर्ष में संदर्भित दिव्यांगजन की गैर उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से नहीं भरी जा सकेगी, ऐसी रिक्ति गैर आरक्षित वर्ग में कर्णांकित करते हुए पश्चात्वर्त्ती भर्त्ती वर्षों के लिए अग्रणित (Carry Forward) होगी।

(xii) बिहार अधिनियम–11/1993 द्वारा प्रावधानित पिछड़े वर्गों की महिलायें (W.B.C.) से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाएं।

(xiii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–9432 दिनांक–14.06.2024 के आलोक में रोस्टर पंजी का संधारण किया जाना अपेक्षित है, ताकि अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

(xiv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–14396 दिनांक–10.09.2024 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

(xv) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–17975 दिनांक–22.09.2023 द्वारा निर्गत बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) भर्त्ती एवं सेवाशर्त नियमावली, 2023 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। सीधी भर्ती हेतु कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग के मूल कोटि (कोटि–IV) के पद के अंतर्गत की जाएगी, जो उदाहरणस्वरूप निम्नवत है –

कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग का कुल स्वीकृत बल–	100
कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–IV) मूल कोटि का प्रतिशत–(100 x 50%)	50
उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों की संख्या (सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल का 10 प्रतिशत)– 50 का 10% = 5	5
कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) के मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध कुल पदों की संख्या	50 – 5 = 45

(xvi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–1468 दिनांक–25.04.2007 {बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली, 2007} के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। सीधी भर्ती साधारण कोटि के पदों पर की जानी है, जिसे निम्नवत उदाहरण से समझा जा सकता है–

वाहन चालक के कुल चार कोटियों के अंतर्गत कुल स्वीकृत बल–	100
वाहन चालक के साधारण कोटि (रू0 3050–4590/–) के अंतर्गत कुल पदों की संख्या– (100 x 30%)	30
साधारण कोटि के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु कुल पदों की संख्या–	30

(xvii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–8489 दिनांक–11.06.2015 द्वारा निर्गत बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2015 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग के अंतर्गत सीधी भर्ती मूल कोटि के अंतर्गत की जानी है, जो उदाहरणस्वरूप निम्नवत है–

आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के कुल चार कोटियों के अंतर्गत कुल स्वीकृत बल–	100
आशुलिपिक, ग्रेड–III/आशुटंकक–III के मूल कोटि (ग्रेड पे–2400) हेतु कुल पदों की संख्या–(100 x 40%)	40
मूल कोटि के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु कुल पदों की संख्या–	40

(xviii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–821 दिनांक–23.03.2011 द्वारा निर्गत बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2011 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। सीधी भर्ती निम्नवर्गीय लिपिक (मूल कोटि) के अंतर्गत की जानी है, जो उदाहरणस्वरूप निम्नवत है–

लिपिकीय संवर्ग के कुल चार कोटियों के अंतर्गत कुल स्वीकृत बल–	100
निम्नवर्गीय लिपिक के मूल कोटि हेतु कुल पदों की संख्या– (100 x 60%)	60
मूल कोटि के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु कुल पदों की संख्या– (60 x 85%)	51

(xix) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–1500 दिनांक–30.01.2018 द्वारा वेतन स्तर–8 से नीचे के पदों के रोस्टर क्लियरेंस का कार्य प्रशासी विभाग को सौंपने के संबंध में परिचारित दिशा–निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है।

(xx) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–4319 दिनांक–02.03.2023 द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति असैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु (प्रोन्नति हेतु आरक्षित पदों को छोड़कर) उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल के 10 प्रतिशत के अंतर्गत की जानी है, जो उदाहरणस्वरूप निम्नवत है–

किसी संवर्ग के अंतर्गत कुल स्वीकृत बल–	100
प्रोन्नति हेतु आरक्षित पद– (100 x 15%)	15
मूल कोटि के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु कुल पदों की संख्या– (100 x 85%)	85
उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आरक्षित कुल स्वीकृत बल–(85 x 10%) = 8.5	9
सीधी नियुक्ति हेतु मूल कोटि के पदों की संख्या– (85 – 9)	76

(xxi) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–6216 दिनांक–29.06.2006 द्वारा निर्गत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006 (यथा संशोधित) के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है। सीधी भर्ती निम्नवर्गीय लिपिक (मूल कोटि) के अंतर्गत की जानी है, जो उदाहरणस्वरूप निम्नवत है–

लिपिकीय संवर्ग के अंतर्गत कुल प्राधिकृत बल–	100
निम्नवर्गीय लिपिक के मूल कोटि हेतु प्राधिकृत पदों की संख्या– (100 x 85%)	85
मूल कोटि के अंतर्गत उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु कुल प्राधिकृत पदों की संख्या– (85 x 10%)	8.5 = 9
मूल कोटि के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु कुल प्राधिकृत पदों की संख्या – 85 – 9	76

बिहार अधिनियम– 17/2002 एवं बिहार अधिनियम–2/2019 के आलोक में बैकलॉग सहित रोस्टर क्लियरेंस का नमूना

किसी स्थापना द्वारा प्रतिवेदित सूचनानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है–

(i) कुल स्वीकृत बल– 153

(ii) कोटिवार कार्यरत – 70 (गैर आरक्षित वर्ग–56, अनुसूचित जाति–4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1, पिछड़ा वर्ग–7 एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें–2)

(iii) शुद्ध रिक्ति– 153 – 70 = 83

(iv) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु–199

2. प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग (56) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (14) के कार्यरत कर्मियों की संख्या से अधिक है। अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति बनती है। इस प्रकार वर्त्तमान में कुल रिक्त 83 पदों का रोस्टर बिन्दु–200 से 282 तक के विरूद्ध रोस्टर क्लियरेंस करने का प्रस्ताव है।

बैकलॉग की गणना

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	बैकलॉग (कॉलम 2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	56 x 2 x 16% = 17.92 = 18	4	14
अनुसूचित जनजाति	56 x 2 x 1% = 1.12 = 1	0	1
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	56 x 2 x 18% = 20.16 = 20	1	19
पिछड़ा वर्ग	56 x 2 x 12% = 13.44 = 14	7	7
पिछड़े वर्गों की महिलायें	56 x 2 x 3% = 3.36 = 3	2	1

कुल बैकलॉग–42

शुद्ध रिक्ति = 83 – 42 = 41

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत + बैकलॉग	रिक्ति कॉलम (2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	153 x 16% = 24.48 = 24	4 + 14 = 18	6
अनुसूचित जनजाति	153 x 1% = 1.53 = 1	0 + 1 = 1	0
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	153 x 18% = 27.54 = 28	1 + 19 = 20	8
पिछड़ा वर्ग	153 x 12% = 18.36 = 18	7 + 7 = 14	4
पिछड़े वर्गों की महिलायें	153 x 3% = 4.59 = 5	2 + 1 = 3	2
	कुल–76	56	20

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गैर आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य पद :– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुमान्य रिक्ति की गणना शुद्ध रिक्ति के आधार पर की जाती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शुद्ध रिक्ति का 10% = 41 X 10% = 4.10	4
गैर आरक्षित वर्ग	शुद्ध रिक्ति – (आर्थिक रूप सें कमजोर वर्ग + आरक्षित वर्ग को अनुमान्य पद) = 41 – (4 + 20) = 17	17

3. तदनुसार कुल रिक्त 83 पदों का रोस्टर बिन्दु–200 से 282 तक आच्छादित होने वाला रोस्टर क्लियरेंस निम्नवत् प्रस्तावित है :–

(क) बैकलॉग रिक्ति हेतु अनुमान्य पद–

अनुसूचित जाति– रोस्टर बिन्दु–200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 एवं 213 = **14 पद।**

अनुसूचित जनजाति– रोस्टर बिन्दु–214 = **01 पद।**

अत्यंत पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 एवं 233 = **19 पद।**

पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–234, 235, 236, 237, 238, 239 एवं 240 = **07 पद।**

पिछड़े वर्गों की महिलायें–रोस्टर बिन्दु–241 = **01 पद।**

(ख) चालू रिक्ति हेतु अनुमान्य पद–

अनुसूचित जाति– रोस्टर बिन्दु–248, 256, 262, 268, 274 एवं 278 = **06 पद।**

(यहाँ अनुसूचित जाति को 6 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव अनुसूचित जाति की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 6 x 35% = 2.1 = 2 पद अनुमान्य होगा।)

अत्यंत पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–242, 250, 254, 260, 266, 270, 276 एवं 282 = **08 पद।**

(यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 8 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 8 x 35% = 2.8 = 3 पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–246, 258, 264 एवं 272 = **04 पद।**

(यहाँ पिछड़ा वर्ग को 4 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 4 x 35% = 1.4 = 1 पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़े वर्गों की महिलायें–रोस्टर बिन्दु–252 एवं **280 = 02 पद।**

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु–280 पिछड़ा वर्ग के लिए कर्णांकित है, परन्तु इनका कोटा पूर्ण होने तथा अनुमान्यतानुसार उक्त रोस्टर बिन्दु पिछड़े वर्गों की महिलायें को अनुमान्य कराया गया है।)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–रोस्टर बिन्दु–247, 257, 267 एवं 277 = **04 पद**।

(यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 4 x 35% = 1.4 = 1 पद अनुमान्य होगा।)

गैर आरक्षित वर्ग–रोस्टर बिन्दु–243, 244, 245, 249, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 279 एवं 281 = **17 पद**।

(यहाँ गैर आरक्षित वर्ग को 17 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव गैर आरक्षित वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 17 x 35% = 5.95 = 6 पद अनुमान्य होगा।)

उपर्युक्त अनुमान्य कराये गए पदों में विभागीय संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण देय होगा :–

रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता को	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण को	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता/संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–(8) के खण्ड–(क) से खण्ड–(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	कुल
242 से 281	0	0	1	0	1
कुल	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**

विभागीय परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत् अनुमान्य होगा।

बिहार अधिनियम–17/2002 एवं बिहार अधिनियम–2/2019 के आलोक में बैकलॉग रहित रोस्टर क्लियरेंस का नमूना

किसी स्थापना द्वारा प्रतिवेदित सूचनानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है–

(i) कुल स्वीकृत बल– 131

(ii) कोटिवार कार्यरत – 56 (गैर आरक्षित वर्ग–28, अनुसूचित जाति–4, अनुसूचित जनजाति–1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–9, पिछड़ा वर्ग–12 एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें–2)

(iii) शुद्ध रिक्ति– 131 – 56 = 75

(iv) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु–186

2. प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग (28) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (28) के कार्यरत कर्मियों की संख्या के बराबर है। अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है। इस प्रकार वर्त्तमान में कुल रिक्त 75 पदों का रोस्टर बिन्दु–187 से 261 तक के विरूद्ध रोस्टर क्लियरेंस करने का प्रस्ताव है।

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	रिक्ति कॉलम (2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	131 X 16% = 20.96 = 21	4	17
अनुसूचित जनजाति	131 X 1% = 1.31 = 1	1	0
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	131 X 18% = 23.58 = 23	9	14
पिछड़ा वर्ग	131 X 12% = 15.72 = 16	12	4
पिछड़े वर्गों की महिलायें	131 X 3% = 3.93 = 4	2	2
	कुल–65	**28**	**37**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गैर आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य पद – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुमान्य रिक्ति की गणना चालू रिक्ति के आधार पर की जाती है।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	चालू रिक्ति का 10% = 75 X 10% = 7.50	8
गैर आरक्षित वर्ग	चालू रिक्ति – (आरक्षित वर्ग + आर्थिक रूप सें कमजोर वर्ग को अनुमान्य पद) = 75 – (37 + 8) = 30	30

3. तदनुसार कुल रिक्त 75 पदों का रोस्टर बिन्दु–187 से 261 तक आच्छादित होने वाला रोस्टर क्लियरेंस निम्नवत् प्रस्तावित है :–

अनुसूचित जाति– रोस्टर बिन्दु–192, 198, 204, 210, 216, **222**, 224, 228, **230**, 234, **238**, 240, **246**, 248, 256, **258** एवं **261** = **17 पद**।

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु–222, 230, 238, 246 एवं 258 पिछड़ा वर्ग एवं रोस्टर बिन्दु–261 गैर आरक्षित वर्ग के लिए कर्णांकित है, परन्तु इनका कोटा पूर्ण होने तथा अनुमान्यतानुसार उक्त रोस्टर बिन्दु अनुसूचित जाति को अनुमान्य कराया गया है।)

(यहाँ अनुसूचित जाति को 17 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव अनुसूचित जाति की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 17 x 35% = 5.95 = 6 पद अनुमान्य होगा।)

अत्यंत पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–188, 194, 200, 202, 208, 214, 220, 226, 232, 236, 242, 250, 254 एवं 260 = **14 पद।**

(यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 14 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 14 x 35% = 4.9 = 5 पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–190, 196, 206 एवं 212 = **04 पद।**

(यहाँ पिछड़ा वर्ग को 4 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 4 x 35% = 1.4 = 1 पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़े वर्गों की महिलायें–रोस्टर बिन्दु–218 एवं 252 = **02 पद।**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–रोस्टर बिन्दु–187, 197, 207, 217, 227, 237, 247 एवं 257 = **08 पद।**

(यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 8 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 8 x 35% = 2.8 = 3 पद अनुमान्य होगा।)

गैर आरक्षित वर्ग–रोस्टर बिन्दु–189, 191, 193, 195, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 215, **219**, 221, 223, 225, 229, 231, 233, 235, 239, 241, 243, 244, 245, 249, 251, 253, 255 एवं 259 = **30** पद।

यद्यपि रोस्टर बिन्दु–219 अनुसूचित जनजाति को कर्णांकित है, परन्तु उसका कोटा पूर्ण होने एवं अनुमान्यतानुसार इसे गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।

(यहाँ गैर आरक्षित वर्ग को 30 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव गैर आरक्षित वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 30 x 35% = 10.5 = 11 पद अनुमान्य होगा।)

उपर्युक्त अनुमान्य कराये गए पदों में विभागीय संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण देय होगा :–

रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता को	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण को	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता/संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–(8) के खण्ड–(क) से खण्ड–(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	कुल
187 से 200	0	0	0	1	1
201 से 261	1	1	0	0	2
कुल	**1**	**1**	**0**	**1**	**3**

विभागीय परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत् अनुमान्य होगा।

रोस्टर क्लियरेंस से संबंधित सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नावली (FAQ)

1. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम की संख्या है?

उत्तर– बिहार अधिनियम सं०–3, 1992

2. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) किस अधिनियम द्वारा आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों को विभिन्न आरक्षित कोटियों को अनुमान्य कराया गया है?

उत्तर– बिहार अधिनियम सं०–17, 2002

3. बिहार उच्च न्यायिक सेवा एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) के पदों पर सीधी नियुक्ति में किये गए आरक्षण के आलोक में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण एवं महिलाओं के लिए क्रमशः 35 एवं अस्थि विकलांग के लिए 1 (एक) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया निर्धारण किस संकल्प/परिपत्र द्वारा प्रावधान किया गया?

उत्तर– परिपत्र संख्या–588, दिनांक–17.01.2017

4. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों को आरक्षण किस संकल्प/परिपत्र द्वारा प्रावधान किया गया?

उत्तर– संकल्प संख्या–13062, दिनांक–12.10.2017

5. राज्य सरकार के अधीन शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों के लिए 5% (पाँच प्रतिशत) स्थान आरक्षित किस संकल्प/परिपत्र द्वारा प्रावधान किया गया?

उत्तर– संकल्प संख्या–7162, दिनांक–31.05.2018

6. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में बहु–दिव्यांगता को सम्मिलित करने तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को केन्द्रीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुप किस संकल्प/परिपत्र द्वारा प्रावधान किया गया?

उत्तर– संकल्प संख्या–962, दिनांक–22.01.2021

7. पदों के समूहीकरण के संबंध में दिशा–निदेश किस संकल्प/परिपत्र द्वारा किया गया?

उत्तर– परिपत्र संख्या–2803, दिनांक–03.10.2006

8. बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत आरक्षण के क्रम में चयन की विहित प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण के संबंध में दिशा–निदेश किस संकल्प/परिपत्र द्वारा किया गया?

उत्तर– संकल्प संख्या–963 दिनांक–20.01.2016 एवं परिपत्र संख्या–2342, दिनांक–15.02.2016

9. राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण के संबंध में दिशा–निदेश किस संकल्प/परिपत्र द्वारा किया गया?

उत्तर– परिपत्र संख्या–2526, दिनांक–18.02.2016

10. आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू करने के संबंध में दिशा–निदेश किस संकल्प/परिपत्र द्वारा किया गया?

उत्तर– संकल्प संख्या–13876, दिनांक–03.11.2017

11. वेतन स्तर–8 से नीचे के पदों के रोस्टर क्लियरेंस का कार्य प्रशासी विभाग को सौंपने के संबंध में दिशा–निदेश किस संकल्प/परिपत्र द्वारा किया गया?

उत्तर– परिपत्र संख्या–1500, दिनांक–30.01.2018

12. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी सेवाओं में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है?

उत्तर– सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु – 4 प्रतिशत एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु – 5 प्रतिशत।

13. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रावधानित आदर्श रोस्टर के आलोक में अंध एवं निम्न दृष्टि, बधिर तथा श्रवण शक्ति में ह्रास एवं चलंत दिव्यांगता को किस श्रृंखला के अंतर्गत आरक्षण देय है?

उत्तर– रोस्टर बिन्दु– 1 से 25 – अंध एवं निम्न दृष्टि

26 से 50 – बधिर तथा श्रवण शक्ति में ह्रास

51 से 75 – चलंत दिव्यांगता

14. बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर एवं अंधता भी शामिल है, के साथ मनोविकार दिव्यांग को किस श्रृंखला के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है?

उत्तर – रोस्टर बिन्दु– 76 से 100

15. क्या बैकलॉग पदों के विरूद्ध महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, दिव्यांगजनों को अनुमान्य 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नतीनी/पोता/पोती को कोई पद अनुमान्य कराया जा सकता है?

उत्तर– नहीं।

16. पिछड़े वर्गों की महिला से तात्पर्य क्या है या पिछड़े वर्गों की महिला कोटि के अंतर्गत कौन चयनित हो सकते हैं?

उत्तर– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाएँ।

17. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में कितने भर्ती वर्षों तक के लिए उन रिक्तियों को आरक्षित रखा जाएगा?

उत्तर– तीन भर्ती वर्ष तक इसे अग्रणित (Carry Forward) रखते हुए आरक्षित रखा जाएगा। इसके पश्चात आपसी विनिमय (Mutual Exchange in each other category) द्वारा भरा जाएगा।

यथा– (i) अनुसूचित जाति ⟷ अनुसूचित जनजाति

(ii) पिछड़ा वर्ग ⟷ अत्यंत पिछड़ा वर्ग

नोट–बिहार अधिनियम–3/1992 में अंकित प्रावधानानुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति एवं प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में तीन भर्ती वर्षों तक के लिए उन रिक्तियों को आरक्षित बनाए रखा जाएगा और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के

बीच रिक्तियों का विनिमय किया जायेगा और विनिमय द्वारा तथा पूरित रिक्तियां उस विशेष समुदाय के उम्मीदवार जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जायेगी।

इसी प्रकार अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग कोटि के सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसी आरक्षित रिक्तियाँ तीन भर्ती वर्षों के लिए आरक्षित बनी रहेगी और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों, तो रिक्तियाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से विनिमय द्वारा भरी जायेंगी और विनिमय द्वारा तथा पूरित रिक्तियां उस विशेष समुदाय के उम्मीदवारों, जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जायेगी।

18. प्रोन्नति/नियुक्ति हो जाने के पश्चात योगदान करने वाले अभ्यर्थियों की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में की जाएगी और प्रविष्टि के पश्चात नियुक्ति पदाधिकारी या इसके लिए प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर आवश्यक होगा, वह पदाधिकारी होंगे–

उत्तर– उप सचिव या इसके समकक्ष स्तर के।

19. किसी कोटि हेतु आरक्षित बिन्दु को अनारक्षित करने में किसका आदेश प्राप्त करना आवश्यक है?

उत्तर– मुख्यमंत्री का।

20. राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में कुल कितने कोटि को वर्तमान में उर्ध्वाधर आरक्षण प्राप्त है? इसका प्रतिशत भी बताएँ?

उत्तर– कुल कोटि अनुसूचित जाति–16%, अनुसूचित जनजाति–1%, पिछड़ा वर्ग–12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–18%, पिछड़े वर्गों की महिलायें–3%, गैर आरक्षित वर्ग–40% एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–10%

21. जब कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार (जो अपने गुणागुण के आधार पर) चयनित होते हैं, तो उनकी गणना किस कोटि के अंतर्गत की जाएगी?

उत्तर– खुली गुणागुण कोटि के 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत।

22. Review Writ Petition संख्या–1749/1997 Post Graduate Institute of Medical Education – Research Chandigarh versus Faculty association and others में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक–17.04.1998 के आलोक में एकल पद हेतु आरक्षण लागू होगा अथवा नहीं?

उत्तर– एकल पद पर आरक्षण लागू नहीं होगा।

23. पद आधारित रोस्टर क्लियरेंस का प्रावधान कब से प्रचलन में है?

उत्तर– दिनांक–30.09.1995 से।

24. वैसे पद जिनके नियुक्ति प्राधिकार जिला पदाधिकारी हों एवं प्रमंडलीय स्तरीय पदों पर नियुक्ति के क्रम में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई कौन करेगा?

उत्तर– प्रमंडलीय आयुक्त।

25. स्वतंत्रता सेनानी/दिव्यांगों/महिलाओं को कौन सा आरक्षण का प्रावधान है?

उत्तर– क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

26. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़े वर्गों की महिलायें/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को कौन सा आरक्षण अनुमान्य है?

उत्तर– उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

27. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को संविधान की किस धारा के तहत आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है?

उत्तर– अनुसूचित जाति हेतु धारा 341 एवं अनुसूचित जनजाति हेतु धारा 342.

28. भारतीय संविधान की किस धारा में आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है?

उत्तर– धारा–16(3)

29. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियुक्ति में आरक्षण कब से लागू है?

उत्तर– 1953

30. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण कब से लागू है?

उत्तर– 1971

31. पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति में आरक्षण कब से लागू है?

उत्तर– 1978

32. वर्तमान में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु किस प्रकार के रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाती है?

उत्तर– पद आधारित।

33. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नियुक्ति में आरक्षण कब से प्रभावी है?

उत्तर– 26.02.2019

34. वर्तमान में रोस्टर क्लियरेंस करने संबंधी परिपत्र संख्या कौन सा है, जिसके द्वारा 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर बिन्दु भी परिचारित है?

उत्तर– अधिसूचना संख्या–14396 दिनांक–10.09.2024

35. कुल स्वीकृत बल से क्या तात्पर्य है?

उत्तर– किसी स्थापना में संबंधित पद हेतु कार्य करने हेतु स्वीकृत अधिकतम संख्या।

36. कार्यरत बल से क्या तात्पर्य है? क्या इसमें अधियाचित पद भी शामिल होता है?

उत्तर– किसी स्थापना में संबंधित पद पर कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या एवं प्रेषित अधियाचना जिस पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। कार्यरत बल में अधियाचित पद भी शामिल होता है।

37. अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु से क्या तात्पर्य है?

उत्तर– रोस्टर पंजी में की गई अंतिम प्रविष्टि, जिस पर योगदान करने वाले कर्मी का नाम एवं क्रमांक अंकित है।

38. प्रथम समव्यवहार से क्या तात्पर्य है?

उत्तर– वर्णित पद पर पहली बार रोस्टर क्लियरेंस कर नियुक्ति संबंधी कार्रवाई।

39. आरक्षण संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर दंड संबंधी क्या प्रावधान है?

उत्तर– 3 महिने कारावास या 1000 रू0 जुर्माना या दोनों।

40. क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में बैकलॉग संबंधी प्रावधान है?

उत्तर– नहीं। शेष रिक्तियों पर गैर आरक्षित वर्ग के तहत नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी।

41. आरक्षित कोटि के वैसे उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चयनित होते हैं, की गणना किसमें की जाती है?

उत्तर– खुली गुणागुण कोटि की रिक्तियों के विरूद्ध।

42. क्या बैकलॉग रिक्ति के विरूद्ध दिव्यांगजन एवं स्वतंत्रता सेनानी के नाती/नीतीनी/पोता/पोती को क्षैतिज आरक्षण देय है?

उत्तर– नहीं।

43. दिव्यांगजन हेतु 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण एवं स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को किस प्रकार की रिक्ति के विरूद्ध क्षैतिज आरक्षण देय है?

उत्तर– मात्र चालू रिक्ति

44. किस परिपत्र द्वारा रोस्टर पंजी संधारण संबंधी विस्तृत दिशा–निदेश जारी किए गए हैं?

उत्तर– परिपत्र संख्या–9432 दिनांक–14.06.2024.

45. रोस्टर पंजी में नामों की प्रविष्टि कब की जाती है?

उत्तर– योगदान के पश्चात।

46. गुणागुण के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के नाम की प्रविष्टि किस रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध की जाती है?

उत्तर– गैर आरक्षित वर्ग हेतु कर्णांकित रोस्टर बिन्दु।

47. क्या रोस्टर पंजी में नामों की प्रविष्टि के आधार पर वरीयता का निर्धारिण होता है?

उत्तर– नहीं।

48. सुरक्षित रखे गए पदों के लिए कौन सा रोस्टर बिन्दु व्यवहृत किया जाता है?

उत्तर– अंतिम रोस्टर बिन्दु।

49. क्या योगदान करने वाले कर्मियों के नामों की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में करते समय कोई रोस्टर बिन्दु रिक्त छोड़ सकते हैं?

उत्तर– नहीं।

50. अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मी के नाम की गिनती किस कोटि के विरूद्ध किया जाता है?

उत्तर– जिस कोटि से संबंध रखता हो (यदि रिक्ति उपलब्ध नहीं हो, तो भी)।

51. राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में वर्तमान में रोस्टर गठन की कार्रवाई किस आधार पर की जाती है?

उत्तर– स्वीकृत बल के आधार पर।

52. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को रोस्टर गठन के क्रम में स्वीकृत बल का 10 प्रतिशत अनुमान्य है अथवा चालू रिक्ति का?

उत्तर– चालू रिक्ति का।

53. यदि कुल स्वीकृत बल का 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत कार्यरत हो, तो चालू रिक्ति में इन्हें कोई पद अनुमान्य कराया जा सकता है अथवा नहीं?

उत्तर– नहीं।

54. रोस्टर पंजी में नामों की प्रविष्टि कब की जाती है?

उत्तर– कर्मी विशेष के योगदान के पश्चात। (योगदान करने वाले कर्मचारियों/ पदाधिकारियों के नामों की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में करते समय कोई भी रोस्टर बिन्दु रिक्त नहीं रखा जाता है।)

55. क्या रोस्टर पंजी में नामों की प्रविष्टि के आधार पर वरीयता का निर्धारण होता है?

उत्तर– नहीं।

56. सुरक्षित रखे गए पदों के लिए कौन सा रोस्टर बिन्दु व्यवहृत किया जा सकता है?

उत्तर– जहाँ तक रोस्टर बिन्दु व्यवहृत हो चुका है, उसका अगला रोस्टर बिन्दु।

57. छोटे स्थापना में यदि अनुमान्यता की गणना के क्रम में अनुसूचित जनजाति को कोई पद उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, तो अनुसूचित जनजाति को कब पद उपलब्ध कराया जा सकेगा?

उत्तर– रोस्टर बिन्दु–19, 119, 219, ... व्यवहृत होने के उपरांत।

58. पिछड़े वर्गों की महिलायें के लिए कौन–कौन सा रोस्टर बिन्दु चिन्हित किया गया है?

उत्तर– रोस्टर बिन्दु–18, 52 एवं 84.

59. वर्तमान प्रचलित रोस्टर गठन की कार्रवाई के क्रम में क्या 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं को उपलब्ध कराये जाने वाला पदों के लिए रोस्टर बिन्दु चिन्हित है?

उत्तर– नहीं (कोटिवार रिक्ति के विरूद्ध अनुमान्यता के आधार पर)।

60. 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं को उपलब्ध कराये जाने वाले पदों के लिए वर्तमान में रोस्टर गठन में कौन सी प्रक्रिया अपनायी जाती है?

उत्तर– कोटिवार प्राप्त रिक्तियों का 35 प्रतिशत (कम से कम 03 या 03 पद से उपर प्राप्त होने के उपरांत)।

61. कोई पद एकल पद की परिधि में आता है अथवा नहीं, इसका निर्णय किसके स्तर से लिया जाना है?

उत्तर– प्रशासी विभाग के स्तर से निर्णय लिया जाना अपेक्षित है।

62. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति/प्रोन्नति के लिए संबंधित उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्तियों को आरक्षित रखे जाने के संबंध में क्या प्रावधान है?

उत्तर– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 में अंकित प्रावधानानुसार जहां कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन की गैर–उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी ऐसी रिक्ति गैर आरक्षित वर्ग में कर्णांकित करते हुए पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में अग्रणित (Carry Forward) होगी और पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो पहले यह पांच प्रवर्गों में से अदला–बदली द्वारा हो सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो नियोक्ता द्वारा किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर रिक्ति को भरा जा सकेगा।

परंतु यदि किसी स्थापना में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि दिए गए प्रवर्गों के व्यक्तियों को नियोजित नहीं किया जा सकता तो रिक्तियों की समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच प्रवर्गों में अदला–बदली की जा सकेगी।

63. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने हेतु परिवार की वार्षिक आय अधिकतम कितना निर्धारित है एवं प्रमाण पत्र निर्गत करने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर– 8 लाख रूपये (वार्षिक आय आवेदन करने के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि से होने वाली समस्त श्रोतों से प्राप्त आयों को सम्मिलित किया जाएगा) तथा नियम–3(2) की शर्तों के अधीन अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एवं विहित परिसम्पतियां धारित नहीं करने का प्रमाण–पत्र संबंधित जिलाधिकारी / अनुमडंलाधिकारी / अंचलाधिकारी द्वारा संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में निर्गत किया जायेगा। संबंधित पदाधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र निर्गत करने से पूर्व प्रत्यके अभ्यर्थी से एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा यह घोषणा की जायेगी कि उसके परिवार के पास संबंधित अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पति नहीं है अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात् भी वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आते हैं।

64. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के अंतर्गत आरक्षण के लाभ हेतु प्रयोजनार्थ पद "परिवार" अनुसार परिवार में सम्मिलित सदस्यों से क्या तात्पर्य है?

उत्तर– परिवार में सम्मिलित है– अभ्यर्थी, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हों, अभ्यर्थी के माता–पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई/बहन और उसके पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतान।

65. विवाहित महिला के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) के आरक्षण हेतु आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा?

उत्तर– विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा,

परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है।

66. अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत क्रीमीलेयर रहित (Non Creamy Layer) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु परिवार की वार्षिक आय अधिकतम कितना निर्धारित है?

उत्तर– 8 लाख रूपये (आवेदक/आवेदिका के माता–पिता के वेतन एवं कृषि से प्राप्त आय को छोड़कर)।

67. रोस्टर गठन हेतु प्रस्ताव प्रेषित करने के लिए चेक–लिस्ट के रूप में किन–किन बिन्दुओं का उल्लेख किया जाना आवश्यक है?

उत्तर–

(i) विभाग का नाम–

(ii) पद का नाम–

(iii) विवेचित पद का कुल स्वीकृत बल–
(सीधी भर्ती हेतु कुल स्वीकृत बल)

(iv) कोटिवार कार्यरत बल (अधियाचित पद सहित)–........... गैर आरक्षित वर्ग–.......,
अनुसूचित जाति–..., अनुसूचित जनजाति–......., अत्यंत पिछड़ा वर्ग–...,
पिछड़ा वर्ग–........, पिछड़े वर्गों की महिलायें–..........,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–...........

(v) रिक्ति– ....

(vi) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु–.........

68. किस संकल्प/परिपत्र द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिए विभिन्न कोटियों हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गयी है?

उत्तर– संकल्प संख्या–294 दिनांक–07.01.2016

कोटि	आयु सीमा
अनारक्षित वर्ग (पुरूष)	37 वर्ष
पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष
अनारक्षित वर्ग (महिला)	40 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	42 वर्ष

69. किस संकल्प/परिपत्र द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं/संवर्गों/पदों में सीधी भर्ती के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में न्यनूतम अर्हतांक निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर– संकल्प संख्या–2374 दिनांक–16.07.2007

कोटि	प्रतिशत
सामान्य वर्ग	40%
पिछड़ा वर्ग	36.5%
पिछड़ा वर्ग एनेक्श्चर–1	34%
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग	32%

70. किस संकल्प/परिपत्र द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्तियों में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में प्रावधान परिचारित किए गए हैं?

उत्तर– परिपत्र संख्या–15760 दिनांक–02.09.2022

71. विवाहित महिलाओं के पक्ष में आरक्षण के लाभ का निर्धारण किस आधार पर दिया जाना है?

उत्तर– पिता के आवास (यदि वे बिहार के मूल निवासी हों तो) के आधार पर।

72. विवाहित महिलाओं के पक्ष में क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा?

उत्तर– पिता के आवास (यदि वे बिहार के मूल निवासी हों तो) के आधार पर।

73. किस संकल्प/परिपत्र द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S.) को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में प्रावधान परिचारित किए गए हैं?

उत्तर– परिपत्र संख्या–12123 दिनांक–23.06.2023

74. वैसी जातियां, जो बिहार राज्य हेतु अधिसूचित अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल हैं, परन्तु केन्द्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं है, को किस वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ देय होगा?

उत्तर– कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–43011/11/2022–Estt. (Res-II) दिनांक–18.09.2022 द्वारा परिचारित FAQ के आलोक में केन्द्रीय सेवाओं की नियुक्ति हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत।

परिशिस्ट–4

बिहार आरक्षण अधिनियम मूल

1. बिहार अधिनियम सं0–3, 1992 (मूल)

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991

राज्य के अधीन पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन–जातियों एंव अन्य पिछड़े वर्गों के यथोचित प्रतिनिधित्व का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :– (1) यह अधिनियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 कहा जा सकेगा ;
2. यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा ;
3. यह तुंरत प्रवृत होगा सिवाय इसके कि धारा 4, 1 नवम्बर, 1990 से प्रवृत हुआ समझा जायेगा ।

(क) " नियुक्ति प्राधिकारी" जहां तक इसका सम्बन्ध किसी स्थापना में सेवा या पद से है, से अभिप्रेत है वैसी सेवाओं या पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी;

(ख) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली जो राजकीय गजट में प्रकाशित हुई हो, द्वारा विहित ;

(ग) "स्थापना" से अभिप्रेत है राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक–सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें सम्मिलित हैं–(1) तत्समय प्रवृत किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार ; (2) बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम 6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी लगायी गयी है और जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहायियकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता है, और (3) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया या सहायता प्रदान करती है, और (4) सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान ;

(घ) " सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना " से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत,नियंत्रित या प्रबंधित होः–

(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग ;

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम 1, 1956) की धारा 617 में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत्त शेयर पूंजी के एकावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगाई हो ;

(ड़) " भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है,वह पंचांग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्ती की जाती है;

(च) " आरक्षण " से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण ;

(छ) "अनुसूचित जाति" का निर्देश भारत संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन किये गये तथा समय–समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों से होगा ;

(ज) " अनुसूचित जन–जाति " का निर्देश भारत–संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन बनाये गये तथा समय–समय पर यथा संशोधित संविधान (अनुसूचित जन–जाति) आदेश, 1950 में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जन–जातियों से होगा;

(झ) " अन्य पिछड़े वर्ग " का निर्देश अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं से होगा ;

(यँ) " अत्यन्त पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग " से अभिप्रेत है और इसमें वे वर्ग सम्मिलित हैं जो समय–सम्य पर यथा संशोधित कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 11/ए1–501/78–756–का0, दिनांक–10 नवम्बर 1978 में वर्णित है एवं उसके द्वारा परिचारित है तथा इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची 1 और 2 में विनिर्दिष्ट है और जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय, आयकर सीमा से न्यून है ;

(ट) " आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा " से अभिप्रेत है और इसमें वे उम्मीदवार सम्मिलित हैं, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय आयकर सीमा से न्यून है ;

(ठ) " आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिला " से अभिप्रेत है और इसमें वे उम्मीदवार भी सम्मिलित हैं, जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय आयकर सीमा से न्यून है ;

(ड) '' गुणागुण सूची '' से अभिप्रेत है प्रारम्भिक भर्ती या प्रोन्नति के संबंध में नियुक्ति करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा अंगीकृत नियमों तथा आदेशों के अनुसार तैयार की गयी गुणानुक्रम में अंकित अभ्यर्थियों की सूची ;

(ढ) '' राज्य '' में सम्मिलित है बिहार राज्य की सरकार, विधान मंडल और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार ।

3. **प्रयोज्यता** :– यह अधिनियम निम्नलिखित में लागू नहीं होगा :–

(क) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन ;

(ख) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन ;

(ग) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन ;

(घ) जो स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हों ;

(ङ) जो किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति से रिक्त होता हो ;

(च) 45 से कम दिनों के लिये अस्थायी नियुक्तियां ;

(छ) सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति; और,

(ज) ऐसे अन्य पद जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय–समय पर विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद तुरंत राज्य विधान मंडल के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों के लिये सत्र में हो, रखा जायेगा जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं ।

4. **सीधी भर्ती के लिये आरक्षण**:– (1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियाँ, जो सीधी भर्ती के द्वारा भरी जानेवाली हों, निम्नलिखित रूप में विनियमित की जायेंगी ; यथाः–

(क)	खुली गुणागुण कोटि से	.. ..	50 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से	.. ..	50 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों में से, आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियां इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन निम्नलिखित रूप में होंगीः–

(क)	अनुसूचित जाति	.. ..	14 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जन–जाति	.. ..	10 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	.. ..	12 प्रतिशत

(घ)	पिछड़ा वर्ग	..	8 प्रतिशत
(ड़)	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाऍं	..	3 प्रतिशत
(च)	आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा ..	..	3 प्रतिशत
	कुल ..	..	50 प्रतिशत

परन्तु यह कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिये विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी :

परन्तु यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के लिये इस धारा में यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जायेगा ।

(3) आरक्षित कोटि के उम्मीद्वार जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते है, की गणना खुली गुणागुण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी न कि आरक्षण कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध ।

(4) इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि और नियमावली या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री के होते हुए भी उप–धारा (3) का उपबंध ऐसे सभी मामलों में लागू होगा जिनमें चयन की सभी औपचारिकताएं 1ली नवम्बर, 1990 तक पूरी कर ली गई हैं, किन्तु नियुक्ति–पत्र निर्गत नहीं किये गये हैं ।

(5) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित रिक्तियां ऐसे उम्मीदवारों से नहीं भरी जायेंगी जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के न हों ।

(6) (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन–जातियों से उनके लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति तथा प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में तीन भर्ती वर्षों तक के लिए उन रिक्तियों को आरक्षित बनाये रखा जायेगा और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार नहीं उपलब्ध हो, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन–जाति के बीच रिक्तियों का विनिमय किया जायेगा और विनिमय द्वारा तथा पूरित रिक्तियां उस विशेष समुदाय के उम्मीदवार जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हें, के लिए आरक्षित समझी जायेगी ।

(ख) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में वैसी आरक्षित रिक्तियां तीन भर्ती--वर्षों तक के लिए आरक्षित बनी रहेगी और यदि तीसरे वर्ष में भी सुयोग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों तो रिक्तियाँ अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से विनिमय द्वारा भरी जायेंगी और विनिमय द्वारा तथा पूरित रिक्तियाँ उस विशेष समुदाय के योग्य उम्मीदवारों, जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जायेगी ।

(ग) आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में रिक्तियों प्रथमतः अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा, उसके बाद अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों द्वारा,उसके बाद अत्यन्त पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा और उसके बाद पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जायेंगी । इस समव्यवहार में इस प्रकार भरी गई रिक्तियाँ उक्त विशेष समुदाय के उम्मीदवारों, जो वस्तुतः नियुक्त किये जाते हैं, के लिए आरक्षित समझी जायेगी ।

(घ) यदि किसी भर्ती वर्ष में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन--जाति/अत्यन्त पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या, विनिमय फार्मूला के बाद भी, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या से कम है तो शेष पूर्वागत (बैक लॉग) रिक्तियां, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से, उन्हें अनारक्षित करके भरी जा सकेंगी, किन्तु वैसी अनारक्षित रिक्तियां तीन भर्ती वर्षों तक अग्रणित रहेंगी ;

(ङ) ययदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन--जाति और अत्यन्त पिछड़े और पिछड़े वर्गों की अपेक्षित संख्या आरक्षित रिक्तियों को भरे जाने के लिये उपलब्ध नहीं हो तो पूर्वागत (बैक लॉग) रिक्तों को ही भरने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन--जाति और अत्यन्त पिछड़े और पिछड़े वर्गों, यथास्थिति, के उम्मीदवारों के लिए ही नया विज्ञापन किया जायगा ।

5. **आरक्षण नीति का पुनर्विलोकन :--** (1) राज्य सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह धारा 4 के अधीन विभिन्न आरक्षित कोटियों के लिये नियम अनुपात में धारा 2 के खंड (ग) एवं (घ) में यथा परिभाषित राज्य की सभी स्थापनाओं की विभिन्न सेवाओं या पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन--जाति और अत्यन्त पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति हेतु प्रयास करें ।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक 10 वर्ष के बाद अपनी आरक्षण नीति का पुनर्विलोकन करेगी :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के बाद तुरंत,राज्य विधान मंडल के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में हो, जो एक ही सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकते हैं ; रखा जायेगा ।

6. आदर्श रोस्टरः— (1) राज्य सरकार राज्य और जिला स्तर दोनों की रिक्तियों के लिये सीधी भर्ती के लिए 100 बिन्दुओं और प्रोन्नति के लिए 50 बिन्दुओं का आदर्श रोस्टर विहित करेगी ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अपने नियंत्रणाधीन प्रत्येक कोटि के पदों के लिए सीधी भर्ती और प्रोन्नति हेतु विहित फारम में पृथक् चालू रोस्टर रखेगा ।

7. रियायतः— किसी भी सेवा या पद पर चयन के लिए परीक्षा हेतु विहित शुल्क यदि कोई हो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के उम्मीद्वारों के मामले में घटाकर ¼ कर दिया जायेगा ।

8. सम्पर्क पदाधिकारीः— सरकार के हरेक विभाग में, स्थापना के प्रभारी पदाधिकारी को, जो संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, इस अधिनियम द्वारा उपबंधित मामले के संबंध में सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए विभागीय सचिव द्वारा प्राधिकृत किया जायेगा और वह निम्नलिखित का उत्तरदायी होगाः—

(क) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना ;

(ख) अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करना;

(ग) विवरणियों का समय पर उपस्थापन सुनिश्चित करना ;

(घ) रोस्टरों और यथाविहित ऐसे अन्य अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करना ;

(ङ) प्रशासनिक विभाग और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के बीच सम्पर्क पदाधिकारी के रूप में कार्य करना

(च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के संगठन या किसी व्यक्ति से प्राप्त परिवादों के अन्वेषण में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और आरक्षण आयुक्त को आवश्यक सहायता सुनिश्चित करना ;

9. समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन–जाति के पदाधिकारियों का मनोनयन :— राज्य सरकार हरेक स्थापना/ प्रोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति के एक पदाधिकारी का मनोनयन करेगी ।

10. अभिलेख मांगने की शक्ति :— अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन–जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई सदस्य, जो नियुक्ति प्राधिकारी

द्वारा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुपालन नहीं करने से प्रतिकूलतः प्रभावित होता है, तो वह राज्य सरकार की नोटिस में उस तथ्य को ला सकेगा और उसके द्वारा आवेदन करने पर राज्य सरकार ऐसा अभिलेख मँगा सकेगी या उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जिसे वह उचित समझे ;

11. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई की सुरक्षाः— कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक् कार्यवाही किसी ऐसी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध नहीं चलायी जायेगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई हो या किए जाने के लिए आशयित हो ।

12. शास्ति — यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन कर नियुक्ति/ प्रोन्नति करता है तो वह एक हजार रूपये तक के जुर्माने या तीन महीने के कारावास या दोनों से दंडनीय होगा ।

13. अभियोजन की मंजूरीः— इस अधिनियम के अधीन किसी भी उपराध के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी अभियोजन संस्थित नहीं होगा ।

14. कठिनाईयों का निराकरण :— यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकेगी या ऐसे आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे ।

15. नियम बनाने की शक्तिः— (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले में उपबंध कर सकेगी, यथा—

(क) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्त्ती के लिये अधिकतम आयु–सीमा;

(ख) किसी सेवा या पद पर सीधी भर्त्ती के लिये न्यूनतम अर्हता प्रदायी अंक ;

(ग) वह फारम, जिसमें प्रत्येक स्थापना, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को ऐसी स्थापना में भर्त्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(ध) कोई अन्य विषय जो रखा जानेवाला हो या इस अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित या उसके प्रायोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य कोई विषयः–

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन बनाये गये किसी नियम को बनाये जाने के बाद तुरंत राज्य विधान मंडल के हरेक सदन के समक्ष जब वह कुल चौदह दिनों के लिए सत्र में या दो लगातार सत्र में पड़ सकतें हैं । जिस सत्र में उसे प्रस्तुत किया जाय, उस सत्र में या उसके तुरंत बाद वाली सत्र में दोनों सदन नियम में जो उपान्तरण करने को सहमत हो अथवा यदि इस बात पर सहमत हो कि नियम बनाया ही नहीं जाना चाहिए तो उसके बाद, वह आदेश, यथास्थिति, या तो रूपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, किन्तु नियम के ऐसे रूपान्तरण या बातिल होने से उस नियम के अधीन पहले किये गये किसी काम की मान्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

16. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव :– तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि तथा नियमों न्यायालयों के किये गये किसी निर्णय या डिकी या निर्गत किसी आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम, नियम या संकल्प में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे ;

परन्तु यह कि तत्समय प्रवृत कोई अन्य विधि, नियम, इस अधिनियम से पूर्व बने, निर्गत या जारी कोई आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प, जहां तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हैं, प्रभावी बने रहेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत या पारित समझे जायेंगे ।

17. निरसन एवं व्यावृतिः– (1) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिये) अध्यादेश, 1991 (अध्यादेश संख्या 33, 1991) एवं बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (अध्यादेश संख्या 34, 1991) निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानों यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी ।

<u>अनुसूची:–1</u>

(कृपया देखें धारा 2 (अ))

अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची

1. कपरिया
2. कानू
3. कवार
4. कलन्दर
5. कोछ
6. कुर्मी (महतो) केवल छोटानागपुर डिविजन के लिये ।
7. केवट (कउट)
8. कादर
9. कोरा
10. कोरकू
11. केवर्त्त
12. कुमारभग पहाड़िया
13. खटवा
14. खरवार(सिवान एवं रोहतास जिले के)
15. खतौरी
16. खंगर
17. खटिक
18. खेलटा
19. खतवे
20. खोन्द
21. गौड़ी (छावी)
22. गगाई
23. गंगोता
24. गोड़ या गोंड(सारण तथा रोहतास जिले में)
25. गंधर्व
26. गुलगुलिया
27. गौड़
28. चांय
29. चपौता
30. चन्द्रवंशी (कहार)
31. टिकुलहार
32. ढेकारू
33. तांती (ततवा)
34. तमरिया
35. तुरहा
36. तियर
37. धारू
38. धानुक
39. धामिन
40. धीमर
41. धनवार
42. नानिया
43. नइया
44. नाई
68. मलार (मालहोर)
69. मौलिक
70. राजधोबी
71. राजभर
72. रंगवा
73. बनपर
74. बेदिया
75. सौटा (सोता)
76. संतराश([illegible] के [illegible])
77. अगरिया
78. अघोरी
79. अबदल

45. नामशुद्र
46. पाण्डी
47. पाल (भेड़िहार गड़ेरी)
48. प्रधान
49. पिनगनिया
50. पहिरा
51. वारी
52. बेलदार
53. बिन्द
54. बनजारा
55. सेखड़ा
56. बागदी
57. भुईयार
58. भार
59. भुइया
60. भास्कर
61. माली(मालाकार)
62. मांगर
63. मदार
64. मल्लाह(सुरहिया)
65. मझवार
66. मारकन्डे
67. मोरियारी
80. कसाब (कसाई) (मुस्लिम)
81. चीक (मुस्लिम)
82. डफाली (मुस्लिम)
83. धुनिया (मुस्लिम)
84. धोबी (मुस्लिम)
85. नट (मुस्लिम)
86. पमरिया (मुस्लिम)
87. भठियारा (मुस्लिम)
88. भाट (मुस्लिम)
89. मेहतर, लाल बेगीया,हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)
90. मिरियासीन (मुस्लिम)
91. मदारी (मुस्लिम)
92. मोरशिकार (मुस्लिम)
93. साई (मुस्लिम)
94. मोमिन (मुस्लिम)

नोटः– उन जाति तथा वर्गो को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है हिन्दु तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिये जैसे– तेली में दोनों हिन्दू तथा मुसलमान होंगे ।

अनुसूचीः—2

(कृपया देखें धारा 2 (ज))

पिछड़े वर्गो की सूची

1. अमात
2. कागाजी
3. कमार (लोहार और कर्मकार)
4. कुशवाहा (कोईरी)
5. कोरता
6. गददी
7. घटवार
8. चुड़ीहार (मुस्लिम)
9. चनउ
10. जदुपतिया
11. जोगी
12. तमोली
13. तेली
14. देवहार
15. नालबंद(मुस्लिम)
16. प्रजापति (कुम्हार)
17. परथा
18. बढ़ई
19. बड़ई
20. बनिया (सूढ़ी, हलवाई, रौनियार, पनसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेर, कलवार, पटवा, कमलापुरी, वैश्य, सिन्दुरिया बनिया, माहुरी वैश्य, अवध बनिया, बगी वैश्य (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरा वैश्य, (पोद्दार)
21. मुकरी (मुकेरी) (मुस्लिम)
22. यादव (ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर)
23. राजवंशी (रिसिया या पोलिया)
24. रंगरेज (मुस्लिम)
25. रौतिया
26. राईन या कुजरा (मुस्लिम)
27. लहेड़ी
28. शिवहरी
29. सोनार
30. सुत्रधार
31. सुकियार
32. इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम)
33. ईसाई धर्मावलम्बी (हरिजन)
34. ईसाई धर्मावलम्बी (अन्य पिछड़ी जाति)
35. कुर्मी (महतो)

नोटः— उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिये, जैसे— तेली में दोनों हिन्दू तथा मुसलमान तेली ।

ह०/—
(विन्देश्वरी प्रसाद यादव)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

विधि विभाग

अधिसूचना

7 जनवरी 1992

सं0 एल0जी0— 1—040/91— लेज0—5— बिहार वि न मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 2 जनवरी 1992 को अनुमत बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन—जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम सं0 3, 1992) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार— राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

The Bihar Act 3, 1992

THE BIHAR RESERVATION OF VACANCIES IN POSTSAND SERVICES (FOR SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES) Act, 1991.

AN

ACT

TO PROVIDE FOR ADEQUATE REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASES IN POSTS AND SERVICES UNDER THE STATE.

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Forty-Second year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement -

(1) This Act may be called the Bihar Reservation of Vacancies in posts and services (for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1991.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect except section 4, which shall be deemed to have come into force with effect from the Ist November, 1990.

2. Definitions - In this Act, unless the context other wise requires -

(a) "Appointing authority" in relation to a Service or post in an establishment, means the authority empowered to make appointment to such services or posts;
(b) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act and published in the Official Gazette ;
(c) "Establishment" means any Office or department of the State concerned with the appointments to public services and posts in connection with the affairs of the State and includes (i) local or statutory authority constituted under any State Act for the time being in force, or (ii) a co-operative institution registered under the Bihar Co-operative Societies Act, 1935 (Act 6 of 1935) in which share is held by the State Government or which receives aid from the State Government in terms of loan, grant, subsidy etc. and (iii) Universities and Colleges affiliated to the Universities, Primary, secondary and High Schools and also other educational institutions which are owned or aided by the State Government and (iv) an establishment in public sector ;
(d) "Establishment in public sector" means any industry, trade, business or occupation owned, controlled or managed by -
   (i) the State Government or any department of the State Government ;

(ii) a Government Company as defined in section 617 of the Companies Act, 1956 (Act 1 of 1956) or a Corporation established by or under a Central or State Act, in which not less than fifty one percent of the paid-up share capital is held by the State Government.

(e) "Recruitment Year" means the calendar year during which a recruitment is actually made;

(f) "Reservation" means reservation of vacancies in posts and services for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes;

(g) "Scheduled Castes" shall have reference to the Scheduled Castes specified in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 made under Article 341 of the Constitution of India and as amended from time to time;

(h) "Scheduled Tribes" shall have reference to the Scheduled Tribes specified in the Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950 made under Article 342 of the Constitution of India and as amended from time to time;

(i) "Other backward Classes" shall have reference to extremely backward and backward class economically backward and economically back ward women;

(j) "Extremely Backward and Backward Classes" mean and includes those castes which have been mentioned and circulared vide Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar, Resolution No. 11/A1-501/78-756/Ka, dated the 10th November, 1978 as amended from time to time and specified in Schedule I and II of this Act and whose annual family income from all sources is less than the income tax limit;

(k) "Economically Backward " mean and include those candidates whose annual family income from all sources is less than the income-tax limit.

(l) "Economically Backward Women" mean and include those candidates whose annual family income from all sources is less than the income-tax limit;

(m) "Merit list" means the list of candidates arranged in order of merit prepared according to the rules and orders issued by the State Government and adopted by competent authority for making appointments in respect of initial recruitment or promotion;

(n) "State" includes the Government, the Legislature and the Judiciary of the State of Bihar and all local or other authorities within the State or under the control of the State Government.

3. **Applicability**-(1) This Act shall not apply in relation to-

(a) any employment under the Central Government;
(b) any employment in private sector;
(c) any employment in the domestic services
(d) those which are filled up by transfer or deputation;
(e) those which fall vacant when a person goes on deputation;
(f) temporary appointments of less than 45 days duration;
(g) appointments made on compassionate ground on the death of a government servant while in service;
(h) such other posts as the State Government may from time to time by order of specify.

Provided that every order made under this section shall be laid as soon as may be, after it is made, before the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days, which may comprise in one session or in two successive sessions.

4. Reservation for direct recruitment- All appointments to services and posts in an est[illegible] which are to be filled by direct recruitment shall be regulated in the fol[illegible] namely:-

[illegible] vacancies shall be filled up-

(a) from open merit category	-	50%
(b) from reserved category	-	50%

(2) The vacancies from different categories of reserved candidates from amongst the 50% reserved category shall, subject to other provisions of this Act, be as follows-

(a) Scheduled Castes	-	14%
(b) Scheduled Tribes	-	10%
(c) Extremely Backward Class	-	12%
(d) Backward Class	-	8%
(e) Economically Backward Women	-	3%
(f) Economically backward	-	3%
Total	-	**50%**

Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, fix different percentage for different districts in accordance with the percentage of population of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other backward classes in such districts:

Provided further that in case of promotion, reservation shall be made only for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the same proportion as provided in this section.

(3) A reserved category candidate who is selected on the basis of his merit shall be counted against 50% vacancies of open merit category and not against the reserved category vacancies.

(4) Not withstanding anything contained to the contrary in this Act or in any other law or rules for the time being in force, or in any judgement or decree of the Court, the provision of sub-section (3) shall apply to all such cases in which all formalities of selection have been completed before the 1st November 1990, but the appointment letters have not been issued.

(5) The vacancies reserved for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other Backward Classes shall not be filled up by candidates not belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes except as otherwise provided in this Act.

(6) **(a) In case of non-availability of suitable candidates from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for appointment and promotion in vacancies reserved for them, the vacancies shall continue to be reserved for three recruitment years and if suitable candidates are not available even in the third year, the vacancies shall be exchanged between the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the vacancies so filled by exchange shall be treated as reserved for the candidates for that particular community who are actually appointed.**

(b) In case of non-availability of suitable candidates from the Extremely backward classes and backward Classes the vacancies so reserved shall continue to be reserved for them for three recruitment years and if suitable candidates are not available even in the third year also, the vacancies shall be filed by exchange between the candidates from the extremely backward and Backward classes and the vacancies so filled.-

by Exchange shall be treated as reserved for the canditates of that particular community who are actually appointed.

(c) In case of non-availability of suitable candidates for the vacancies reserved for the economically backward women the vacancies shall be filled first by the candidates from the Scheduled Castes, then by the candidates from the Scheduled Tribes, then by the candidates from extremely backward class, and then by the candidates from backward class. The vacancies so filled in the transaction shall be treated as reserved for the candidates of that particular community who are actually appointed.

(d) If in any recruitment year, the number of candidates of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, extremely Backward and Backward Classes are less than the number of vacancies reserved for them even after exchange formula the remaining backlog vacancies may be filled by general candidates after dereserving them but the vacancies so dereserved shall be carried forward for three recruitment years.

(e) If the required number of candidates of Scheduled Castes, Schedule Tribes andExtremely Backward and Backward Classes are not available for filling up the reserved vacancies, fresh advertisement may be made only for the candidates belonging to the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Extremely Backward and Backward Classes, as the case may be, to fill the backlog vacancies only.

5 . Review of Reservation Policy - (1) It shall be the duty of the State Government to strive to achieve the representation of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other Backward Classes in the various services or posts of all the establishments of the State as defined in clauses (c) and (d) of Section 2 in the proportion fixed for various reserved categories under Section 4.

(2) The State Government shall review its reservation policy after every ten years:

Provided that every order made under sub-section (2) shall be laid as soon as may be afterit is made, before the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one or in two successive sessions.

6. Model Roster- (1) The State Government shall prescribe a Model Roster of 100 points for direct recruitment and 50 points for promotion both for the State and District level vacancies.

(2) The appointing authority shall maintain separate running rosters for recruitment and promotion in prescribed from for each category of posts under his control.

7. Concession- Fees, if any, prescribed for any examination for selection to any services or post shall be reduced to 1/4 in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

8. Liaison Officer-In each department of the Government, an officer-in-charge of establishment, not below the rank of Joint Secretary, shall be authorised by the Secretary of the Department to act as a Liaison Officer in respect of the matters provided underthis Act and shall be responsible for, -

(a) ensuring proper implementation of the provisions of this Actand rules made thereunder;

(b) ensuring compliance by the subordinate authority.

(c) ensuring timely submission of the returns.

(d) ensuring annual inspections of Rosters and such other records, as may be prescribed.

(e) acting as a Liaison Officer between the Administrative Department and the Department of Personnel and Administrative Reforms.

(f) ensuring necessary assistance to Department of Personnel and Administrative Reforms, and the Reservation Commissioner in the investigation of complaints received from any organisation or an individual belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other Backward Classes.

9. **Nomination of Scheduled Castes/Scheduled Tribes officer in Committee-** The State Government shall nominate an Officer of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes on ever Establishment/Promotion Committee.

10. **Power to call for record -** Any member of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes who is adversely affected on account of the non-compliance with the provisions of this Act or the rules made thereunder by any appointing authority, may bring the fact to the notice of the State Government and upon application made by him the State Government may call for such records or take such action theron as it may think fit.

11. **Protection of action taken in good faith -** No suit, prosecution or ther legal proceeding, shall lie against any person for any thing which is done or intended to be done in good faith under this Act.

12. **Penalty-** If any appointing authority makes an appointment promotion in contravention of any of the provisions of this Act he shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees or imprisonment for 3 months or both.

13. **Sanction for prosecution-** No prosecution for an offence under this Act shall be instituted without the prior sanction of the State Government.

14. **Removal of difficulties -** If any difficulty arises in giving effectto the provisions of this Act the State Government may take such steps or issue such orders not inconsistent with the provisions of this Act as it may consider necessary for removing the difficulty.

15. **Power to make Rules-** (1) The State Government may make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) Maximum age-limit for first recruitment to any service or post.

(b) The minimum qualifying marks for direct recruitment to any service or post.

(c) Form in which every establishment shall submit annual report to the department of Personnel and Administrative Reforms regarding number of persons recruited in such establishment.

(d) Any other matter which has to be made or any other matter connected with or for the purpose of carrying out the provisions of this Act;

Provided that every rule made under this Section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before expiry of the session in which it is so laid or the session immediatelh following, both the houses agreein making any modification in the rule or both the Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter haveeffect only in such modified form or be of no, effect as the casemay be, so, owever, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

16. Overriding effect of the Act- Notwithstanding any thing contrary in any other law and Rules for the time being in force, any judgement or decree of court, any order, notification, circular, scheme, rule or resolution made or issued the provisions of this Act shall have effect:

Provided that any other law, rule for the time being in force, any order, notification, circular, scheme, resolution made, issued or passed prior to this Act, so far as it is not inconsistent with this Act, shall continue to be in force and shall be deemed to have been made, issued or passed under this Act.

17. Repeal and Savings -

(1) The Bihar Reservation of vacancies in Post and services (For scheduled castes, schedule Tribes and other Backeard classes) Ordinance, 1991 (Bihar ordinance no. 33, 1991) and The Bihar Reservation to vacancies in Posts and services (For schedule Castes, scheduled Tribes and other Backward classes) (Amendment) Ordinance 1991 (Bihar Ordinance no. 34, 1991) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in the exercise of any power conferred by or under the said ordinance shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under this Act as if this Act were in force on the day on which such thing or action was done or taken:

****

SCHEDULE- I

LIST OF EXTREMELY BACKWARD CLASSES

1. Kapadia
2. Kanu
3. Kawar
4. Kalandar
5. Kochh
6. Kurmi (Mahto) (Only for Chhotanagpur Division)
7. Kewat (Kaut)
8. Kadar
9. Kaura
10. Korku
11. Kaibart
12. Kumar Bhag Paharia
13. Khatwa
14. Kharwar
15. Khatouri
16. Khangar
17. Khatik
18. Khekta
19. Khatwe
20. Khond
21. Gorhi (Chhabi)
22. Gangai (Nagesh)
23. Gangota
24. Gour or Gonr
25. Gandharb
26. Gulgalia
27. Gour
28. Chain
29. Chapota
30. Chandrabansi (Kahar)
31. Tikulhar
32. Dhekaru
33. Tanti (Tatwa)
34. Tamaria
35. Turha
36. Tiar
37. Tharu
38. Dhanuk
39. Dhamin
40. Dhimar
41. Dhanwar
42. Nonia
85. Nut. (Muslim)
43. Naiya
44. Nai
45. Namsudar
46. Pandu
47. Pal (Bherihar) (Gareri)
48. Pradhan
49. Pingania
50. Pahira
51. Bari
52. Beldar
53. Bind
54. Banjara
55. Shekhra
56. Bagdi
57. Bhuiyar
58. Bhar
59. Bhuiya
60. Bhaskar
61. Mali (Malakar)
62. Mangar
63. Madar
64. Mallah)Surhia)
65. Majhwar
66. Markandey
67. Moriyari
68. Malar (Malhor)
69. Molik
70. Rajdhobi
71. Rajbhar
72. Rangwa
73. Banpar
74. Bedia
75. Shota (Shota)
76. Sang-Trash (for Nawadah district)
77. Agaria
78. Aghouri
79. Abdal
80. Kasab (Kasai) (Muslim)
81. Chik (Muslim)
82. Dafali (Muslim)
83. Dhunia (Muslim)
84. Dhobi (Muslim)
90. Miriasin (Muslim)

86. Pamaria (Muslim)
87. Bhathiara (Muslim)
88. Bhat (Muslim)
89. Mehtar Lalbegia Halal-khor Bhangi (Muslim)
91. Madari (Muslim)
92. Meershikar (Muslim)
93. Saeen (Muslim)
94. Momin (Muslim)

NOTE -Those castes and classes in respect of whom the word Muslim has not specdifically been mentioned, would belong to both Hindu and Muslim communities. For example Teli means both Hindu and Muslim Teli.

****

SCHEDULE-II

LIST OF BACKWARD CLASSES

1. Amat
2. Kagji.
3. Kamar (Lohar & Karmakar)
4. Kuswaha (Koiri)
5. kosta
6. Gaddi
7. Ghatwar
8. Churihar (Muslim)
9. Chanau
10. Jadupatia
11. Jogi (Jugi)
12. Tamoli
13. Teli
14. Dewhar
15. Nalband (Muslim)
16. Prajapati (Kumhar)
17. Partha
18. Barhi
19. Barai
20. Bania, (Sundi, Halwai Roniar, Pansari, Modi Kasera, Kesarwani, Thathera, Kalwar, Patwa kamlapuri, Vaishya, Sinduria-Bania, Mahuri Vaishya, Awadh Bania, Bangia Vaishya, (Ben Gali Bania), Barnwal, Agrahari Vaishya, Poddar.
21. Mukri (Mukeri) (Muslim)
22. Yadav. (Gwala, Ahir, Gora Ghasi, Mehar).
23. Rajhansi (Risia or Polia)
24. Rangrej (Muslim)
25. Rautia.
26. Raeen or Kunjara (Muslim)
27. Laheri
28. Shivhari
29. Sonar
30. Sutardhar
31. Sukiar
32. Idiris or Darzi (Muslim)
33. Isai Dharmawalambi (Harijan)
34. Isai Dharmawalambi (Anya Pichari Jati)
35. Kurmi (Mahto)

NOTE - Those castes and classes in respect of whom the wor Muslim has not specifically been mentioned, would belong to both Hindu and Muslim communities. For example Teli means both Hindu and Muslim Teli.

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(विन्देश्वरी प्रसाद यादव)
सारकार के संयुक्त सचिव ।

****

5. बिहार अधिनियम 17, 2002 (मूल)

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) (संशोधन) अधिनियम 2002 ।

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम–3, 1991) (समय–समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ – (1) यह अधिनियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार अधिनियम 3, 1992 की धारा 4 का संशोधन – उक्त अधिनियम की धारा–4 की उप–धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी, यथा–

"(2) आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्याधीन, निम्नलिखित रूप में होगी :–

(क)	अनुसूचित जातियां	..	..	..	16 %
(ख)	अनुसूचित जनजातियां	..	..	..	01 %
(ग)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	..	..	..	18 %
(घ)	पिछड़ा वर्ग	..	..	..	12 %
(ङ)	पिछड़े वर्गों की महिलाएं	..	..	..	03 %
				कुल ..	50 %

परन्तु यह कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर जिलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए विभिन्न प्रतिशत नियत कर सकेगी;

परन्तु यह और कि प्रोन्नति के मामले में केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के लिए इस धारा में यथा उपबंधित अनुपात में आरक्षण किया जायेगा ।"

3. निरसन :— एतद्संबंधी पूर्व में निर्गत ऐसे सभी आदेश /संकल्प / परिपत्र /अधिनियम जो इस संशोधन अधिनियम से असंगत हो, इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे ।

26 अगस्त, 2002

सं० एल० जी० 1—08/2001/लेज—249—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा 23 अगस्त, 2002 को अनुमत बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन—जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए.) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम, 17, 2002) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा:—

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/—
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के सचिव ।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 माघ 1937 (श0)

(सं0 पटना 148) पटना, मंगलवार, 16 फरवरी 2016

सं0 11/आ0नी0–I–11/2015 सा0प्र0—2342

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।

पटना–15, दिनांक 15 फरवरी 2016

विषय :– **बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/संवर्गों के सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए प्रावधानित 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में चयन की प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–963 दिनांक 20.01.2016 द्वारा राज्य की सेवाओं में सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्गों की महिलाओं हेतु 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस क्रम में यह भी प्रावधानित है कि योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्त्ती वर्ष में संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित) के पुरूष उम्मीदवारों से पदों को भरा जा सकेगा। विवेचित संकल्प में 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया एवं रोस्टर बिन्दु का निर्धारण अलग से करने का निर्णय लिया गया है।

विदित हो कि विवेचित आरक्षण का प्रावधान करने के क्रम में विद्वान महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"However, a 3 Judge Bench of the Hon'ble Supreme Court in the case of Rajesh Kumar Daria Vs. Rajasthan Public Service Commission & Others reported in (2007) 8

SCC 785 quoted with approval in paragraph No.7 the method of implementing special reservation, which is a horizontal reservation as explained in the case of Anil Kumar Gupta Vs. the State of U.P. reported in (1995) 5 SCC 173 at page-185.

The proper and correct course is to first fill up the OC (open competition) (50%) on the basis of merit, then fill up each of the social reservation quotas i.e. SC, ST, and BC; the third step would be to find out how many candidates belonging to special reservations have been selected on the above basis. If the quota fixed for horizontal reservation is already satisfied- in case it is an overall horizontal reservation-no further question arises. But if it is not so satisfied, the requisite number of special reservation candidates shall have to be taken and adjusted/accommodated against their respective social reservation categories by deleting the corresponding number of candidates there from. (If however, it is a case of compartmentalized horizontal reservation, then the process of verification and Adjustment/ accommodation as stated above should be applied separately to each of the vertical reservation. In such a case, the reservation of fifteen percent in favour of special categories, overall, may be satisfied or may not be satisfied)."

महाधिवक्ता, बिहार के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में 35 प्रतिशत महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण क्रमवार निम्नवत् किया जाता है :–

सुविधा की दृष्टि से 100 पदों पर नियुक्ति के विरूद्ध चयन की प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

(क) सर्वप्रथम 50 प्रतिशत मेधा (मेरिट) के आधार पर चयन किया जायेगा। इसमें आरक्षित वर्ग/गैर आरक्षित वर्ग के सभी महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं।

(ख) दूसरे चरण में आरक्षित वर्ग के 50 प्रतिशत पदों हेतु चयन किया जायेगा। इसमें 47 प्रतिशत के विरूद्ध आरक्षित वर्ग के सभी महिला एवं पुरूष अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि शेष 3 प्रतिशत पद सभी आरक्षित वर्ग की मात्र महिलाओं हेतु अनुमान्य है।

(ग) चयन के तीसरे चरण में इसकी गणना की जाएगी कि 100 पदों हेतु चयनित सूची में बिना 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के अलग–अलग आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में कितनी महिलाएँ चयनित हो पायी हैं। यदि उनका 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूरा हो गया हो, तो यह चयन सूची नियुक्ति हेतु अंतिम मानी जायेगी। यदि इस आधार पर महिलाओं का 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कोटा पूर्ण नही होता है, तो जिस वर्ग विशेष (आरक्षित/गैर आरक्षित) में महिलाओं की संख्या में कमी होगी, उस कोटि में 35 प्रतिशत की सीमा तक इसे पूरा करने के लिए मेधा क्रम में न्यूनतम स्थान वाले पुरूष अभ्यर्थियों को उतनी संख्या में हटाया जायेगा जिससे कि 35 प्रतिशत की महिलाओं की आरक्षण सीमा पूरी हो जाय। यदि न्यूनतम स्थान पर महिला अभ्यर्थी होंगी, तो उन्हें न हटाकर मेधा क्रम में उनसे ऊपर वाले पुरूष अभ्यर्थी को हटाया जायेगा। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है :–

संकल्प संख्या–963 दिनांक 20.01.2016 में निहित प्रावधानानुसार गैर आरक्षित वर्ग में 50 का 35% = 17.50 अर्थात 17 पद महिलाओं को अनुमान्य होगा, परन्तु यदि 10 महिलाएँ ही चयनित हो पाई हो, तो मेधा क्रम में नीचे से 7 (सात) पुरूष अभ्यर्थियों को (महिलाओं को नहीं) हटाकर मेधा क्रम (Open merit category) के अनुसार 7 (सात) महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जायेगा। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में 16 का 35% = 5.60 अर्थात 6 पद महिलाओं को अनुमान्य होगा, परन्तु यदि 4 (चार) महिलाएँ ही चयनित हो पाई हों, तो मेधा क्रम में नीचे से 2 (दो) पुरूष अभ्यर्थियो को (महिलाओ को नहीं) हटाकर 2 (दो) अनुसूचित जाति के महिला अभ्यर्थियों का चयन कर लिया जायेगा। समरूप प्रक्रिया अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग में भी अपनायी जायेगी।

50 प्रतिशत मेरिट तथा 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के आधार पर नियमानुसार चयन सूची तैयार करने के उपरान्त महिलाओं की संख्या स्वतः 35 प्रतिशत से अधिक हो जाने की स्थिति में इसे यथावत् रखा जायेगा।

महिलाओं हेतु संदर्भित 35 प्रतिशत आरक्षण 50 प्रतिशत मेधा सूची तथा 47 प्रतिशत आरक्षित सूची अर्थात कुल–97 प्रतिशत के विरूद्ध दी जा रही है। यह संख्या 34 आती है, जिसके आधार पर गैर आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित वर्ग में से प्रत्येक को 17 पद अनुमान्य कराये जायेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–458 दिनांक 30.09.2002 द्वारा नियुक्ति हेतु परिचारित 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर के अनुसार महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के आधार पर रोस्टर बिन्दु का निर्धारण संबंधी परिशिष्ट इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

विश्वासभाजन,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

परिशिष्ट

35 प्रतिशत महिला हेतु क्षैतिज आरक्षण संबंधी मॉडल रोस्टर

(i) गैर आरक्षित वर्ग–	रोस्टर बिन्दु–	3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91 एवं 97	= 17 पद।
(ii) अनुसूचित जाति–	रोस्टर बिन्दु–	10, 24, 40, 62, 78 एवं 98	= 06 पद।
(iii) अनुसूचित जनजाति–	रोस्टर बिन्दु–	(शून्य)	= 0 पद
(iv) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–	रोस्टर बिन्दु –	8, 26, 42, 60, 76, 94 एवं 100	= 07 पद।
(v) पिछड़ा वर्ग–	रोस्टर बिन्दु–	12, 38, 64 एवं 90	= 04 पद।
			कुल–34 पद।

नोटः–

1. महिलाओं हेतु संदर्भित 35 प्रतिशत आरक्षण 50 प्रतिशत मेधा सूची तथा 47 प्रतिशत आरक्षित सूची अर्थात कुल–97 प्रतिशत के विरूद्ध दी जा रही है। यह संख्या 34 आती है, जिसके आधार पर गैर आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित वर्ग में से प्रत्येक को 17 पद अनुमान्य कराये जायेंगे।
2. उल्लेखनीय है कि 100 बिन्दुओं के आदर्श रोस्टर में अनुसूचित जनजाति के लिए मात्र 01 बिन्दु अनुमान्य है। इसलिए प्रत्येक 300 रिक्त पदों में अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमान्य तीसरा पद (रोस्टर बिन्दु–244) अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित किया जा सकता है। जब अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए 01 पद अर्थात रोस्टर बिन्दु–244 आरक्षित किया जायेगा, वैसी स्थिति में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में महिलाओं के लिए मात्र 06 बिन्दु ही अनुमान्य किया जा सकता है, ताकि आरक्षण प्रतिशत अपरिवर्तित रहे।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 148-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 माघ 1937 (श0)

(सं0 पटना 152) पटना, वृहस्पतिवार, 18 फरवरी 2016

सं० 11/आ0नी0–I–10/2015–2526/सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेपक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।

पटना–15, दिनांक 18 फरवरी 2016

विषय :– **राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के क्रम में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–13185 दिनांक 03.09.2015 द्वारा बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है, परन्तु इनके लिए सरकार द्वारा स्वीकृत नियुक्ति संबंधी मॉडल रोस्टर में रोस्टर बिन्दु का निर्धारण नहीं किये जाने के कारण इनके चयन मे कठिनाई हो रही है। अतः भली–भाँति विचारोपरान्त इस संदर्भ में निम्न निर्णय लिये गए हैं :–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–458 दिनांक 30.09.2002 द्वारा नियुक्ति हेतु परिचारित 100 बिन्दुओं मॉडल रोस्टर में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/ नाती/नतीनी को 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा।

(ii) यदि कोई समव्यवहार रोस्टर बिन्दु–50 तक ही व्यवहृत हो रहा हो, तो उपलब्धता के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी में से 1 (एक) अभ्यर्थी का चयन क्षैतिज आरक्षण के तहत कर लिया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी जिस आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि से संबंधित होगा, उसकी गिनती संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग) में की जायेगी। योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी समव्यवहार में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी से इतर आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग के सामान्य उम्मीदवारों से पदों को भर लिया जायेगा। इसे अगले समव्यवहार हेतु अग्रणित नहीं किया जायेगा।

(iii) यदि कोई समव्यवहार रोस्टर बिन्दु–100 तक व्यवहृत हो रहा हो, तो उपलब्धता के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी में से 2 (दो) अभ्यर्थियों का चयन क्षैतिज आरक्षण के तहत कर लिया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी जिस आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि से संबंधित होंगे, उनकी गिनती संगत कोटि (आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग) में की जायेगी। योग्य अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी समव्यवहार में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी से इतर आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग के सामान्य उम्मीदवारों से पदों को भर लिया जायेगा। इसे अगले समव्यवहार हेतु अग्रणित नहीं किया जायेगा।

(iv) स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के क्षैतिज आरक्षण के तहत चयन की प्रक्रिया को निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है :–

यदि कोई समव्यहार रोस्टर बिन्दु 100 तक व्यवहृत हो रहा हो और स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी वर्ग से चयनित होने वाले अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, तो मेधा क्रम में गैर आरक्षित वर्ग के अंतिम दो उम्मीदवारों के स्थान पर उनका चयन किया जायेगा। यही प्रक्रिया आरक्षित वर्गों के मामलों में भी अपनायी जायेगी। प्रत्येक स्थिति में अंतिम मेधा क्रम वाले आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग के सामान्य उम्मीदवारों के स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी के संबंधित उम्मीदवारों का क्षैतिज आरक्षण के तहत चयन किया जायेगा।

विश्वासभाजन,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 152-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1940 (श0)
(सं0 पटना 268) पटना, शनिवार, 23 फरवरी 2019

विधि विभाग

अधिसूचना

23 फरवरी 2019

सं० एल०जी०–01–02/2019/1520 लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 फरवरी 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

(बिहार अधिनियम 2, 2019)

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019

प्रस्तावनाः—चूँकि संविधान (एक सौ तीनवाँ संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा भारत संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 15 में खंड (6) एवं 16 में खंड (6) के अंतः स्थापन के अनुशरण में और राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, जो बिहार सरकार में पदों तथा सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए वर्त्तमान आरक्षण स्कीम के अधीन आच्छादित नहीं है, को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण उपलब्ध कराना और;

बिहार सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण बिहार सरकार के पदों एवं सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राज्याधीन सेवाओं एवं पदों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए एक अधिनियम का प्रावधान करना आवश्यक एवं समीचीन है;

इसलिए अब भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष मे बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।— (1) यह अधिनियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियो मे तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।— **इस अधिनियम में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो** —

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी / सक्षम पदाधिकारी"** से किसी स्थापना में सेवा या पद के संबंध में, अभिप्रेत है नियुक्ति करने हेतु सशक्त प्राधिकारी / कोई व्यक्ति जो शैक्षणिक संस्थानो की दशा में नामाकन हेतु उत्तरदायी हो;

(ख) **"विहित"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनी नियमावली द्वारा विहित और राजपत्र में प्रकाशित;

(ग) **"स्थापना"** से अभिप्रेत है, राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार,

(2) बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम—6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर पूंजी लगाई गयी हो और जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहायिकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता हो और

(3) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया हो या सहायता प्रदान करती हो, और

(4) सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान;

(घ) **"सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना"** से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत / नियंत्रित या प्रबंधित हो :—

(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग,

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम—1, 1956) की धारा 617, में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, जिसमे राज्य सरकार द्वारा समादत्त शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगायी गई हो;

(ङ) **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग"** से अभिप्रेत है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेन्डम F.No.36039/1/2019-Estt. (Res.) दिनांक 19.01.2019 में यथा परिभाषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति; तथा जो भविष्य में समय—समय पर यथा संशोधित किया जाय ;

(च) **"भर्त्ती वर्ष"** से अभिप्रेत है पंचाग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्त्ती / नामांकन की जानी हो;

(छ) **"आरक्षण"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण;

(ज) **"गुणागुण सूची"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा नियुक्ति करने के लिए या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए लागू आदेशों के अनुसार गुणागुण क्रम से तैयार की गई व्यवस्थित उम्मीदवारों की सूची;

(झ) **"राज्य"** में सम्मिलित है बिहार राज्य की सरकार, विधानमंडल और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार एवं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान;

3. **प्रयोज्यता (नियुक्ति करने के संबंध में)।– यह अधिनियम निम्नलिखित के संबंध में लागू नहीं होगा :–**

(क) केन्द्र सरकार के अधीन कोई नियोजन;
(ख) निजी क्षेत्र में कोई नियोजन;
(ग) घरेलू सेवाओं में कोई नियोजन;
(घ) जो स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हों;
(ङ) जो किसी व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति से रिक्त होता हो;
(च) 45 (पैंतालीस) से कम दिनों के लिए अस्थायी नियुक्तियाँ;
(छ) सेवारत सरकारी सेवक की मृत्यु पर अनुकम्पा के आधार पर की गई नियुक्ति, और–
(ज) ऐसे अन्य पद जिसे राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट करे,

4. **सीधी भर्त्ती के लिए आरक्षण।–**

(1) किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सभी नियुक्तियों में, जो सीधी भर्त्ती द्वारा भरी जाने वाली हो, 10 प्रतिशत रिक्तियाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी।

परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(2) अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि में की जायेगी।

5. **शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण।–**

(1) पूर्णतः या अंशतः सहायता प्राप्त राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी।

यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी अधिनियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी।

परन्तु राज्य से बाहर के अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(2) अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, की गणना खुली गुणागुण कोटि में की जायेगी।

(3) बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा दी गई आरक्षण प्रतिशत एवं उनके द्वारा, समय–समय पर दी गई संशोधित आरक्षण प्रतिशत के सिवाय कोई अन्य आरक्षण नहीं दिया जायेगा।

6. **अभिलेख मांगने की राज्य सरकार की शक्ति।–** आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई सदस्य, जो नामांकन पदाधिकारी द्वारा इस अधिनियम या उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुपालन के चलते नामांकन प्रभारी पदाधिकारी के किसी कार्रवाई द्वारा प्रतिकूलतः प्रभावित होता है तो वह राज्य सरकार को इस तथ्य की सूचना दे सकेगा और उसके द्वारा आवेदन करने पर, राज्य सरकार, वैसे अभिलेखों को मंगा सकेगी या उस पर ऐसी कार्रवाई कर सकेगी, जिसे वह उचित समझे।

7. **सद्भावना पूर्व की गई कार्रवाई के लिये किसी कार्यवाही का वर्जन।–** कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध संस्थित नहीं की जायेगी, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या किये जाने के लिए आशायित हो।

8. **शास्ति।–** यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी या नामांकन प्रभारी पदाधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन में नियुक्ति/नामांकन करता है तो वह ऐसे जुर्माने से जिसे एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा या ऐसे कारावास से जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

9. **कठिनाईयों का निराकरण।–** यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार ऐसी कार्रवाई कर सकेगी या ऐसे आदेश निर्गत कर सकेगी जो इस अधिनिमय के प्रावधानों से असंगत न हो, और जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए, आवश्यक समझे।

10. **नियम बनाने की शक्ति।–** राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी:

"परन्तु इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए रखा जायेगा, जो एक सत्र या दो या उससे अधिक अनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपर्युक्त अनुक्रमिक सत्रों के सत्रावसान से पहले दोनों सदन उस नियम

में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हों कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम का प्रभाव केवल उस उपांतरित प्ररूप में होगा अथवा नहीं होगा, फिर भी कोई उपांतरण अथवा बातिलीकरण उस नियम के अधीन पूर्व में किये गए कुछ भी की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।"

11. **विनिमय।**– यदि किसी भर्त्ती वर्ष में या किसी सत्र के नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवार आरक्षित कोटि से भरे जाने वाले इस अधिनियम के अधीन विहित आरक्षण प्रतिशत तक उपलब्ध न हों तो बची हुई रिक्तियां/सीटें उसी समव्यवहार अथवा उसी भर्त्ती वर्ष में खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवारों से भरी जायेंगी।

12. **अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।**– तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि तथा नियमों, किसी न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री या किया गया या निर्गत किसी आदेश, अधिसूचना परिपत्र, स्कीम, नियम या संकल्प में प्रतिकूल किसी बात से होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रावधान अभिभावी होंगे:

परंतु तत्समय प्रवृत्त कोई अन्य विधि, नियम इस अधिनियम के पूर्व बने, निर्गत या पारित किया गया कोई आदेश या अधिसूचना, परिपत्र, स्कीम या संकल्प जहाँ तक वे इस अधिनियम से असंगत नहीं हों, लागू रहेंगे तथा इस अधिनियम के अधीन निर्गत या पारित समझे जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

---

23 फरवरी 2019

सं० एल०जी०–01–02/2019/1521 लेज।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2019 को अनुमत **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 2, 2019)** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

(Bihar Act 2, 2019)

The Bihar Reservation in vacancies in posts and in services and in Admissions in the Educational Institutions (For Economically Weaker Sections) ACT, 2019.

AN ACT

The Bihar Reservation in vacancies in posts and in services and in Admissions in the Educational Institutions (For Economically Weaker Sections) ACT, 2019.

Preamble :-

WHEREAS in-pursuance of insertion of Clause (6) and (6) in article 15 and 16 respectively of the Constitution of India vide the Constitution (One Hundred & Third Amendment) Act 2019, it has to be provided reservation on preferential basis to the Economically Weaker Sections (EWSs) of the State, who are not covered under the existing scheme of reservation for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the socially and educationally backward classes to receive the benefit of reservation on a preferential basis in the posts and services in the Government of Bihar and admission in Educational Institutions;

AND whereas it has been decided by the Government of Bihar to provide 10% reservation to EWSs in posts and services in the Government of Bihar and in admissions in the Educational Institution; and

Whereas it is necessary and expedient to provide an Act for adequate representation of Economically Weaker Sections in posts, services under the State and in admissions in Educational Institutions;

Now, therefore, Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the 70th year of republic of India are follows : -

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) The Bihar Reservation in Vacancies of Posts and Services and in Admissions in the Educational Institutions (for Economically Weaker Sections) Act, 2019.

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. *Definitions- In this Act, unless the context otherwise requires -*

(a) *"Appointing authority/competent authority"* means in relation to services or posts in an establishment, an authority empowered to make appointment/a person who is responsible for admission in the case of educational institutions.

(b) *"Prescribed"* means prescribed by rules made under this Act and published in the Official Gazette ;

(c) *"Establishment"* means any office or departments of the state concerned with the appointment to the public service and post in connection with the affairs of the state and includes-

(1) A local or statutory authorities constituted under any state Act for the time being enforce, or

(2) a cooperative institution registered under the Bihar Co-operative society Act, 1935 (Act 6,1935) in which share is held by the State Government or which receives aid from the State Government in terms of loan, grant, subsidy etc. and

(3) Universities and colleges affiliated to the universities primary, secondary and High Schools and also other educational institutions which are owned or aided by the State Government, and

(4) an establishment in public sector.

(d) *"Establishment in public sector"* means any industry, trade, business or occupations owned, controlled or managed by –

(1) The State Government or any department of the State Government.

(2) A Government Company as defined in section 617 of the Company Act 1956 (Act, 1 of the 1956) or a corporation established by or under a Central or State Act, in which not less than 51% of the paid-up share capital is held by the State Government.

(e) *"Economically Weaker Sections"* means a person belonging to Economically Weaker Section as defined in the office Memorandum F. No. 36039/1/2019-Estt. (Res.) dated 19.01.2019 of D.O.P.T., Ministry of Personnel and Public Grievances and Pension, Government of India and as may be amended in future from time to time accordingly.

(f) *"Recruitment year"* means the calendar year during which a recruitment/admission is actually to be made.

(g) *"Reservation"* means reservation for Economically Weaker Sections in vacancies of posts and services in the State of Bihar and in the admissions in educational institutions.

(h) *"Merit list"* means the list of candidates arranged in order of merit prepared according to the provisions of this Act and orders as may be applicable for making appointments or for admission in educational institutions.

(i) *"State"* includes the Government , the Legislature and Judiciary of the State of Bihar and all local or other authorities and all type of Educational Institutions within the State or under the control of the State Government.

3. *Applicability for making recruitments :- (1) This act shall not apply in a relation to –*

(a) Any employment under the Central Government.

(b) Any employment in Private Sector.

(c) Any employment in domestic services

(d) Those which are filled up by transfer or deputation.
(e) Those which fall vacant when a person goes on deputation.
(f) Temporary appointments of less than 45 days duration.
(g) Appointments made on compassionate ground on the death of a government servant while in service.
(h) Such other posts as the State Government may, from time to time, by order of specify.

4. *Reservation for direct recruitment:-*

(1) Ten percent of vacancies will be reserved for Economically Weaker Sections in all appointments to Services and Posts in an establishment which are to be filled up by direct recruitment.

The aforesaid reservation will be in addition to the provisions of reservation for other categories as have been provided for in other prevailing Acts in the State of Bihar.

Provided the candidates out of the State of Bihar shall not claim for benefits of reservation under this Act.

(2) A reserved category candidate who is selected on the basis of his merit shall be counted against the open merit category.

5. *Reservation for Admission in the Educational Institutions:-*

(1) Ten percent of seats will be reserved for Economically Weaker Sections for admission in any educational institution fully or partially aided by the state government.

The aforesaid reservation will be in addition to the provisions of reservation for other categories as have been provided for in other prevailing Acts in the State of Bihar.

Provided the candidates out of the State of Bihar shall not claim for benefits of reservation under this Act.

(2) A reserved category candidate who is selected on the basis of his merit shall be counted in open merit category.

(3) No other reservation shall be made except reservation percentage granted by the concerned educational institute and amended reservation percentage granted by them from time to time for the candidates from outside the state of Bihar.

6. *Power of State Government to call for records.*— Any member of the Economically Weaker Sections who is adversely affected by any act of an authority in-charge of admission on account of non-compliance of the provisions of this Act or the Rules made there under, may bring the fact to the notice of the State Government and upon application made by him, the State Government may call for such records or take such action thereon as it may deem fit.

7. *Bar to any proceeding for action taken in good faith.*— No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for any thing which is done or intended to be done in good faith under this Act.

8. *Penalty.*— If any appointing authority or in charge of admission makes an appointment or admission in contravention of any of the provision of this Act, he shall be punishable with such fine which may extend to one thousand rupees or such imprisonment for three months or both.

9. *Removal of difficulties.*— If any difficulty arises in given effect to the provisions of this Act, the State Government may take such steps or issue such orders not inconsistent with the provisions of this Act and as it may consider necessary for removing the difficulty.

10. *Power to make Rules.*—The State Government may make rules for carrying out purposes of this Act:

Provided that every rule made by the State Government under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of the State legislature, while it is in session, for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both houses agree in making any modification in the rule or both houses agree that the rule should

not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

11. *Exchange.*— If in any recruitment year or admission for a session candidates from Economically Weaker Sections are not available to the extent of the reservation percentage prescribed under this Act to be filled up by the reserved category, rest of the vacancies/seats shall be filled up by the candidates of open merit category in the same transaction or recruitment year.

12. *Overriding effect of the Act.*— Not withstanding any thing contrary in any other law and Rules for the time being in force any judgment or decree of a court, any order notification, circular, scheme, rule or resolution made or issued, the provision of this Act shall prevail.

Provided that any other law or rule for the time being in force, any order notification, circular, scheme resolution made, issued or passed prior to this Act, so far as it is not inconsistent with this Act, shall continue to be enforce and shall be deemed to have been made issued or passed under this Act.

By Order of the Governor of Bihar,
Jitendra Kumar,
Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 268-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 माघ 1942 (श0)

(सं0 पटना 68) पटना, सोमवार 25 जनवरी 2021

सं०11 / आ0नी0–I–06 / 2017 / 962 / सा0प्र0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

22 जनवरी 2021

विषय :– **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में बहु–दिव्यांगता को सम्मिलित करने तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों को केन्द्रीय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप करने के संबंध में।**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्ध सरकारी पत्र दिनांक–27.04.2017 द्वारा पूर्व में निर्गत सभी अनुदेशों को समेकित करते हुए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधीन लाने और प्रक्रियात्मक मसलों सहित कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने की दृष्टि से एक समेकित अनुदेश निर्गत किया गया है, इसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–13062 दिनांक–12.10.2017 द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में तथा संकल्प संख्या–7162 दिनांक–31.05.2018 द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए विस्तृत संकल्प निर्गत किया गया है। इस संकल्प के द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगजनों को 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के स्थान पर क्रमशः 4 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया गया है।

इन संकल्प में किये गए कतिपय प्रावधान भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में किये गए प्रावधान के समरूप नही होने के कारण इन संकल्प को परिमार्जित करने की आवश्यकता है।

2. अतः राज्य सरकार द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति तथा उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगजनों को क्रमशः 4 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराते हुए पूर्व के निर्गत सभी निदेशों को एकीकृत कर एक समेकित निदेश निर्गत किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत निम्नांकित तथ्यों के समावेशन का निर्णय लिया गया है :–

(1) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–34 के तहत राज्य सरकार के सभी विभागों / कार्यालयों / राजकीय लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / बोर्डों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के नियोजन में दिव्यांगों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–32 के तहत्

सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ऐसे सभी शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार से सहायता प्राप्त होती है, के अन्तर्गत नामांकन में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा। यह आरक्षण अलग से नहीं अपितु चयनित दिव्यांग जिस श्रेणी से संबंधित होंगे, उनका सामंजन उसी श्रेणी के विरूद्ध किया जायेगा। अर्थात आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग) के दिव्यांग संगत आरक्षित वर्ग से और गैर आरक्षित वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी गैर आरक्षित वर्ग के विरूद्ध सामंजित किये जायेंगे।

(2) गुणागुण (मेरिट) के आधार पर दिव्यांगों की गणना गैर आरक्षित वर्ग के अन्तर्गत की जायेगी, बशर्ते उन्होने आरक्षण संबधित कोई छूट यथा आयू सीमा, अर्हतांक, कम्प्यूटर सक्षमता इत्यादि का लाभ प्राप्त नहीं किया हों।

(3) दिव्यागों के लिए आरक्षण का प्रावधान यद्यपि कंडिका–2 (1) में उल्लिखित सेवाओं एवं संगठनों के सभी प्रकार के पदों एवं सेवाओं में किया गया है, फिर भी यदि उसमें दिव्यांगों के लिए आरक्षण उपयुक्त नहीं समझा जाता हो, तो संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–20(1) के परन्तुक के आलोक में इसे दिव्यांगता आरक्षण से स्थायी रूप से मुक्त रखने संबंधी प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित कर सकते है। प्रशासी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को इस उद्देश्य हेतु गठित निम्न समिति के समक्ष रखा जायेगा:—

(क) मुख्य सचिव

(ख) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग

(ग) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग

(घ) प्रधान सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग

(ङ) संबंधित विभाग के प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष

(च) निःशक्तता आयुक्त

समिति की अनुशंसा के उपरान्त राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त उक्त पदों को दिव्यांगता आरक्षण से स्थायी रूप से विमुक्त समझा जायेगा।

(4) दिव्यांगता की परिभाषाएं –

(i) गतिविषयक् दिव्यांगता (सुनिश्चित गतिविधियों को करने में किसी व्यक्ति की असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं की गतिशीलता से सहबद्ध है जिसका परिणाम पेशीककाल और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अन्तर्गत –

(क) "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो गया है, किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है :–

(1) हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का ह्रास के साथ–साथ आंख और पलक में सुग्राहीकरण का ह्रास और आंशिक घात किंतु व्यक्त विरूपता नहीं है;

(2) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किंतु उसके हाथों और पैरो में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे वह सामान्य व्यावसायिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(3) अत्यन्त शारीरिक विरूपता के साथ–साथ वृद्ध जो उसे लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ख) "प्रमस्तिष्क घात" से कोई गैर–प्रगामी तन्त्रिका स्थिति का समूह अभिप्रेत है, जो शरीर के संचलन को और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है, जो साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात् होता है;

(ग) "बौनापन" से कोई चिकित्सय या आनुवंशिक दशा अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फीट दस इंच (147 से०मी०) या उससे कम रह जाती है;

(घ) "पेशीयदुष्पोषण" से वंशानुगत, आनुवंशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है, जो मानव शरीर को संचलित करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुष्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है, जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है, जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता प्रगामी कंकाल पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है;

(ङ) "तेजाबी आक्रमण पीड़ित" से तेजाब या समान संक्षारित पदार्थ को फेंककर किए गए हिंसक हमले के कारण विद्रूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ii) दृष्टिगत ह्रास –

(क) "अंधता" से ऐसी दशा अभिप्रेत है, जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात् व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है, –

(1) दृष्टि का पूर्णतया अभाव; या

(2) सर्वाधिक संभव सुधार के साथ बेहतर आंख में दृष्टि सुतीक्षणता 3/60 से कम या 10/200 (स्नेलन) से कम, या

(3) 10 डिग्री से कम के किसी कोण पर कक्षांतरित दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) "निम्न दृष्टि" से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है, जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात्–

(1) बेहतर आंख में सर्वाधिक संभव सुधार के साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम से 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) तक दृश्य सुतीक्षणता; या

(2) 40 डिग्री से कम से 10 डिग्री तक की कक्षांतरित दृष्टि की क्षेत्र परिसीमा;

(iii) "श्रवण शक्ति का ह्रास" –

(क) "बधिर" से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों में 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाले व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) "ऊंचा सुनने वाला व्यक्ति" से दोनों कानों से संवाद आवृत्तियों में 60 डेसिबिल से 70 डेसिबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(iv) "वाक् और भाषा दिव्यांगता" से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्‌भूत स्थायी दिव्यांगता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण वाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है

(v) "बौद्धिक दिव्यांगता" से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या, समाधान) और अनुकूलित व्यवहार, दोनों में महत्वपूर्ण कमी होना है, जिसके अन्तर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य कौशलों की रेंज है, जिसके अन्तर्गत –

(क) "विनिर्दिष्ट विद्या दिव्यांगताओं" से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है, जिसमें भाषा को बोलने या लिखने की प्रक्रिया द्वारा आलेखन करने की कमी विद्यमान होती है, जो समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, अर्थ निकालने या गणितीय गणना करने में कमी के रूप में सामने आती है और इसके अन्तर्गत बोधक दिव्यांगता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया जैसी स्थितियां भी हैं;

(ख) "स्वपरायणता स्पैक्ट्रम विकार" से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है, जो विशिष्टतः जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की सम्पर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरो से संबंधित होने की क्षमता को अत्यधिक प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे–पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

(vi) मानसिक व्यवहार, –

"मानसिक रूग्णता" से चिंतन, मनोदशा, बोध, अभिसंस्करण या स्मरणशक्ति का अत्यधिक विकार अभिप्रेत है, जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है, किन्तु जिसके अन्तर्गत मानसिक मंदता नहीं है, जो किसी व्यक्ति का मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

(vii) निम्नलिखित के कारण दिव्यांगता, –

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे –

(1) "बहु–स्केलेरोसिक" से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है, जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिक कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक–दूसरे के साथ सम्पर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(2) "पार्किंसन रोग" से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जो कम्प, पेशी कठोरता और धीमा, कठिन संचलन द्वारा चिन्हाकिंत होता है जो मुख्यतया मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचलन डोपामई के ह्रास से संबद्ध मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों को प्रभावित करता है;

(ख) रक्त विकृति –

(1) ''हेमोफीलिया'' से एक आनुवंशिक रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरूषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने नर बालकों को संचारित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है, जिससे छोटे से घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है;

(2) ''थेलेसीमिया'' से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है, जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अभाव है;

(3) ''सिक्कल कोशिका रोग'' से होमोलेटिक विकृति अभिप्रेत है, जो रक्त की अत्यन्त कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है, ''हेमोलेटिक'' लाल रक्त कोशिकाओ की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

(viii) बहुदिव्यांगता (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट दिव्यांगताए) जिसके अन्तर्गत बधिरता, अंधता, जिससे कोई ऐसी दशा जिसमें किसी व्यक्ति के श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गंभीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गंभीर दशाएं अभिप्रेत है।

(ix) कोई अन्य प्रवर्ग जो भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाएं।

(5) आरक्षण के लिए दिव्यांगता की मात्रा – कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ओ०एम० संख्या–36035/3/2004– Estt(Res) दिनांक–29.12.2005 के आलोक में केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हों। जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ उठाना चाहते हो, उन्हे सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकार – दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–57 के आलोक में दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, सक्षम प्राधिकार होगा। केन्द्र/राज्य सरकार मेडिकल बोर्ड का गठन कर सकती है, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों मे कम से कम एक सदस्य, जैसा भी मामला हो, का मूल्याकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।

(7) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–58 के आलोक में मेडिकल बोर्ड समुचित जाँच पड़ताल के पश्चात् स्थायी दिव्यांगता के ऐसे मामलों में स्थायी दिव्यांगता प्रमाण–पत्र जारी करे, जहाँ दिव्यांगता की मात्रा में परिवर्तन होने की कोई गुजाइश न हो। मेडिकल बोर्ड ऐसे मामलों मे प्रमाण–पत्र की वैधता की अवधि इगित करे, जिनमे दिव्यांगता की मात्रा मे परिवर्तन होने की गुजाइश हो। दिव्यांगता प्रमाण–पत्र के जारी किये जाने से तबतक इन्कार नहीं किया जायेगा, जबतक आवेदक को उसका पक्ष सुनने का अवसर न दे दिया जाय। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन देने के पश्चात् मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है और इस मामले में अपने विवेकानुसार आदेश दे सकता है।

(8) तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रावधानित आदर्श रोस्टर के आलोक में उक्त दिव्यांगों को निम्नांकित श्रृंखला के अन्तर्गत आरक्षण देय होगा :–

क)	अंध और निम्न दृष्टि;	रोस्टर बिन्दु–01 से 25 तक = 01 पद।
ख)	बधिर और श्रवण शक्ति मे ह्रास;	रोस्टर बिन्दु–26 से 50 तक = 01 पद।
ग)	चलंत दिव्यांगता जिसके अंतर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीडित और पेशीय दुष्पोषण भी है;	रोस्टर बिन्दु–51 से 75 तक = 01 पद।
घ)	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता;	रोस्टर बिन्दु–76 से 100 तक = 01 पद।
ङ)	प्रत्येक दिव्यांगता के लिए पहचान किए गए पदों में खंड (क) से खंड (घ) के अधीन व्यक्तियों मे से बहुदिव्यांगता जिसके अंतर्गत बधिर, अंधता भी है;	

यदि किसी समव्यहार में रोस्टर बिन्दु–13 तक व्यवहृत हो रहा हो तथा उसके विरूद्ध आरक्षण के आधार पर अंध और निम्न दृष्टि से ग्रसित एक उम्मीदवार चयनित हो जाता है, तो अगले रोस्टर बिन्दु–25 तक किसी अन्य अंध

और निम्न दृष्टि उम्मीदवार हेतु आरक्षण देय नहीं होगा। इसी क्रम में रोस्टर बिन्दु–38, 63 एवं 88 तक क्रमशः शेष प्रवर्ग यथा–(ख), (ग), (घ) एवं (ङ) के उम्मीदवार चयनित हो जाते हैं, तो क्रमशः रोस्टर बिन्दु–50, 75 एवं 100 तक अन्य दिव्यांग उम्मीदवार हेतु आरक्षण देय नहीं होगा।

चयनित दिव्यांग अभ्यर्थी का समायोजन उस समव्यवहार में उससे संबंधित प्रयुक्त होने वाले अंतिम रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध किया जायेगा।

(9) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–34 (2) के आलोक में जहां कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन की गैर–उपलब्धता के कारण या कोई अन्य पर्याप्त कारण से भरी नहीं जा सकेगी ऐसी रिक्ति **गैर आरक्षित वर्ग में कर्णांकित करते हुए** पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष मे अग्रणित होगी और पश्चात्वर्ती भर्ती वर्ष मे भी उपयुक्त संदर्भित दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो पहले यह पांच प्रवर्गों में से अदला–बदली द्वारा हो सकेगी और केवल जब उक्त वर्ष में भी पद के लिए दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो नियोक्ता किसी दिव्यांगजन से भिन्न किसी व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा रिक्ति को भर सकेगा:

परंतु यदि किसी स्थापन में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि दिए गए प्रवर्गो के व्यक्तियों को नियोजित नही किया जा सकता तो रिक्तियों की समुचित सरकार के पूर्व अनुमोदन से पांच प्रवर्गों में अदला–बदली की जा सकेगी।

(10) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–32 में निहित प्रावधानों के अनुरूप यह निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन उच्च शैक्षणिक संस्थानों में तथा ऐसे सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जिन्हें राज्य सरकार से सहायता मिली हो, नामांकन में दिव्यांगों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगें। यह आरक्षण भी दिव्यांगता आधारित होगा, जातिगत आधारित नहीं होगा। नामांकन हेतु चयनित दिव्यांग उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग का होगा, उसकी गणना उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग के विरूद्ध होगी। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु दिव्यांग किसे कहा जायेगा तथा विभिन्न प्रकार के दिव्यांगो के लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था होगी, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानो का अनुपालन किया जायेगा।

(11) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–20 के आलोक में कोई भी सरकारी स्थापन नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी दिव्यांगजन के विरूद्ध विभेद नहीं करेगा:

परन्तु समुचित सरकार किसी स्थापन मे किये जाने वाले कार्यो के प्रकार को ध्यान मे रखते हुए अधिसूचना द्वारा और ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए यदि कोई हों, इस धारा के उपबंधों से किसी स्थापन को छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) कोई सरकारी स्थापन, किसी ऐसे कर्मचारी को, जो अपनी सेवा के दौरान कोई दिव्यांगता ग्रहण करता है, उसे अभिमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं करेगा:

परन्तु यदि कोई कर्मचारी, दिव्यांगता ग्रहण करने के पश्चात् उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है जिसे वह धारित करता है तो उसे समान वेतनमान् और सेवा के फायदों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जायेगा:

परन्तु यह और कि यदि कर्मचारी को किसी अन्य पद पर समायोजित करना सम्भव नही है तो वह उपयुक्त पद उपलब्ध होने तक या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक इनमें से जो पूर्ववर्ती हो, किसी अधिसंख्या पद पर रखा जा सकेगा।

(12) आयु सीमा में छूट :– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–34 (3) के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर यथा संशोधित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त खुले प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होने वाली नियुक्ति में सभी पदों एवं वर्गो के लिए दिव्यांगता के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्षों की छूट रहेगी, जबकि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षो की छूट रहेगी।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–32 (2) के आलोक में उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए संदर्भित दिव्यांगजनों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथिलता दी जायेगी।

(13) श्रुतिलेखक उपलब्ध कराने के संबंध में :– विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले परीक्षार्थियों को श्रुतिलेखक की व्यवस्था की जायेगी। श्रुतिलेखक की शैक्षणिक योग्यता आयोजित परीक्षा (जिसमें परीक्षार्थी सम्मिलित होने वाला है) से एक स्तर नीचे होगा।

श्रुतिलेखक के पारिश्रमिक का भुगतान प्रति पाली 100/– (एक सौ) रुपये मात्र की दर से परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा देय होगा।

दृष्टीहीन अथवा कम दृष्टि वाले परीक्षार्थी को संबधित परीक्षा हेतु निर्धारित समय के साथ–साथ प्रति घण्टा 15 मिनट के दर से न्यूनतम 15 मिनट तथा अधिकतम 45 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जायेगा।

(14) अर्हतांक में छूट :– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर यथा संशोधित अर्हतांक में छूट के अतिरिक्त खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होने वाली नियुक्ति में सभी पदो एवं वर्गो के लिए दिव्यांगता के आधार पर अर्हतांक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/महिला अभ्यर्थियों के समतुल्य न्यूनतम 32 प्रतिशत निर्धारित किया जायेगा।

(15) कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शर्तों से विमुक्ति :– पूर्णतः दृष्टि दिव्यांग (पूर्ण अंधेपन से ग्रसित) तथा एक हाथ अथवा दोनों से दिव्यांग कर्मियों को कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शर्त्तो से विमुक्ति दी जायेगी।

(16) परीक्षा शुल्क में छूट :– सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर यथा संशोधित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त खुले/सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होने वाली नियुक्ति मे सभी पदो एव वर्गो के लिए दिव्यांगता के आधार पर परीक्षा शुल्क अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियो के समतुल्य अर्थात गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क का एक चौथाई देय होगा।

(17) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा–23 (1) के निहित प्रावधानों के आलोक में प्रत्येक विभाग/कार्यालय/संस्थान आदि द्वारा दिव्यांगजनों के शिकायतो के निवारण हेतु एवं एतद् संबंधी आरक्षण की देख–रेख हेतु शिकायत निवारण पदाधिकारी की नियुक्ति की जायेगी।

3. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत आदेश/संकल्प/परिपत्र आदि के असंगत अंश (यदि हो) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। इस संकल्प निर्गत होने के बाद भी इस संकल्प के प्रावधानों से असंगत कोई कार्रवाई जो संकल्प संख्या–13062 दिनांक–12.10.2017 के आलोक में पूर्व में की गई हो, को वैध माना जायेगा। किसी बिन्दु पर विभेद होने की स्थिति में एतद् संबंधी पूर्व निर्गत मूल आदेशों/परिपत्रों आदि का अवलोकन किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श भी प्राप्त किया जा सकता है।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
जय शंकर प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 68-571+500-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं0 पटना 515) पटना, शुक्रवार, 14 जून 2024

सं० 11/आ० नी०–I–05/2024 सा०प्र०—9432

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेपक,

मो० सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव,
सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–14 जून 2024

विषय :–रोस्टर पंजी का संधारण संबंधी विस्तृत दिशा–निदेश के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियुक्ति/प्रोन्नति के क्रम में रोस्टर पंजी का संधारण एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर सुस्पष्ट अवधारणा का होना नितांत आवश्यक है। इस क्रम मे विभागीय स्तर पर आयोजित किए गए आरक्षण रोस्टर संबंधी कई कार्यशालाओं मे कर्मचारियों/पदाधिकारियो से प्राप्त फीडबैक एवं आये दिन इस संबंध में अन्य विभागों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों से होने वाले विचार–विमर्श के आलोक में आवश्यकता महसूस की जा रही है कि रोस्टर पंजी के संधारण के संबंध में एक नवीनतम एवं विस्तृत दिशा–निदेश का परिचालन आवश्यक हो गया है।

2. विदित हो कि विभागीय पत्रांक–349 दिनांक–19.07.1985 द्वारा निर्गत दिशा–निदेशों के आलोक मे सम्प्रति कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ संशोधन आवश्यक हो गए हैं। इस क्रम में विस्तृत दिशा–निदेश का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जो निम्नांकित है :–

(i) रोस्टर पंजी में नामों की प्रविष्टि कर्मी विशेष के योगदान के पश्चात की जाती है। इस क्रम में योगदान करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम, योगदान की तिथि, वास्तविक कोटि एवं अनुशंसित कोटि को रोस्टर पंजी में इन्द्राज किया जाता है। उदाहरणस्वरूप– यदि रोस्टर क्लीयरेंस 100 पदों के लिए होता है, अनुशंसा 80 पदों के लिए प्राप्त होती है तथा मात्र 70 कर्मी ही योगदान

करते है, तो ऐसी स्थिति मे योगदान करने वाले मात्र 70 कर्मियों के नाम हीं रोस्टर पंजी में इन्द्राज किए जायेंगे।

(ii) गुणागुण के आधार पर चयनित आरक्षित वर्ग के कर्मी के नाम की प्रविष्टि यथास्थिति गैर आरक्षित वर्ग हेतु कर्णांकित रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध की जाएगी तथा विहित प्रपत्र (नीचे अंकित) के कॉलम–6 में नियुक्त होने वाले कर्मी की वास्तविक कोटि का उल्लेख करते हुए अभ्युक्ति (कॉलम–8) में Selected on Merit अंकित किया जाएगा। इस क्रम में बिहार अधिनियम–3/1992 की धारा–4(3) के आलोक मे ऐसे कर्मचारी/पदाधिकारी की गिनती गैर आरक्षित वर्ग में की जाएगी।

(iii) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी मूलतः जिस आरक्षित/गैर आरक्षित कोटि से संबंध रखते हों, उनकी गिनती उसी कोटि मे करते हुए उनके नाम की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में व्यवहृत अंतिम रोस्टर बिन्दु के पश्चात की जाएगी।

(iv) सम्प्रति मात्र एक अदद रोस्टर पंजी का संधारण पर्याप्त है।

(v) योगदान करने वाले कर्मचारियों/पदाधिकारियों के नामों की प्रविष्टि रोस्टर पंजी में करते समय कोई भी रोस्टर बिन्दु रिक्त नहीं रखा जाता है। उदाहरणस्वरूप– यदि किसी पद विशेष पर नियुक्ति के क्रम में रोस्टर बिन्दु–1 से 20 तक व्यवहृत होता है तथा नियुक्ति के समय रोस्टर बिन्दु–18, जो अनुसूचित जनजाति के लिए कर्णांकित है, पर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के योगदान नहीं देने के कारण इसे रिक्त नहीं रखा जाएगा, बल्कि रोस्टर बिन्दु–19 की प्रविष्टि रोस्टर बिन्दु–18 पर तथा रोस्टर बिन्दु–20 की प्रविष्टि रोस्टर बिन्दु–19 पर करते हुए रोस्टर बिन्दु–20 को अनुसूचित जनजाति के लिए रिक्त रखा जाएगा। इस क्रम में रोस्टर बिन्दु–20 की अभ्युक्ति में **"रोस्टर बिन्दु–18 के स्थान पर अनुसूचित जनजाति हेतु अग्रणित"** अंकित किया जाएगा।

(vi) वैसे विभाग/कार्यालय, जहाँ पूर्व से रोस्टर पंजी संधारित नही हो अथवा रोस्टर पंजी गुम हो गया हो अथवा नष्ट हो गया हो, ऐसी स्थिति मे वर्तमान में कार्यरत सभी कर्मचारियों/पदाधिकारियो की विवरणी रोस्टर बिन्दु–1 से प्रारम्भ करते हुए रोस्टर पंजी में इन्द्राज कर अगले रोस्टर बिन्दु से अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। एतद संबंधी कार्रवाई विशेष परिस्थिति में ही की जा सकेगी।

(vii) रोस्टर पंजी में रोस्टर क्लीयरेंस से संबंधित प्रविष्टि नहीं की जाती है। रोस्टर क्लीयरेंस की कार्रवाई (उपस्थापन/अनुमोदन आदि) संचिका का अंश होता है।

(viii) रोस्टर पंजी में नामों की प्रविष्टि के आधार पर वरीयता का निर्धारण नहीं होता है, अर्थात वरीय कर्मी के नाम की प्रविष्टि अपेक्षाकृत नीचे तथा कनीय कर्मी के नाम की प्रविष्टि अपेक्षाकृत उपर हो जाने से भी उनकी आपसी वरीयता प्रभावित नहीं होती है।

(ix) किसी कर्मी के सेवानिवृत्ति/प्रोन्नति/त्यागपत्र/मृत्यु आदि की स्थिति में रोस्टर पंजी में अंकित उनके नाम के सामने अभ्युक्ति (कॉलम–8) में इस तथ्य का उल्लेख किया जाना अपेक्षित है। साथ ही कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों की गिनती कॉलम–7 एवं 8 के आधार पर की जानी है।

(x) सुरक्षित रखे गए पदों के लिए अंतिम रोस्टर बिन्दु व्यवहृत किया जाता है।

(xi) रोस्टर पंजी मे नामों की प्रविष्टि के पश्चात स्थापना संबंधी वरीय पदाधिकारी का मुहरित हस्ताक्षर आवश्यक है।

(xii) रोस्टर पंजी संधारण का नमूना प्रपत्र निम्नवत है–

नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु रोस्टर पंजी का प्रपत्र

(क) विभाग/कार्यालय का नाम–
(ख) सेवा/संवर्ग–
(ग) पदनाम–
(घ) वेतन स्तर–
(ड.) कुल स्वीकृत पदों की संख्या–
(च) स्थायी/अस्थायी–

क्रं०	भर्ती का वर्ष	रोस्टर बिन्दु	कर्णांकित कोटि का नाम	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	नियुक्त व्यक्ति की वास्तविक कोटि	कोटि, जिसके विरूद्ध अनुशंसा प्राप्त हुई है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2023	1	UR	ए० प्रसाद/ 01.12.2023	UR	UR	
2	2023	2	EBC	बी० सिंह/ 01.12.2023	EBC	EBC	
3	2023	3	SC	सी० कुमार/	SC	SC	

क्रं०	भर्ती का वर्ष	रोस्टर बिन्दु	कर्णांकित कोटि का नाम	नियुक्त व्यक्ति का नाम और नियुक्ति की तारीख	नियुक्त व्यक्ति की वास्तविक कोटि	कोटि, जिसके विरूद्ध अनुशंसा प्राप्त हुई है।	अभ्युक्ति
				01.12.2023			
4	2023	4	UR	डी० चौधरी / 01.12.2023	SC	UR	Selected on Merit
5	2023	5	BC	ई० कुमार / 01.12.2023	BC	BC	

3. एतद संबंधी पूर्व निर्गत आदेश / परिपत्र आदि के असंगत अंश (यदि हो) इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन,
मो० सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 515-571+500-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in

पत्र संख्या–11/आ०नी०–I–10/2023 सा.प्र. 14396

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो० सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 10.09.24

विषय :– **रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में अद्यतन दिशा–निदेश।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार अधिनियम–17/2002 एवं बिहार अधिनियम–02/2019 द्वारा राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षित वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसके आलोक में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई कर विभिन्न नियुक्ति आयागों को अधियाचना प्रेषित करने की कार्रवाई की जाती है। उक्त क्रम में विभिन्न विभागों से रोस्टर क्लियरेंस के क्रम में कतिपय पृच्छाएँ की जाती रही हैं, जिसके संबंध में निम्नांकित अद्यतन दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं :–

(i) नियुक्ति हेतु प्रथम समव्यवहार अथवा कार्यरत बल शून्य हो, में बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है, अतः रोस्टर बिन्दु–01 से प्रारम्भ कर संलग्न मॉडल रोस्टर (एनेक्सचर–1) के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जायेगी।

(ii) बिहार अधिनियम–11/1993 द्वारा प्रावधानित पिछड़े वर्गों की महिला से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़े वर्गों की महिलायें।

(iii) ऐसे छोटे स्थापना वाले संवर्ग, जिसमें आरक्षण प्रतिशत के अनुसार पद अनुमान्य कराने में कठिनाई हो रही हो, ऐसी स्थिति में रनिंग रोस्टर (अर्थात यथास्थिति रोस्टर बिन्दु) के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जा सकेगी।

(iv) महिलाओं को 35% क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के तहत गैर आरक्षित/आरक्षित कोटिवार पद उपलब्ध कराने के क्रम में ऊर्ध्वाधर (Vertical) आरक्षण के अन्तर्गत गैर आरक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को अनुमान्य पदों (रिक्तियों) के विरूद्ध 35% की दर से पदों की गणना महिलाओं के लिए की जायेगी। कम से कम 03 (दो में नहीं) पदों के विरूद्ध महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत 01 पद अनुमान्य कराया जा सकेगा। इस क्रम में भिन्नांक 0.01 से 0.49 तक को 0 (शून्य) तथा 0.50 से 0.99 तक को 01 (एक) माना जायेगा। उदाहरण स्वरूप 1.49 = 01 तथा 1.50 = 02 माना जायेगा।

यदि कई समव्यवहारों में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाती है अथवा विभिन्न विभाग अलग–अलग अधियाचना भेजते हैं, जिसके आधार पर आयोग/अनुशंसी संस्थाएं समेकित रूप से विज्ञापन प्रकाशित करती हैं, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत पदों की गणना समव्यवहार (Transaction) वार अथवा विभागवार की जायेगी, न कि समेकित रूप से। यही व्यवस्था स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों एवं दिव्यांगजनों के संबंध में भी लागू होगी।

(v) बैकलॉग/कैरीफावर्ड मात्र आरक्षित वर्गों के संदर्भ में होता है। समेकित रूप से बैकलॉग/कैरीफावर्ड की स्थिति आने पर बैकलॉग/कैरीफावर्ड की गणना कार्यरत UR X 2 X संबंधित कोटि का आरक्षण प्रतिशत के अनुसार की जायेगी। बैकलॉग/कैरीफावर्ड की गणना मात्र कोटिवार कार्यरत बल के आधार पर की जाती है। कार्यरत गैर आरक्षित वर्ग का दुगुना अर्थात UR X 2 करने पर यदि यह संख्या कुल स्वीकृत बल से अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मात्र कुल कार्यरत बल के आधार पर ही आरक्षण प्रतिशत के अनुसार बैकलॉग/कैरीफावर्ड की गणना की जाएगी।

(vi) रोस्टर पंजी में जिस बिन्दु तक रोस्टर बिन्दु व्यवहृत हो चुका है, उसके ठीक बाद वाले रोस्टर बिन्दु से विभागीय परिपत्र संख्या–9432 दिनांक–14.06.2024 द्वारा परिचारित रोस्टर पंजी संधारण संबंधी विहित प्रपत्र के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उदाहरणस्वरूप– यदि रोस्टर बिन्दु–25 तक व्यवहृत हो चुकी है, तो अगली कार्यवाही रोस्टर बिन्दु–26 से प्रारंभ की जाएगी।

(vii) 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर एनेक्सचर–1, बैकलॉग/कैरीफावर्ड सहित रोस्टर क्लियरेंस का नमूना एनेक्सचर–2 एवं बैकलॉग/कैरीफावर्ड रहित रोस्टर क्लियरेंस का नमूना एनेक्सचर–3 के रूप में संलग्न है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मो० सिराजुद्दीन अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।

एनेक्सचर–1

बिहार अधिनियम–17, 2002 एवं बिहार अधिनियम–02, 2019 के आलोक में 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर :–

1. गैर आरक्षित
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
3. गैर आरक्षित
4. अनुसूचित जाति
5. गैर आरक्षित
6. पिछड़ा वर्ग
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
8. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
9. गैर आरक्षित
10. अनुसूचित जाति
11. गैर आरक्षित
12. पिछड़ा वर्ग
13. गैर आरक्षित
14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
15. गैर आरक्षित
16. अनुसूचित जाति
17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
18. पिछड़े वर्गों की महिलायें
19. अनुसूचित जनजाति
20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
21. गैर आरक्षित
22. पिछड़ा वर्ग
23. गैर आरक्षित
24. अनुसूचित जाति
25. गैर आरक्षित
26. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
27. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
28. अनुसूचित जाति
29. गैर आरक्षित
30. पिछड़ा वर्ग
31. गैर आरक्षित
32. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
33. गैर आरक्षित
34. अनुसूचित जाति
35. गैर आरक्षित
36. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
37. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
38. पिछड़ा वर्ग
39. गैर आरक्षित
40. अनुसूचित जाति
41. गैर आरक्षित
42. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
43. गैर आरक्षित
44. गैर आरक्षित
45. गैर आरक्षित
46. पिछड़ा वर्ग
47. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
48. अनुसूचित जाति
49. गैर आरक्षित
50. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
51. गैर आरक्षित
52. पिछड़े वर्गों की महिलायें
53. गैर आरक्षित
54. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
55. गैर आरक्षित
56. अनुसूचित जाति
57. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
58. पिछड़ा वर्ग
59. गैर आरक्षित
60. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
61. गैर आरक्षित
62. अनुसूचित जाति
63. गैर आरक्षित
64. पिछड़ा वर्ग
65. गैर आरक्षित
66. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
67. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
68. अनुसूचित जाति
69. गैर आरक्षित
70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
71. गैर आरक्षित
72. पिछड़ा वर्ग
73. गैर आरक्षित
74. अनुसूचित जाति
75. गैर आरक्षित
76. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
77. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
78. अनुसूचित जाति
79. गैर आरक्षित
80. पिछड़ा वर्ग
81. गैर आरक्षित
82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
83. गैर आरक्षित
84. पिछड़े वर्गों की महिलायें
85. गैर आरक्षित
86. अनुसूचित जाति
87. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
88. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
89. गैर आरक्षित
90. पिछड़ा वर्ग
91. गैर आरक्षित
92. अनुसूचित जाति
93. गैर आरक्षित
94. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
95. गैर आरक्षित
96. पिछड़ा वर्ग
97. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
98. अनुसूचित जाति
99. गैर आरक्षित
100. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग

FILE PATH-D/DIWAKAR MANI - ROSTER

एनेक्सर–2

बिहार अधिनियम–17/2002 एवं बिहार अधिनियम–2/2019 के आलोक में बैकलॉग सहित रोस्टर क्लियरेंस का नमूना

किसी स्थापना द्वारा प्रतिवेदित सूचनानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है–

(i) कुल स्वीकृत बल– 153

(ii) कोटिवार कार्यरत – 70 (गैर आरक्षित वर्ग–56, अनुसूचित जाति–4, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1, पिछड़ा वर्ग–7 एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें–2)

(iii) शुद्ध रिक्ति– 153 – 70 = 83

(iv) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु–199

2. प्रस्तुत समव्यवहार में गैर आरक्षित वर्ग (56) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (14) के कार्यरत कर्मियों की संख्या से अधिक है। अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति बनती है। इस प्रकार वर्त्तमान में कुल रिक्त 83 पदो का रोस्टर बिन्दु–200 से 282 तक के विरूद्ध रोस्टर क्लियरेंस करने का प्रस्ताव है।

बैकलॉग की गणना

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	बैकलॉग (कॉलम 2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	56 X 2 X 16% = 17.92 = 18	4	14
अनुसूचित जनजाति	56 X 2 X 1% = 1.12 = 1	0	1
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	56 X 2 X 18% = 20.16 = 20	1	19
पिछड़ा वर्ग	56 X 2 X 12% = 13.44 = 14	7	7
पिछड़े वर्गों की महिलायें	56 X 2 X 3% = 3.36 = 3	2	1

कुल बैकलॉग–42

शुद्ध रिक्ति = 83 – 42 = 41

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत + बैकलॉग	रिक्ति कॉलम (2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	153 X 16% = 24.48 = 24	4 + 14 = 18	6
अनुसूचित जनजाति	153 X 1% = 1.53 = 1	0 + 1 = 1	0
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	153 X 18% = 27.54 = 28	1 + 19 = 20	8
पिछड़ा वर्ग	153 X 12% = 18.36 = 18	7 + 7 = 14	4
पिछड़े वर्गों की महिलायें	153 X 3% = 4.59 = 5	2 + 1 = 3	2
	कुल–76	56	20

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गैर आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य पद :– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुमान्य रिक्ति की गणना शुद्ध रिक्ति के आधार पर की जाती है।

FILE PATH-C/DIWAKAR MANI - ROSTER

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	शुद्ध रिक्ति का 10% = 41 X 10% = 4.10	4
गैर आरक्षित वर्ग	शुद्ध रिक्ति – (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग + आरक्षित वर्ग को अनुमान्य पद) = 41 – (4 + 20) = 17	17

3. तदनुसार कुल रिक्त 83 पदों का रोस्टर बिन्दु–200 से 282 तक आच्छादित होने वाला रोस्टर क्लियरेंस निम्नवत् प्रस्तावित है :–

(क) बैकलॉग रिक्ति हेतु अनुमान्य पद–

अनुसूचित जाति– रोस्टर बिन्दु–200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212 एवं 213 = **14 पद।**

अनुसूचित जनजाति– रोस्टर बिन्दु–214 = 01 **पद।**

अत्यंत पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 एवं 233 = **19 पद।**

पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–234, 235, 236, 237, 238, 239 एवं 240 = **07 पद।**

पिछड़े वर्गों की महिलायें–रोस्टर बिन्दु–241 = **01 पद।**

(ख) चालू रिक्ति हेतु अनुमान्य पद–

अनुसूचित जाति– रोस्टर बिन्दु–248, 256, 262, 268, 274 एवं 278 = **06 पद।**

(यहाँ अनुसूचित जाति को 6 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव अनुसूचित जाति की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 6 x 35% = 2.1 = 2 पद अनुमान्य होगा।)

अत्यंत पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–242, 250, 254, 260, 266, 270, 276 एवं 282 = **08 पद।**

(यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 8 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 8 x 35% = 2.8 = 3 पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–246, 258, 264 एवं 272 = **04 पद।**

(यहाँ पिछड़ा वर्ग को 4 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 4 x 35% = 1.4 = 1 पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़े वर्गों की महिलायें–रोस्टर बिन्दु–252 एवं **280 = 02 पद।**

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु–280 पिछड़ा वर्ग के लिए कर्णांकित है, परन्तु इनका कोटा पूर्ण होने तथा अनुमान्यतानुसार उक्त रोस्टर बिन्दु पिछड़े वर्गों की महिलायें को अनुमान्य कराया गया है।)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–रोस्टर बिन्दु–247, 257, 267 एवं 277 = **04 पद।**

(यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 4 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 4 x 35% = 1.4 = 1 पद अनुमान्य होगा।)

गैर आरक्षित वर्ग–रोस्टर बिन्दु–243, 244, 245, 249, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 279 एवं 281 = **17 पद।**

(यहाँ गैर आरक्षित वर्ग को 17 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव गैर आरक्षित वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 17 x 35% = 5.95 = 6 पद अनुमान्य होगा।)

FILE PATH-C/DIWAKAR MANI - ROSTER

उपर्युक्त अनुमान्य कराये गए पदों में विभागीय संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01. 2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण देय होगा :–

रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता को	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण को	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता / संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01. 2021 की कंडिका–(8) के खण्ड–(क) से खण्ड–(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	कुल
242 से 281	0	0	1	0	1
कुल	0	0	1	0	1

विभागीय परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी को 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत् अनुमान्य होगा।

FILE PATH-C/DIWAKAR MANI - ROSTER

एनेक्सर–3

बिहार अधिनियम–17/2002 एवं बिहार अधिनियम–2/2019 के आलोक में बैकलॉग रहित रोस्टर क्लियरेंस का नमूना

किसी स्थापना द्वारा प्रतिवेदित सूचनानुसार वस्तुस्थिति निम्नवत है–

(i) कुल स्वीकृत बल– 131

(ii) कोटिवार कार्यरत – 56 **(गैर आरक्षित वर्ग–28, अनुसूचित जाति–4, अनुसूचित जनजाति–1, अत्यंत पिछड़ा वर्ग–9, पिछड़ा वर्ग–12 एवं पिछड़े वर्गों की महिलायें–2)**

(iii) शुद्ध रिक्ति– 131 – 56 = 75

(iv) अंतिम व्यवहृत रोस्टर बिन्दु–186

2. प्रस्तुत समव्यवहार मे गैर आरक्षित वर्ग (28) के कार्यरत कर्मियों की संख्या आरक्षित वर्ग (28) के कार्यरत कर्मियों की संख्या के बराबर है। अतः समेकित रूप से बैकलॉग की स्थिति नहीं बनती है। इस प्रकार वर्त्तमान में कुल रिक्त 75 पदों का रोस्टर बिन्दु–187 से 261 तक के विरूद्ध रोस्टर क्लियरेंस करने का प्रस्ताव है।

कोटिवार अनुमान्यता

कोटि	अनुमान्यता	कार्यरत	रिक्ति कॉलम (2–3)
1	2	3	4
अनुसूचित जाति	131 X 16% = 20.96 = 21	4	17
अनुसूचित जनजाति	131 X 1% = 1.31 = 1	1	0
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	131 X 18% = 23.58 = 23	9	14
पिछड़ा वर्ग	131 X 12% = 15.72 = 16	12	4
पिछड़े वर्गों की महिलाये	131 X 3% = 3.93 = 4	2	2
	कुल–65	**28**	**37**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं गैर आरक्षित वर्ग के लिए अनुमान्य पद – **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनुमान्य रिक्ति की गणना चालू रिक्ति के आधार पर की जाती है।**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	चालू रिक्ति का 10% = **75 X 10%** = 7.50	**8**
गैर आरक्षित वर्ग	चालू रिक्ति – (आरक्षित वर्ग + आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अनुमान्य पद) = 75 – (37 + 8) = 30	**30**

3. तदनुसार कुल रिक्त 75 पदों का रोस्टर बिन्दु–187 से 261 तक आच्छादित होने वाला रोस्टर क्लियरेंस निम्नवत् प्रस्तावित है :–

अनुसूचित जाति– रोस्टर बिन्दु–192, 198, 204, 210, 216, **222**, 224, 228, **230**, 234, **238**, 240, **246**, 248, 256, **258** एवं **261 = 17 पद।**

(यद्यपि रोस्टर बिन्दु–222, 230, 238, 246 एवं 258 पिछड़ा वर्ग एवं रोस्टर बिन्दु–261 गैर आरक्षित वर्ग के लिए कर्णांकित है, परन्तु इनका कोटा पूर्ण होने तथा अनुमान्यतानुसार उक्त रोस्टर बिन्दु अनुसूचित जाति को अनुमान्य कराया गया है।)

(यहाँ अनुसूचित जाति को 17 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव अनुसूचित जाति की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 17 x 35% = 5.95 = 6 पद अनुमान्य होगा।)

FILE PATH-C/DIWAKAR MANI - ROSTER

अत्यंत पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–188, 194, 200, 202, 208, 214, 220, 226, 232, 236, 242, 250, 254 एवं 260 = **14 पद।**

(यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 14 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 14 x 35% = 4.9 = 5 पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़ा वर्ग–रोस्टर बिन्दु–190, 196, 206 एवं 212 = **04 पद।**

(यहाँ पिछड़ा वर्ग को 4 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव पिछड़ा वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 4 x 35% = 1.4 = 1 पद अनुमान्य होगा।)

पिछड़े वर्गों की महिलायें–रोस्टर बिन्दु–218 एवं 252 = **02 पद।**

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग–रोस्टर बिन्दु–187, 197, 207, 217, 227, 237, 247 एवं 257 = **08 पद।**

(यहाँ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 8 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 8 x 35% = 2.8 = 3 पद अनुमान्य होगा।)

गैर आरक्षित वर्ग–रोस्टर बिन्दु–189, 191, 193, 195, 199, 201, 203, 205, 209, 211, 213, 215, **219,** 221, 223, 225, 229, 231, 233, 235, 239, 241, 243, 244, 245, 249, 251, 253, 255 एवं 259 = **30 पद।**

यद्यपि रोस्टर बिन्दु–219 अनुसूचित जनजाति को कर्णांकित है, परन्तु उसका कोटा पूर्ण होने एवं अनुमान्यतानुसार इसे गैर आरक्षित वर्ग को अनुमान्य कराया गया है।

(यहाँ गैर आरक्षित वर्ग को 30 पद प्राप्त हो रहा हैं। अतएव गैर आरक्षित वर्ग की महिला को क्षैतिज आरक्षण के तहत 30 x 35% = 10.5 = 11 पद अनुमान्य होगा।)

उपर्युक्त अनुमान्य कराये गए पदों में विभागीय संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण देय होगा :–

रोस्टर बिन्दु	अंध और निम्न दृष्टि दिव्यांगता को	बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांगता को	चलंत दिव्यांगता जिसके अन्तर्गत प्रमस्तिष्क घात, रोगमुक्त कुष्ठ, बौनापन, तेजाब आक्रमण से पीड़ित और पेशीय दुष्पोषण को	स्वपरायणता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता और मानसिक रूग्णता / संकल्प संख्या–962 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–(8) के खण्ड–(क) से खण्ड–(घ) के अधीन बहुदिव्यांगता को	कुल
187 से 200	0	0	0	1	1
201 से 261	1	1	0	0	2
कुल	1	1	0	1	3

विभागीय परिपत्र संख्या–2526 दिनांक–18.02.2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता / पोती / नाती / नतीनी को 1 (एक) पद क्षैतिज आरक्षण के तहत् अनुमान्य होगा।

FILE PATH-C/DIWAKAR MANI - ROSTER

निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1940 (श0)
(सं0 पटना 284) पटना, मंगलवार, 26 फरवरी 2019

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं
26 फरवरी 2019

सं0 11/आ0नी0–I–03/2019–2622—"बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019" की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करने एवं उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली 2019" कही जा सकेगी।
   (2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।
   (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. **परिभाषाएँ। – इस अधिनियम में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –**
   (क) **"नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है किसी स्थापना मे सेवाओ और पदो के संबंध में नियुक्ति करने हेतु सशक्त प्राधिकारी/कोई व्यक्ति जो शैक्षणिक संस्थानों में नामाकन हेतु उत्तरदायी हो;
   (ख) **"विहित"** से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली द्वारा विहित और राजपत्र में प्रकाशित;
   (ग) **"स्थापना"** से अभिप्रेत है, राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है :–
      (1) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार;
      (2) बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम–6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर धारित किया गया हो अथवा जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहायियकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता हो; और

(3) विश्वविद्यालय तथा इनसे संबद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया हो या सहायता प्रदान करती हो, और

(4) सार्वजनिक क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठान;

(घ) **"सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना"** से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत/नियंत्रित या प्रबंधित हो :–

(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग,

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम–1, 1956) की धारा 617, में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत्त शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगायी गई हो;

(ङ) **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग"** से अभिप्रेत है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेन्डम–F.No. 36039/1/2019-Estt. (Res.) दिनांक 19.01.2019 में यथा परिभाषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति; तथा जो भविष्य मे समय–समय पर यथा संशोधित किया जाय ;

(च) **"भर्ती वर्ष"** से अभिप्रेत है पंचाग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्त्ती/नामांकन की जानी हो;

(छ) **"आरक्षण"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण;

(ज) **"गुणागुण सूची"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा नियुक्ति करने के लिए या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए लागू आदेशों के अनुसार गुणागुण क्रम से तैयार की गई व्यवस्थित उम्मीदवारों की सूची;

(झ) **"राज्य"** में सम्मिलित हैं बिहार राज्य की सरकार, विधानमंडल और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार एवं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान;

(ञ) **"परिवार"** में सम्मिलित है अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता हो, अभ्यर्थी के माता–पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन तथा पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतानें;

(ट) **"परिशिष्ट"** से अभिप्रेत हैं इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;

3. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीधी भर्त्ती एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के लाभ प्राप्त करने हेतु मानदंड।**– (1) ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किये गए आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नही है, की पहचान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में आरक्षण के लाभ के लिए की जायेगी, जिनके परिवार की सभी श्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 (आठ) लाख रूपये से कम हो। वार्षिक आय आवेदन करने के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि से होने वाली समस्त श्रोतों से प्राप्त आयों को सम्मिलित किया जाएगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसम्पत्ति होंगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसके परिवार की वार्षिक आय चाहे जो भी हो :–

(i) 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर;

(ii) एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट;

(iii) अधिसूचित नगरपालिका के अधीन 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड;

(iv) अधिसूचित नगरपालिका से इतर क्षेत्रों में 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

(3) किसी "परिवार" द्वारा धारित की गई एक अथवा एक से अधिक स्थानों/शहरों में अवस्थित समस्त परिसंपत्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को अवधारण करने हेतु एक साथ जोड़ा जायेगा।

(4) इस प्रयोजनार्थ पद "परिवार" में वह व्यक्ति सम्मिलित हैं जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता–पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई/बहन और उसके पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतान;

4. **प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया।**– नियम–3(2) की शर्त्तों के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एवं विहित परिसम्पतियां धारित नहीं करने का प्रमाण–पत्र संबंधित जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में निर्गत किया जायेगा। संबंधित पदाधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र निर्गत करने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी से एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा यह घोषणा की जायेगी कि उसके

परिवार के पास संबंधित अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पति नहीं है अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात् भी वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आते हैं। घोषणा प्रपत्र अनुसूची–II (प्रपत्र–II) के रूप में संलग्न है।

5. वैधता।– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसम्पति संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

6. सत्यापन।– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन नियुक्तियां/नामांकन औपबंधिक एवं अभ्यर्थी द्वारा आय एवं परिसम्पति संबंधित प्रमाण–पत्र के सत्यापन के अध्यधीन होंगे। सत्यापन के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जाली/गलत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया पाये जाने पर सेवा/नामांकन, बिना अग्रेतर कार्रवाई के, समाप्त कर दिया जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

7. विनिमय।– यदि किसी भर्त्ती वर्ष में या किसी सत्र के नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन आरक्षित कोटि से भरे जाने वाले उम्मीदवार अधिनियम के अधीन विहित आरक्षण प्रतिशत तक उपलब्ध न हो तो बची हुई रिक्तियां/सीटें अग्रणित नहीं की जायेंगी। ऐसी रिक्तियाँ/सीटें उसी समव्यवहार/नामांकन वर्ष में खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवार से भर दी जायेंगी।

8. रोस्टर।– आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन आरक्षण उपलब्ध करने से संबंधित अनुसूची–III में दिया गया 100 (सौ) बिन्दुओं का आदर्श मॉडल रोस्टर अपनाया जायेगा।

9. कठिनाईयों का निराकरण।– यदि इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने मे यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो, राज्य सरकार, ऐसा कदम उठा सकेगी या ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी, जो इस निमयमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, और जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अनुसूची–I
(प्रपत्र–I)

बिहार सरकार
कार्यालय का नाम.......................................

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या–........................ दिनांक–........................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पति ....गाँव/शहर .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... अनुमंडल ....जिला .... राज्य .... पिन कोड .... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है :–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ....जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित नहीं है।

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

(कार्यालय का मुहर सहित)

आवेदक का
पासपोर्ट साईज
का अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

अनुसूची–II

(प्रपत्र–II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वंय घोषणा पत्र

स्वंय घोषणा पत्र

मैं...पुत्र / पुत्री / पति.. गाँव / शहर.. पोस्ट ऑफिस.............................. थाना.......................... प्रखण्ड........................ अनुमण्डल................. जिला........................ राज्य.................. ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवदेन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि :–

1. मैं.. जाति से संबध रखता / रखती हूँ जो बिहार हेतु अधिसूचित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची मे सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्त्रोतो (वेतन, कृषि, व्यवसाय,पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू.............. .... (शब्दों मे) है।

3. मेरे परिवार के पास .... अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानो पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मै (नाम) .... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता हूँ।

4. मै घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसंपत्तियो को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है–

i. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे उपर।
ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट।
iii. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।
iv. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता / करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ / जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबध मे विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा / रहूँगी।

नोटः– जो लागू नही हो उसे काट दें।

स्थान :– **आवदेक / आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम।**

दिनांक :–

अनुसूची–III

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के आलोक में 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर :–

1. अनारक्षित
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
3. अनारक्षित **(महिला)**
4. अनुसूचित जाति
5. अनारक्षित
6. पिछड़ा वर्ग
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
8. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
9. अनारक्षित **(महिला)**
10. अनुसूचित जाति **(महिला)**
11. अनारक्षित
12. पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
13. अनारक्षित
14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
15. अनारक्षित **(महिला)**
16. अनुसूचित जाति
17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
18. पिछड़े वर्गों की महिला
19. अनुसूचित जनजाति
20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
21. अनारक्षित **(महिला)**
22. पिछड़ा वर्ग
23. अनारक्षित
24. अनुसूचित जाति **(महिला)**
25. अनारक्षित
26. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
27. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(महिला)**
28. अनुसूचित जाति
29. अनारक्षित
30. पिछड़ा वर्ग
31. अनारक्षित
32. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
33. अनारक्षित **(महिला)**
34. अनुसूचित जाति
35. अनारक्षित
36. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
37. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
38. पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
39. अनारक्षित **(महिला)**
40. अनुसूचित जाति **(महिला)**
41. अनारक्षित
42. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
43. अनारक्षित
44. अनारक्षित
45. अनारक्षित **(महिला)**
46. पिछड़ा वर्ग
47. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
48. अनुसूचित जाति
49. अनारक्षित **(महिला)**
50. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
51. अनारक्षित
52. पिछड़े वर्गों की महिला
53. अनारक्षित
54. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
55. अनारक्षित **(महिला)**
56. अनुसूचित जाति
57. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
58. पिछड़ा वर्ग
59. अनारक्षित
60. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
61. अनारक्षित **(महिला)**
62. अनुसूचित जाति **(महिला)**
63. अनारक्षित
64. पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
65. अनारक्षित
66. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
67. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(महिला)**
68. अनुसूचित जाति
69. अनारक्षित
70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
71. अनारक्षित
72. पिछड़ा वर्ग
73. अनारक्षित **(महिला)**
74. अनुसूचित जाति
75. अनारक्षित
76. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
77. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
78. अनुसूचित जाति **(महिला)**
79. अनारक्षित **(महिला)**
80. पिछड़ा वर्ग
81. अनारक्षित
82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
83. अनारक्षित
84. पिछड़े वर्गों की महिला
85. अनारक्षित **(महिला)**
86. अनुसूचित जाति
87. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
88. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
89. अनारक्षित
90. पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
91. अनारक्षित **(महिला)**
92. अनुसूचित जाति
93. अनारक्षित
94. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
95. अनारक्षित
96. पिछड़ा वर्ग
97. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(महिला)**
98. अनुसूचित जाति **(महिला)**
99. अनारक्षित
100. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**

26 फरवरी 2019

सं० 11/आ०नी०–I–03/2019–2623/ सा०प्र०, अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक 26 फरवरी 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

———

The 26th February 2019

No. 11/Aa.Ni.-I-03/2019-2622/Sa.Pra.—In exercise of powers conferred by section 10 of The Bihar Reservation in vacancies in posts and services and in Admissions in the Educational Institutions (For Economically Weaker Sections) Act, 2019 the State Government makes the following rules for providing 10% reservation for Economically Weaker Sections and for implementation of the provisions of the said Act.-

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) These rules may be called "The Bihar Reservation in Vacancies of Posts and Services and in Admissions in the Educational Institutions (for Economically Weaker Sections) Rules, 2019".

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. *Definitions .- In these rules, unless the context otherwise requires -*

(a) *"Appointing authority/competent authority"* means in relation to services or posts in an establishment, an authority empowered to make appointment/a person who is responsible for admission in educational institutions.

(b) *"Prescribed"* means prescribed by rules made under the Act and published in the Official Gazette ;

(c) *"Establishment"* means any office or departments of the state concerned with the appointment to the public service and post in connection with the affairs of the state and includes-

(1) A local or statutory authorities constituted under any state Act for the time being in force, or

(2) a cooperative institution registered under the Bihar Co-operative society Act, 1935 (Act 6,1935) in which share is held by the State Government or which receives aid from the State Government in terms of loan, grant, subsidy etc. and

(3) Universities and colleges affiliated to the universities, primary, secondary and High Schools and also other educational institutions which are owned or aided by the State Government, and

(4) an establishment in public sector.

(d) *"Establishment in public sector"* means any industry, trade, business or occupations owned, controlled or managed by –

(1) The State Government or any department of the State Government.

(2) A Government Company as defined in section 617 of the Company Act 1956 (Act, 1 of the 1956) or a corporation established by or under a Central or State Act, in which not less than 51% of the paid-up share capital is held by the State Government.

(e) *"Economically Weaker Sections"* means a person belonging to Economically Weaker Section as defined in the office Memorandum F. No. 36039/1/2019-Estt. (Res.) dated 19.01.2019 of D.O.P.T., Ministry of Personnel and Public Grievances and Pension, Government of India and as may be amended in future from time to time accordingly.

(f) *"Recruitment year"* means the calendar year during which a recruitment/ admission is actually to be made.

(g) *"Reservation"* means reservation for Economically Weaker Sections in vacancies of posts and services in the State of Bihar and in the admissions in educational institutions.

(h) *"Merit list"* means the list of candidates arranged in order of merit prepared according to the provisions of this Act and orders as may be applicable for making appointments or for admission in educational institutions.

(i) *"State"* includes the Government , the Legislature and Judiciary of the State of Bihar and all local or other authorities and all type of Educational Institutions within the State or under the control of the State Government.

(j) *"Family"* for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

(k) *"Schedule"* means the scheduled attached with this rule.

3. *Parameters of Economically Weaker Sections for the purpose of direct recruitment and in the admission in educational institutions.* -

(1) Persons who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs, EBCs and BCs and whose family has Gross Annual Income below Rs. 8.00 lakh(Rupees eight lakh only) are to be identified as EWSs for benefit of reservation. Income shall also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc. for the financial year prior to the year of application.

(2) Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS, irrespective of the family income. –

- (i) 5 acres of agricultural land and above;
- (ii) Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- (iii) Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- (iv) Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

The property held by a "Family" in different locations or different places/cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

The term "Family" for this purpose will include the person who seeks benefit or reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

4. Certificate of Economically Weaker Sections and not possessing any of the assest mentioned in rule 3(2) will be issued by District Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Circle Officer concerned in the prescribed Scheduled-I (format-I). The concerned officer, prior to issuing the said certificate, will take an affidavit from the candidate in which a declaration by the candidates that, his family does not possess any other assests except in the concerned circle or even adding the assets located at different places, he falls under the Economically Weaker Sections. The declaration format is enclosed as Scheduled-II (format-II).

5. *Validity.*— Validity of income and assets certificate will be of one year from the date of issue.

6. *Verification.*— The appointment/admission under Economically Weaker Sections quota will be provisional and subject to the income and assets certificate being verified. If the verification reveals that the certificate produced by the candidate is fake/false, the service/admission will be terminated without assigning any further reasons and without prejudice to further action as may be taken under the provisions of Indian Penal Code for the production of fake and false certificate.

7. *Exchange.*— If in any recruitment year or admission for a session, candidates from Economically Weaker Sections are not available to the extent of the reservation percentage prescribed under this Rule to be filled up by the reserved category, rest of the vacancies/seats shall be filled up by the candidates of open merit category in the same transaction or recruitment year.

8. *Roster.*— A hundred point model roster will be followed for providing reservation under Economically Weaker Sections as given in schedule-III.

9. *Removal of difficulties.*— If any difficulty arises in given effect to the provisions of this Rule, the State Government may take such steps or issue such orders not inconsistent with the provisions of this Act and as it may consider necessary for removing the difficulty.

By order of the Government of Bihar,
Rajendra Ram,
Additional Secretary to the Government.

Schedule-I

(Form-I)

Government of ....

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Certificate No. ____________ Date: ______________

VALID FOR THE YEAR______________

This is to certify that Shri/Smt./Kumari__________________________________ son/daughter/wife of ____ permanent resident fo _______________________, Village/Street _______________ Post Office ____________ District____________ in the State_______________ Pin Code_______________ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/her "family"** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year ________. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

i. 5 acres of agricultural land and above;
ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notifies municipalities;
iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____________________ belongs to the __________ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (State list).

Signature with seal of Office ______________

Name_________________________

Designation______________

Recent Passport size attested photograph of the applicant.

*Note 1 : Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Schedule-II

(Format-II)

Self declaration form for getting benefit of E.W.Ss

Self declaration form

I ___________________________son/daughter/wife of _____________ vill/town ________________ Post Office ____________ Police Station ___________ Block _________ Sub-div. ________ District ____________ State ____________ have applied for certificate of E.W.Ss, hereby declare that :-

1. I belong to __________ caste. Which is not enlisted under the state list of EBC, BC, SC & ST.
2. My family's gross annual income from all sources (salary, agriculture, business, profession) is Rs. __________ (in words) ___________________.
3. My family has asset in circle ____________(Name of the Circle). Except this asset, my family does not posses any other asset.

or

even after adding assets of different locations of my family, I fall under the E.W.Ss.

4. I hereby declare that after adding all the assets of my family, it does not exceed from any of the following :-
   i. 5 acres of agricultural land and above;
   ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
   iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notifies municipalities;
   iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

I certify that the information given by me is true to my best knowledge and belief and I am eligible for getting reservation under E.W.Ss. If any information given by me is found to be false/fake, I am fully aware that the admission/appointment or any other benefit on the basis of fake/false E.W.Ss. Certificate, will be canceled and I would be held responsible for any legal action against me according to rules.

Signature of applicant

Place ____________

Date _____________

Schedule-III

100 Points Model Roster in the light of 10% Reservation for E.W.Ss :-

1. Unreserved
2. Extremely Backward Class
3. Unreserved (Female)
4. Scheduled Caste
5. Unreserved
6. Backward Class
7. Economically Weaker Sections
8. Extremely Backward Class (Female)
9. Unreserved (Female)
10. Scheduled Caste (Female)
11. Unreserved
12. Backward Class (Female)
13. Unreserved
14. Extremely Backward Class
15. Unreserved (Female)
16. Scheduled Caste
17. Economically Weaker Sections
18. Backward Class (Female)
19. Scheduled Tribe
20. Extremely Backward Class
21. Unreserved (Female)
22. Backward Class
23. Unreserved
24. Scheduled Caste (Female)
25. Unreserved
26. Extremely Backward Class (Female)
27. Economically Weaker Sections (Female)
28. Scheduled Caste
29. Unreserved
30. Backward Class
31. Unreserved
32. Extremely Backward Class
33. Unreserved (Female)
34. Scheduled Caste
35. Unreserved
36. Extremely Backward Class
37. Economically Weaker Sections
38. Backward Class (Female)
39. Unreserved (Female)
40. Scheduled Caste (Female)
41. Unreserved
42. Extremely Backward Class (Female)
43. Unreserved
44. Unreserved
45. Unreserved (Female)
46. Backward Class
47. Economically Weaker Sections
48. Scheduled Caste
49. Unreserved (Female)
50. Extremely Backward Class
51. Unreserved
52. Backward Class (Female)
53. Unreserved
54. Extremely Backward Class
55. Unreserved (Female)
56. Scheduled Caste
57. Economically Weaker Sections
58. Backward Class
59. Unreserved
60. Extremely Backward Class (Female)
61. Unreserved (Female)
62. Scheduled Caste (Female)
63. Unreserved
64. Backward Class (Female)
65. Unreserved
66. Extremely Backward Class
67. Economically Weaker Sections (Female)
68. Scheduled Caste
69. Unreserved
70. Extremely Backward Class
71. Unreserved
72. Backward Class
73. Unreserved (Female)
74. Scheduled Caste
75. Unreserved
76. Extremely Backward Class (Female)
77. Economically Weaker Sections
78. Scheduled Caste (Female)
79. Unreserved (Female)
80. Backward Class
81. Unreserved
82. Extremely Backward Class
83. Unreserved
84. Backward Class (Female)
85. Unreserved (Female)
86. Scheduled Caste
87. Economically Weaker Sections
88. Extremely Backward Class
89. Unreserved
90. Backward Class (Female)
91. Unreserved (Female)
92. Scheduled Caste
93. Unreserved
94. Extremely Backward Class (Female)
95. Unreserved
96. Backward Class
97. Economically Weaker Sections (Female)
98. Scheduled Caste (Female)
99. Unreserved
100. Extremely Backward Class (Female)

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 284-571+10 डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

पत्र संख्या–11/आ०–वि०–12/2022 सा.प्र. 15760
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, पटना।
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्व विद्यालय सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना।
सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक 02.09.22

विषयः– **राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में विवाहित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वैसी विवाहित महिलाएं जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, परन्तु उनके द्वारा अपने पति के नाम एवं पते से निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र को राज्याधीन पदों एवं सेवाओं की नियुक्ति में आरक्षण के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किया गया है, का मामला विचाराधीन है।

2. उल्लेखनीय है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–70 दिनांक–11.06.1996 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि –

राज्य की सरकारी सेवाओं के सभी श्रेणियों की सम्पूर्ण आरक्षित रिक्तियाँ बिहार में निवास करने वाले आरक्षित वर्ग के लिए ही उपलब्ध होंगी। चूँकि सरकारी सेवाओं में बिहार निवासी आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राज्य की सेवाओं की सभी श्रेणियों में आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीद्वारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल वासी हैं।

3. इसी प्रकार बिहार अधिनियम–15, 2003 में यह प्रावधान किया गया है कि–

राज्य के मूल निवासी ही बिहार अधिनियम–3, 1992 के अधीन राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

FILE PATH-D/DHARMRAJ LETTER-3

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–3025 दिनांक–11.09.2007 के आलोक में व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है। इस क्रम में सन्निहित बिन्दुओं को निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है :–

(i) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र, जो निवास, आय एवं जाति प्रमाण–पत्र पर आधारित है, अभ्यर्थी के स्थायी आवासीय अंचल कार्यालय स्तर से निर्गत होगा।

(ii) चूँकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को ही देय है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी (विवाहित महिला सहित) के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जायेगा।

(iii) बिहार सेवा संहिता के परिशिष्ट–14 (नियम–169) के आलोक में विवाहित महिला का अपने पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के आवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण–पत्र, संबंधित विवाहित महिला के आरक्षण का आधार नहीं होगा।

5. अतः ऐसी विवाहित महिलाएं, जिनके पिता बिहार राज्य के मूल निवासी हो तथा उनके द्वारा आरक्षण हेतु पति के आवास के आधार पर दावा किया गया हो, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किये गए दावे को उनके पति के आधार पर निर्गत स्थायी निवास प्रमाण–पत्र के आधार मात्र पर वंचित नहीं किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

02/09/2022

(रजनीश कुमार)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०–वि०–12/2022 सा.प्र. 15760 /पटना–15, दिनांक 02.09.22

प्रतिलिपि–ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

02/09/2022

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/आ०–वि०–12/2022 सा.प्र. 15760 /पटना–15, दिनांक 02.09.22

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी विश्वविद्यालय/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद्, पटना/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/09/2022.

सरकार के उप सचिव।

पत्र संख्या–11/आ०नी०–I–03/2019 सा.प्र. 12123

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।

पटना–15, दिनांक– 23.06.2023

विषय :– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण प्रदान करने हेतु दिशा–निदेश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए) आरक्षण अधिनियम–2/2019 के अधीन अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नियमावली के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधान किये गए हैं तथा इसके नियम–2(ञ) में परिवार की परिभाषा भी स्पष्ट की गयी है। इसके बावजूद विभिन्न स्त्रोतों से इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट करने हेतु पृच्छाएँ एवं जिज्ञासाएँ व्यक्त की जा रही हैं।

अतएव सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 द्वारा निर्गत संदर्भित नियमावली के नियम–9 में निहित प्रावधान के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सुविधा के उद्देश्य से निम्नांकित दिशा–निदेश परिचारित किये जा रहे हैं :–

(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम–15/2003 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरूष/महिला) को ही देय होगा।

FILE PATH:C/DIWA/LETTER

(ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के उद्देश्य से "परिवार" में सम्मिलित है अभ्यर्थी के माता–पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन तथा पति–पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संताने।

(iii) विवाहित पुरूष के पक्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निमित्त आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उसके स्वयं के परिवार की आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर निर्गत होगा, जिसमें पुरूष अभ्यर्थी एवं पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु की संताने सम्मिलित होंगी। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल निवास स्थान (अंचल) से निर्गत होगा, जिसका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा।

(iv) विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं।

(v) अविवाहित महिला एवं अविवाहित पुरूष के मामले में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उनके पिता के मूल निवास (अंचल) से निर्गत होगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी पिता के मूल निवास (अंचल) से निर्गत होगा।

(vi) राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए वैसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, जो राज्य सरकार के अंतर्गत वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधानित आरक्षण से आच्छादित नहीं हों।

(vii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु अभ्यर्थी के परिवार की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय में आवेदन करने के पूववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि समस्त स्त्रोतों से होने वाली आयों को इसके प्रयोजनार्थ परिगणित किया जाएगा।

(viii) आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

उपर्युक्त के आलोक में सभी जिला पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध है कि एतद् संबंधी मार्गदर्शन से अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी / राजस्व अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकार को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

23/06/2023.

(रजनीश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

FILE PATH:C/DIWA/LETTER

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आश्विन 1945 (श0)

(सं0 पटना 765) पटना, सोमवार, 25 सितम्बर 2023

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर 2023

सं० 10/क्षे0स्था0–08 (नियमा0)–18/2020सा0प्र0–**17975**—भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल **कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट)** के पदों पर भर्त्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्त्तों का निर्धारण करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (i) यह नियमावली "**बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2023**" कही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा तथा सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों (स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली सहित) तथा मुफस्सिल कार्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ।**– इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो–

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार;

(ii) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, नियम–7 में यथा निर्धारित प्राधिकार;

(iv) "विभाग" से अभिप्रेत है, बिहार कार्यपालिका नियमावली में यथा निर्धारित विभाग;

(v) "संलग्न कार्यालय" से अभिप्रेत है, किसी विभाग का संलग्न कार्यालय;

(vi) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है, संबंधित नियुक्ति प्राधिकार;

(vii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग।

(viii) "कार्यालय परिचारी" से अभिप्रेत है, समूह–'ग' के विभिन्न पदों, यथा–अनुसेवी, आदेशपाल, दफ्तरी, जमादार पिउन, जमादार अर्दली आदि पर कार्यरत कर्मचारी।

(ix) "परिचारी (विशिष्ट)" से अभिप्रेत है, समूह–'ग' के कार्यालय परिचारी के समकक्ष विशिष्ट कार्य प्रकृति के पद यथा–परिचारी (माली), परिचारी (मशालची) आदि।

3. **संवर्ग की संरचना।**– (i) कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी :–

क्र0 सं0	पद का नाम	पद की प्रास्थिति	कुल संवर्ग बल का प्रतिशत
1.	कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–IV)	मूल कोटि	50%
2.	कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–III)	प्रथम प्रो स्तरन्नति	30%
3.	कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–II)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	15%
4.	कार्यालय परिचारी / परिचारी (विशिष्ट) (कोटि–I)	तृतीय प्रोन्नति स्तर	05%

(ii) यह एक अराजपत्रित संवर्ग होगा। विभागों और निदेशालयों में नियुक्त होने वाले सरकारी सेवकों का संवर्ग, राज्यस्तरीय संवर्ग और समाहरणालयों में नियुक्त होने वाले सरकारी सेवकों का संवर्ग, जिलास्तरीय संवर्ग होगा।

(iii) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का स्वीकृत बल वही होगा, जैसा समय–समय पर संवर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित / स्वीकृत किया जाय।

(iv) इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों को वही वेतनमान / वेतन स्तर अनुमान्य होगा, जैसा समय–समय पर बिहार सरकार द्वारा निर्धारित / स्वीकृत किया जाय।

(v) इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से इस संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग मे सम्मिलित समझे जायेंगे।

4. **सीधी भर्त्ती।**– (i) इस संवर्ग के मूल कोटि के पद पर ही सीधी भर्त्ती की जा सकेगी।

(ii) सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दशम / मैट्रिक अथवा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता होगी।

(iii) सीधी भर्त्ती के लिए उम्मीदवारों का स्वस्थ होना आवश्यक होगा।

(iv) सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र वही होगी, जैसा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

(v) सीधी भर्त्ती हेतु सभी विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर संलग्न / अधीनस्थ कार्यालय सहित रिक्तियों की गणना की जायेगी तथा आरक्षण कोटिवार राज्य के सभी कार्यालयों (क्षेत्रीय कार्यालय तथा सचिवालय / मुख्यालय सहित की) समेकित रिक्तियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जायेंगी। अर्थात् प्रत्येक विभाग अपने अधीनस्थ सभी निदेशालय / संस्थानों की रिक्तियाँ आरक्षण कोटिवार प्राप्त कर तथा उन्हें आरक्षण कोटिवार समेकित करेगी तथा सम्पूर्ण राज्य की समेकित रिक्तियाँ (आरक्षण कोटिवार) सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायेंगी।

(vi) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक सभी विभागों की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी।

5. **आरक्षण।**–इस संवर्ग में सीधी भर्त्ती तथा प्रोन्नति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित आरक्षण रोस्टर से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

6. **चयन प्रक्रिया।**–(i) आयोग द्वारा विभिन्न विभागों / जिलों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर प्रकाशित समेकित विज्ञापन में संवर्गवार (विभागवार / जिलावार) रिक्तियों का उल्लेख किया जाएगा और अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता यथा–विभाग एवं जिला का विकल्प आवेदन में अंकित करेंगे।

(ii) आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद तैयार मेधासूची से आरक्षण कोटिवार अनुशंसा संबंधित विभागों को उपलब्ध करायी जाएगी। इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि सामान्य प्रशासन विभाग में अधियाचित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की पूरी सूचना उपलब्ध रहे। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(iii) आयोग द्वारा विभाग तथा जिला का आवंटन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन–पत्र भरते समय दिए गए विकल्प के अनुसार मेधा–सह–विकल्प (Merit-cum-Choice) के आधार पर किया जाएगा।

(iv) नियुक्ति प्राधिकारों द्वारा आवश्यक सत्यापन आदि के उपरान्त आरक्षण कोटिवार अधियाचित रिक्तियों के विरुद्ध सभी स्तरों की नियुक्ति की कार्रवाई की जायेगी।

(v) प्रत्येक विभाग / जिला अपने आधिकारिक वेबसाईट पर चयनित अभ्यर्थियों तथा उनके आवंटन का विवरण प्रदर्शित करेगा तथा अन्य प्रकार से भी सफल अभ्यर्थियों को सूचित भी करेगा।

(vi) चयन प्रक्रिया की कार्रवाई एवं तत्संबंधी अन्य कार्यो के संबंध मे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विद्यमान प्रावधानों के आलोक में निर्णय लिया जा सकेगा।

7. **नियुक्ति प्राधिकार**।–(i) विभागों में विभागाध्यक्ष/संलग्न कार्यालयों में कार्यालय प्रधान/प्रमण्डल कार्यालय में संबंधित जिला, जहाँ प्रमण्डल कार्यालय अवस्थित है, के जिला पदाधिकारी/जिला में संबंधित जिला पदाधिकारी नियुक्ति प्राधिकार होंगे। महाधिवक्ता कार्यालय में परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) के नियुक्ति प्राधिकार महाधिवक्ता होंगे।

(ii) नियुक्ति प्राधिकार की यह शक्ति किसी भी परिस्थिति में प्रत्यायोजित नहीं की जा सकेगी।

(iii) विभागों में विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से उप सचिव से अन्यून स्तर के किसी पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी।

8. **नियुक्ति पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया**।– नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति करते समय निम्नांकित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा–

(i) प्रत्येक विभाग/समाहरणालय नियुक्ति पदाधिकारी का हस्ताक्षर सभी कोषागारों को उपलब्ध करायेगा।

(ii) चयनित उम्मीदवारों की अनुशंसा प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकार के कार्यालय में उनके शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जाँच आयोग से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर की जायेगी। आवेदक के नाम, फोटो, हस्ताक्षर एवं प्रमाण पत्रों से पूर्णतः संतुष्ट होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जायेगा जिसमें आवेदक के सत्यापित फोटोग्राफ चिपके रहेंगे। नियुक्ति पत्र पर नियुक्ति प्राधिकार का पूर्ण हस्ताक्षर पूरा नाम एवं पदनाम अंकित होगा।

(iii) नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मियों की सेवापुस्त दो प्रतियों में खोली जायेगी। नियुक्ति पत्र की प्रति के साथ सेवापुस्त की एक प्रति भी संबंधित कार्यालय प्रधान को भेजी जायेगी अथवा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अन्तर्गत डिजीटल सेवापुस्त का संधारण किया जाएगा।

(iv) योगदान स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी नियुक्ति–पत्र की सत्यता, निर्गत नियुक्ति–पत्र के फोटोग्राफ और नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा भेजी गयी सेवापुस्त से सुनिश्चित कर लेंगे। योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्र से संतुष्ट होने पर कर्मचारियों का योगदान तीन माहों के लिए औपबधिक रूप से स्वीकार करेंगे और नियुक्तिकर्त्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि करा लेंगे। यदि तीन माहों के अन्दर यह सम्पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो संबंधित नवनियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तबतक नहीं की जा जाएगी, जबतक नियुक्ति की सम्पुष्टि नही हो जाती है।

(v) प्रत्येक नियुक्ति आदेशों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा बिहार सरकार के सरकारी गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जायेगा।

(vi) नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित गजट की प्रतियाँ उन सभी कार्यालय प्रधानों को प्रेषित की जायेंगी, जहाँ नवनियुक्त कर्मियों को पदस्थापित किया गया हो। पदस्थापन कार्यालय द्वारा गजट से नियुक्ति आदेश का मिलान किया जायेगा और प्रथम वेतन विपत्र के साथ नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित फोटोप्रति तथा गजट की प्रति भी कोषागार को भेजी जायेगी। कोषागार पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान उनके कार्यालय में पूर्व से उपलब्ध हस्ताक्षर से किया जायेगा।

9. **परीक्ष्यमान अवधि/सम्पुष्टि**।– सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मी नियुक्ति के उपरान्त दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने और उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक रहने पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी। यदि परिवीक्षा अवधि मे सेवा सतोषप्रद नही पायी जाय तो अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। परन्तु, परीक्ष्यमान की कुल अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं पायी जाती है, तब संबंधित कर्मी/कर्मियों को सेवामुक्त किया जा सकेगा, जिसके लिए किसी प्रकार के प्रतिकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

10. **वरीयता**।– सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मी की वरीयता आयोग के मेधाक्रमानुसार निर्धारित होगी। परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व यदि, वरीयता निर्धारित करते हुए वरीयता सूची प्रकाशित की गयी हो, तो वह अपरिवर्तित रहेगी।

11. **प्रोन्नति**।–(i) इस संवर्ग के उच्चतर कोटि के पदों पर प्रोन्नति वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से दी जायेगी।

(ii) प्रोन्नति हेतु आरक्षण, कालावधि आदि के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जायेगा।

(iii) प्रोन्नति हेतु प्रोन्नति समिति का गठन संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अलग आदेश से किया जायेगा।

(iv) सामान्यतः सचिवालय स्तर पर प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष संबंधित विभाग के विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होंगे। समिति के दो अन्य सदस्य, संबंधित विभाग के स्थापना के प्रभारी उप सचिव/अवर सचिव और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी होंगे।

(v) सामान्यतः जिला स्तर पर प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष संबंधित जिला के अपर समाहर्त्ता होंगे। समिति के दो अन्य सदस्य में से एक, जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी और दूसरे स्थापना उप समाहर्त्ता होंगे।

(vi) सामान्यतः प्रमण्डल स्तर पर प्रोन्नति समिति के अध्यक्ष उसी जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जिस जिला में प्रमण्डलीय कार्यालय अवस्थित हो। समिति के दो अन्य सदस्य प्रमण्डलीय आयुक्त के प्रतिनिधि और प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी होंगे।

12. **अवशिष्ट मामले।**–(i) राज्य सरकार के अन्य कर्मियों पर लागू सेवा शर्त्तें, अनुशासन, छुट्टी, सुनिश्चित वृत्तीय उन्नयन आदि के संबंध में प्रवृत्त सभी नियम, अनुदेश आदि समान रूप से इस संवर्ग के सदस्यों पर भी लागू होंगे।

(ii) जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में विशिष्ट रूप से नहीं किया गया है, उनके संबंध में राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश लागू होंगे।

(iii) इस नियमावली के किसी भी नियम की व्याख्या करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग सक्षम विभाग होगा।

(iv) यदि, इस नियमावली के किसी नियम को लागू करने मे कोई कठिनाई हो, तो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) ऐसी कठिनाई का निराकरण आवश्यक आदेश/राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।

13. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**–(i) इस सम्वर्ग के संबंध में पूर्व में अधिसूचित **बिहार समूह 'घ' (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2010 (समय–समय पर यथासंशोधित) [बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2010** के रूप मे पुनर्नामित] तथा **स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2016 (समय–समय पर यथासंशोधित) [स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2016** के रूप में पुनर्नामित] तथा समय–समय पर पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि एतद् द्वारा निरसित समझें जायेंगे। परन्तु, किसी न्यायिक आदेश के अनुपालन में पूर्व की नियमावलियों के तहत् आरम्भ की गई नियुक्ति की कार्रवाई, यदि अनिष्पादित हो, तब उसे पूर्व की नियमावलियों के तहत् निष्पादित किया जा सकेगा।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो0 सोहैल,
सचिव।

* नियमावली के अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण की व्याख्या में किसी भिन्नता की स्थिति में हिन्दी संस्करण की व्याख्या प्रभावी होगी।

22 सितम्बर 2023

सं० 10/क्षे0स्था0–08–(नियमावली)–18/2020सा0प्र0 **17976** अधि0संख्या–**17975** दिनांक–**22/09/.2023** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मो0 सोहैल
सचिव।

The 22nd September 2023

No.-10/regional estt.-08 [Rules]-18/2020 GAD**17976**–In exercise of powers conferred under Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules for process and service conditions for recruitment of office Attendant/Attendant (specific):-

1. Short title, extent and commencement:

(i) These Rules may be called Bihar office Attendant/Attendant (specific) [recruitment and service conditions) Rules, 2023.

(ii) It shall extend to the whole of the state of Bihar and it will prevail commonly in Secretariat departments and its attached offices [including resident commissioner, New Delhi] and mufassil offices.

(iii) It shall come in to force immediately.

2. Definitions :- For the purpose of these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :-

(i) "Government" means the Government of Bihar

(ii) Commission means the Bihar Staff Selection Commission.

(iii) Appointing authority means the authority specified in Rule-7

(iv) Department means a department as specified in the Rules of Executive Business.

(v) Attached offices means the offices attached to any department

(vi) Cadre controlling authority means appointment authority

(vii) Cadre means office attendant/ attendant (specific) cadre.

(viii) "Office attendant" means the employees working on various posts of Group-C such as Anusewi, Adeshpal, Daftari, Jamadar peon, Jamadar orderly etc.

(ix) " Attendant (specific)" means the post of specific work nature equivalent to office attendant Group-C, such as attendant (Mali), Attendant (Mashalchi) etc.

3. Structure of cadre (i) Office attendant/ attendant (specified) cadre will be in following manner :-

Sl. No.	Name of the post	Status of post	Percentage of total Cadre Strength
1.	Office Attendant/Attendant (Specific) Category IV	Basic Category	50%
2.	Office Attendant / Attendant (Specific) Category III	First Promotion Level	30%
3.	Office Attendant / Attendant (Specific) Category II	Second promotion level	15%
4.	Office Attendant / Attendant (Specific) Category I	Third Promotion Level	05%

(ii) It will be a non-gazatted cadre. The Cadre of Government servants to be appointed in the department and directorates will be State level cadre and the Government

servants to be appointed in the Collectorates will be district level cadre.

(iii) The sanctioned strength of posts of different categories of this cadre will be the same as fixed/sanctioned by the State Government for the cadre from time to time.

(iv) The pay scale/ pay level will be admissible to different categories of posts of this cadre as may be fixed/sanctioned by the Government of Bihar from time to time.

(V) Prior to the coming into force of these rules, regularly appointed and working persons on various categories of posts shall automatically be deemed to be amalgamated.

4. Direct Recruitment:_

(i) Direct recruitment may be made only on the basic grade of this cadre.

(ii) The minimum educational qualification for the post is 10th/Matriculation or any recognized equivalent examination must have passed.

(iii) Candidates for direct recruitment shall be of sound health.

(iv) The minimum age for direct recruitment will be 18 years and the maximum age will be same as it is fixed by the General Administration Department, Government of Bihar from time to time.

(v) For the direct recruitment, all the departments will calculate the vacancies of their attached offices and offices under their control on the basis of the status of vacancies as on 1st April of each year and roster wise consolidated vacancies of all the offices (including regional offices and offices of secretariat/ Headquarters) of the State will be made available to the General Administration Department. i.e., each department will obtain category-wise reservation of vacancies of all directorates/institutions under it and consolidate them category-wise and make available the consolidated vacancies (category wise) of the entire state to the General Administration Department.

(vi) The requisition of number of vacancies of all the departments will be made available to the Bihar Staff Selection Commission by 30th April every year by the General Administration Department.

5. Reservation :- In direct recruitment and promotion in this cadre, the provisions related to reservation roster as prescribed from time to time by the General Administration Department, Government of Bihar will be applicable.

6. Selection Process:- **(i)** The cadre wise (Department/District wise) vacancies will be mentioned in the consolidated advertisement published by the Commission on the basis of requisitions received from various departments /Districts and candidates will mark their choice viz. Department and District in the application.

(ii) Reservation category-wise recommendation will be made available to the concerned departments from the merit list

prepared after selection of successful candidates on the basis of result of competitive examination conducted, by the commission. It's information will also be made available to the General Administration Department so that the complete information of the recommended candidates for appointment against the requisitioned vacancies will remain available in the General Administration Department. The list will remain valid for one year from the date of receipt of recommendation.

(iii) The Commission will allot department and district on the basis of the option given by candidates at the time of filling application and their merit determined by the Commission i.e on the basis of Merit-cum-Choice.

(iv) Action will be taken for appointment at all levels against the reservation roster wise requisitioned vacancies after necessary verification etc. by the appointing authority.

(v) Each department/District will display the details of the selected candidates and their allotment on its Official website and will also inform the successful candidates in other ways.

(vi) Decision can be taken in the light of the existing provisions of the Bihar Staff Selection Commission regarding the action of the selection process and other related works.

7. Appointing Authority.- (i) Head of Department in Departments / Office in Attached Offices in the head offices / the District Magistrate of the concerned district in divisional offices, where the divisional office is located/ the District Magistrate of concerned district will be the appointing authority in Districts. The Advocate General will be the appointing authority of office attendant/attendant (Specific) in the Advocate General's office.

(ii) This power of the appointing authority can not be delegated under any circumstances.

(iii)With the approval of the head of the department in the departments, appointment can be made by an officer not below the level of Deputy Secretary.

8. Procedure for issue of appointment letter:- The appointing authority will mandatorily follow the following procedures at the time of appointment:-

(i) Each department/Collectorate will make available the signature of the appointing officer to all the treasuries.

(ii) On receipt of the recommendation of the selected candidates, their educational and other certificates will be verified in the office of the appointing authority on the basis of the application form received from the Commission.

On being completely satisfied with the name, photograph, signature and certificates of the applicant, the appointment letter will be issued by the appointing authority in which the attested photograph of the applicant

will be affixed. Full signature of the appointing authority, full name and designation will be mentioned on the appointment letter.

(iii) The service book of the personnel appointed by the appointing authority shall be opened in duplicate. Along with the copy of the appointment letter, a copy of the service book will also be sent to the concerned head of the office. Or, digital service book will be maintained under Human Resource Management System

(iv) The officer accepting the joining will ensure the veracity of the appointment letter, the photograph of the issued appointment letter and the service book sent by the appointing officer. On being satisfied with the prima facie appointment letter, the officer accepting the joining will accept the joining of the employees provisionally for three months and will get the appointment letter confirmed by the appointing officer. If this confirmation is not received within three months then the salary of the concerned newly appointed employee will not be drawn until the appointment is not confirmed.

(v) Every appointment order shall be published by the concerned appointing authority in the extraordinary issue of the Bihar Government Gazette.

(vi) Copies of the gazette published by the appointing authority will be sent to all the heads of offices, where the newly appointed personnel have been posted. The appointment order will be matched with the gazette by the posting office and the attested photocopy of the appointment letter and the copy of the gazette will also be sent to the treasury along with the first pay bill by the posting office. The signature of the appointing officer will be matched by the treasury officer with the signature already available in his office.

9. Period of Probation/ Confirmation:-The personnel appointed by direct recruitment will be on probation for two years after the appointment. Their service can be confirmed after successfully completing the probation period and the service being satisfactory during the said period.

If the service is not found satisfactory during the probation period, the probation period may be extended for one year, for reasons to be recorded. Provided that the total period of probation shall not exceed three years. If the service is not found satisfactory even in the extended period, then the employee/s concerned may be terminated, for which no claim of compensation will be admissible.

10. Seniority:-The seniority of the personnel appointed by direct recruitment will be determined according to the merit list of the Commission. Provided that if the seniority list determining seniority has been published before coming into force of these rules, it shall remain unchanged.

11. Promotion:-

(i) Promotion to the higher category posts of this cadre shall be done on the basis of seniority-cum-merit as per recommendation of Promotional Committee.

(ii) The Reservation, Kalawadhi etc. for promotion shall be followed in the light of circulars issued by General Administration Department, Bihar, Patna from time to time.

(iii) Promotion committee will be constituted for promotion by separate order of the concerned appointing authority.

(iv) Generally, the chairman of the promotion committee at the secretariat level will be an officer not below the rank of Special Secretary/Additional Secretary/Joint Secretary of the concerned department. Two other members of the committee will be the Deputy Secretary/Under Secretary in charge of establishment of the concerned department and the SC/ST official nominated by the General Administration Department.

(v) Generally, the chairman of the promotion committee at the District level will be the Additional Collector of the concerned district. Along the two other members of the committee, One will be SC/ST, One officer nominated by the District Magistrate and the other will be the Establishment Deputy Collector.

(vi) Generally, the chairman of the promotion committee at the divisional level will be the district magistrate of the same district in which the divisional office is located. Two other members of the committee will be the representative of the divisional commissioner and the SC/ST official nominated by the divisional commissioner.

12. Residuary Matters:-

(i) All rules and instruction in force regarding service condition, discipline, Leave, assured carrier progression etc for other government employee of the State shall be equally applicable in case of the member of this cadre.

(ii) The Subject or points for which provision has not been specifically made in these rules, the instruction issued by the State government from time to time for equivalent level employees of state government will be applicable.

(iii) For the interpretation of any rule of these rules, the General Administration Department will be the competent department.

(iv) If there is any difficulty in implementing any rule of these rules, then the State Government (General Administration Department) will be able to solve such difficulty by necessary order / notification published in the official gazette.

13. *Repeal and savings.*

(i) Bihar Group D (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2010 (as amended from time to time) [renamed Bihar Office Attendant/ Attendant (Specific) (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2010] notified earlier in relation to this category Renamed] and Office of the Resident Commissioner, New Delhi Group D Cadre (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2016 (as amended from time to time) [renamed Office of the Resident Commissioner. New Delhi Office Attendant / Attendant (Specific) Cadre (Recruitment and Service Conditions) Rules, 2016] and the resolutions/rules/orders etc. issued earlier from time to time shall be deemed to be hereby repealed. Provided that the action of appointment initiated under the earlier rules in compliance of any judicial order, if unexecuted, then it can be executed under the earlier rules.

(ii) Notwithstanding such repeal, any act done or any action taken in exercise of the powers conferred under the resolution/rules/order etc. issued earlier shall be deemed to have been done in exercise of the power conferred by or under these rules as if these rules were in force on the date on which any such act or any such action was taken.

By order of the Governor of Bihar.
Md. Sohail.
Secretary to the Govermment.

* If there is any difference in interpretation of the Rule in English version and Hindi version, the interpretation of Hindi version shall prevail.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 765-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

॥ अधिसूचना ॥

सं0–3/आर1–46/2000–का0– 1468 /भारत–संविधान के अनुच्छे र 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार ाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2005 में संशोधन करने हेतु निम्नांकित नियमावली ब ाते हैं:– पटना– 5, दिनांक– 25.4.07

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।– (1) यह नियमावली बिहार ाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2007 कही जा सकेगी ।
(2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफस्सिल कार्यालयों तक रहेगा ।
(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।

2. बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2005 के नि म–3 में संशोधन ।– उक्त नियमावली के नियम–3 में उप नियम (1) एवं उप–नियम 2) को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जायेगा–

"(1) विभिन्न वेतनमानों में वाहन चालक के पदों का नामकरण नि म्नानुसार होगा, जो दिनांक 8.11.96 के प्रभाव से लागू माना जायेगा–

(i) रू0 3050–4590/– वाहन चालक (साधारण कोटि)
(ii) रू0 4000–6000/– वाहन चालक (कोटि II)
(iii) रू0 4500–7000/– वाहन चालक (कोटि I)
(iv) रू0 5000–8000/– वाहन चालक (विशेष कोटि)

(2) विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या निम्नांकित अनुपात में रखी ज ायेंगी–

(i) साधारण कोटि –(रू0 3050–4590/–) – 30 प्रतिशत
(ii) कोटि II – (रू0 4000–6000/–) – 30 प्रतिशत
(iii) कोटि I – (रू0 4500–7000/–) – 35 प्रतिशत
(iv) विशेष कोटि – (रू0 5000–8000/–) –05 प्रतिशत "

3. बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2005 के नियम -9 में संशोधन ।– उक्त नियमावली के नियम–9 के उप नियम (1) को निम्नांकित से ातिस्थापित किया जायेगा –

" (1) साधारण कोटि (3050–4590) से उच्चतर कोटियों में निम्नांकित ाप में प्रोन्नतियाँ दी जा सकेंगी–

(क) साधारण कोटि (3050–4590) से कोटि–II (4000–60( ))) में ।
(ख) कोटि–II (4000–6000) से कोटि–I (4500–7( ) 0) में ।
(ग) कोटि–I (4500–7000) से विशेष कोटि (5000–8( ) 0) में ।"

बिहार राज्यपार के आदेश से,
(हस्ताक्षर) 25/4/07
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

D:\Jha\3\Rule Driver\amendment notification.doc

ज्ञापांक–3/आर1–46/2000–का0– **1468** / पटना–15, दिनांक– 25.4.07

प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियां इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित ।

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–3/आर1–46/2000–का0– **1468** / पटना–15, दिनांक– 25.4.07

प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

D:\Jha\3\Rule Driver\amendment notification.doc

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

संख्या–10 / न्याय–05–72 / 2010सा0प्र0 8489 / पटना, दिनांक–11 / 06 / 2015

भारत संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना–1002 दिनांक–09.10.2006 द्वारा गठित बिहार क्षेत्रीय (समाहरणालय) आशुलिपिक संवर्ग नियमावली, 2006 का संशोधन और सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा उसको अंगीकरण के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**।–यह नियमावली बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2015 कही जाएगी।
   (क) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (ख) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

"2 परिभाषा :– इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –
   (क). 'विभाग' से अभिप्रेत है सामान्य प्रशासन विभाग।"
   (ख) संवर्ग से अभिप्रेत है बिहार क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक / आशुटंकक संवर्ग
   (ग) नियुक्ति पदाधिकारी से अभिप्रेत है जिला समाहर्ता (जिला पदाधिकारी)
   (घ) आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग

"3. **संवर्ग का गठन एवं स्तर"** ।–
   (क) जो कर्मी वर्तमान में समाहरणालय एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुटंकक / आशुलिपिक के पद पर नियुक्त एवं कार्य कर रहे है, का स्वतः इस सम्वर्ग में विलय हो जाएगा।
   "(ख). यह संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग होगा तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।"
   (ग). विभिन्न कोटि के आशुलिपिकों की संख्या का आकलन उनके स्वीकृत बल के आधार पर होगा।
   (घ) आशुलिपिकों के स्वीकृत बल की संख्या राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर बढ़ाई या घटायी जा सकती है।
   "(ङ). आशुलिपिक / टंकक संवर्ग की विभिन्न कोटियों का नाम एवं पद सोपान निम्नरूपेण विहित किए जायेंगे:–

क्र0	कोटि	प्रोन्नति स्तर	वेतन स्तर	पदों का अनुपात निर्धारण
1	आशुलिपिक, ग्रेड III/आशुटंकक III	मूल कोटि	ग्रेड पे–2400	40%
2	आशुलिपिक, ग्रेड II/आशुटंकक II	प्रोन्नति का प्रथम स्तर	ग्रेड पे–4200	30%
3	वरीय आशुलिपिक, ग्रेड I/आशुटंकक I	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर	ग्रेड पे–4600	20%
4	प्रधान आशुलिपिक/ प्रधान आशुटंकक	प्रोन्नति का तृतीय स्तर	ग्रेड पे–4800	10%

(नोट :–(i) वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–7549 दिनांक–12.09.2016 द्वारा निर्धारित वेतन स्तर अधिसूचना निर्गत की तिथि–11.06.2015 से प्रवृत है।

(ii).सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–5293 दिनांक–03.05.2017 द्वारा पदों का अनुपातिक निर्धारण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि–11.06.2015 से प्रवृत है।

उक्त पदों का वेतनमान् वही होगा जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

नोट:– पदों की जिलावार अनुमान्यता के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

---

1. वित्त विभाग की संकल्प संख्या–7549 दिनाक–22.09.2016 द्वारा संशोधित
2. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक–5293 दिनांक–03.05.2017 द्वारा प्रवृत्त

4. नियुक्ति की प्रक्रिया :–

"(क). आशुलिपिक/आशुटंकक के पद पर सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्ति होगी जिसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडियट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण साथ–साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी में आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर मे दक्षता प्राप्त रहना अनिवार्य होगा।

(ख). नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(ग). नियुक्ति पदाधिकारी प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल के आधार पर वास्तविक रिक्तियों की गणना कर 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजेंगे।

(घ) आयोग अभ्यर्थियों के द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा न्यूनतम अहर्ता प्राप्तांक एवं व्यवहारिक दक्षता जाँच के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा तथा अपनी अनुशंसा नियुक्ति पदाधिकारी को भेजेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अहर्ता प्राप्तांक का आकलन आयोग विभागों से विचार कर करेगा। आशुलेखन जाँच की अहर्ता स्तर 80 शब्द प्रति मिनट एवं टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता 30 शब्द प्रति मिनट होगी। सफल होने के लिए आशुलेखन गति में 10 प्रतिशत एवं टंकण में 1.5 प्रतिशत से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगा।

5. **परीक्ष्यमान काल :–**

नियुक्ति परीक्ष्यमान काल पर होगी, जो दो वर्षों के लिए होगी। अगर नियुक्त कर्मी की सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं होगा तो उनका परीक्ष्यमान काल अवधि एक वर्ष के लिए बढाई जा सकती है। अगर नियुक्त कर्मी की सेवा एवं आचार विस्तारित अवधि में भी संतोषप्रद नहीं रहा तो वैसे कर्मी की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. **प्रशिक्षण :–**

परीक्ष्यमान काल की अवधि में कर्मी को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान या कोई अन्य संस्थान जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित है, के मॉर्डन ऑफिस प्रैक्टिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा।

7. **विभागीय परीक्षा एवं सम्पुष्टि :–**

(i). राजस्व पर्षद् की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष विभागीय परीक्षा आयोजित की जाएगी।

"(ii). विभागीय परीक्षा आशुलेखन एवं टंकण दक्षता की जाँच के लिए होगी। इसके अतिरिक्त 'कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगा। विभागीय परीक्षा में असफल होने अथवा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में सफल नहीं होने पर प्रथम वेतन वृद्धि के बाद आगे की वेतनवृद्धियाँ उक्त परीक्षाओं में उत्तीर्णता प्राप्त होने तक रूकी रहेगी।

"(iii). नियुक्त कर्मी परीक्ष्यमान काल की समाप्ति के उपरांत प्रशिक्षण पूरा करने एवं विभागीय परीक्षा तथा कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण रहने पर संवर्ग में संपुष्ट किया जायेंगे।"

"8. **प्रोन्नति**।–संवर्ग में संपुष्ट आशुलिपिकों की प्रोन्नति संवर्ग में वरीयता के आधार पर एवं समाहरणालय स्तर पर गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर होगी।

(ii) एक कोटि से दूसरे कोटि में प्रोन्नति के लिए सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि पूरी होना तथा वार्षिक गोपनीय अभियुक्तियाँ अनुकूल होना आवश्यक होगा।

9. आरक्षण :–

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुशंसित आरक्षण नीति का नियुक्ति एवं प्रोन्नति में दृढ़ता से अनुपालन किया जाएगा।

10. **पदस्थापन :–**

(i) नियुक्त आशुलिपिकों का पदस्थापन संबंधित समाहरणालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा।

(ii) संबंधित जिला समाहर्ता अपने जिला के क्षेत्राधीन कार्यालयों में स्थानान्तरण कर सकते है।

"(iii) जिला स्तरीय संवर्ग होने के बावजूद अपरिहार्य स्थिति में किसी समाहरणालय में आशुलिपिक की कमी के कारण संवर्ग के किसी कर्मी को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरित करने की शक्ति विभाग की होगी।"

11. इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नही हो सका है, उनके लिए राज्य सरकार को प्रासंगिक संहिता / नियमावली / संकल्प / अनुदेश के प्रावधान लागे होंगे।

12. इस नियमावली के प्रभाव में आने की तिथि से पूर्व के प्रासंगिक संकल्प / परिपत्र आदि निरसित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

संख्या–10 / न्याय–05–72 / 2010सा0प्र0 **8489** / पटना, दिनांक–**11 / 06 / 2015**

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 23 मार्च, 2011

संख्या–3/एम॰–098/2010–सा॰–821/ भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार–राज्यपाल समाहरणालयों के लिपिकीय संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**।– (i) यह नियमावली "**बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2011**" कही जा सकेगी।
(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. **परिभाषाएँ**।– इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो:–
(i) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है समाहरणालयों के लिपिकीय संवर्ग;
(ii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
(iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है संबंधित जिला का समाहर्ता;
(iv) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि; तथा
(v) 'सदस्य' से अभिप्रेत है संवर्गों में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इसमें इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व से संवर्गों में नियुक्त सभी व्यक्ति शामिल है; तथा
(vi) "अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति" से अभिप्रेत है सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों में से किसी एक की प्रासंगिक परिपत्रों अनुदेशों के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

3. **संवर्ग की संरचना**।– लिपिकीय संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नानुसार होगी–

क्रमांक	कोटि का नाम	स्तर	वेतन बैंड का नाम	वेतन बैंड	ग्रेड–वेतन
(क)	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	पीबी–1	5200–20200	1900
(ख)	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	पीबी–1	5200–20200	2400
(ग)	[1]प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	पीबी–2	9300–34800	4200
(घ)	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर	पीबी–2	9300–34800	4600

टिप्पणी :– निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिक, प्रधान लिपिक तथा कार्यालय अधीक्षक का वर्तमान पदसोपान अगले आदेश तक जारी रहेगा।

[1] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–14227 दिनांक–02.09.2013 द्वारा संशोधित।

[2][(i)	क्र0	कोटि का नाम	स्तर	प्रतिशत
	1	निम्नवर्गीय लिपिक	मूल कोटि	60%
	2	उच्चवर्गीय लिपिक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	25%
	3	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	10%
	4	सहायक प्रशासी पदाधिकारी	तृतीय प्रोन्नति स्तर	05%

उपर्युक्त पदों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर स्वीकृत वेतनमान/वेतन स्तर अनुमान्य होगा।]

4. **संवर्ग बल**।– संवर्ग बल ऐसा होगा जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाय।

5. **भर्ती**।– [3][(1) **निम्नवर्गीय** लिपिक का 85% पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 15% पद समूह 'घ' के **वैसे कर्मी** जो लिपिक के पद पर **नियुक्ति** की अर्हता रखते हों से, बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम में, भरे जायेंगे।

ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गयी हो, के आश्रितों की, सीधी भर्त्ती हेतु उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मापदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को उस कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी।

(नोटः– यह प्रावधान दिनांक–15.07.2021 (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–7095 दिनांक–15.07.2021 के निर्गमन की तिथि) से प्रवृत्त होगी।)]

(2) सभी भर्तियाँ आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में की जायेंगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रिल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रील तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधाक्रम में अभ्यार्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।

(5) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए करेगा।

[2] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–23501 दिनांक–30.12.2022 द्वारा संशोधित।
[3] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–19231 दिनांक–26.10.2022 द्वारा संशोधित।

6. **अर्हता।–** [4][(i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण के ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट(10+2) अथवा समकक्ष होगी।]

(ii) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय –समय पर निर्धारित की जाय।

7. **आरक्षण।–** भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित आरक्षण / रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. [5]**[प्रोन्नति द्वारा भर्ती।–** (i) नियुक्ति प्राधिकार इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण समूह 'घ' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा।

(ii) समूह–'घ' से 'ग' में प्रोन्नति, वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी, परन्तु इस प्रकार से प्रोन्नत निम्नवर्गीय लिपिकों को प्रथम वेतनवृद्धि के उपरान्त अगली वेतनवृद्धि तब तक देय नहीं होगी जब तक उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लिया जाय। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त ही निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

(नोटः– यह प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–14227 दिनांक–02.09.2013 के प्रवृत्त होने की तिथि, दिनांक–02.09.2013 से प्रवृत्त होगी।)]

9. **परिवीक्षा।–** प्रत्येक भर्ती परिवीक्षा पर दो वर्षों के लिए होगी और विशेष परिस्थितियों में इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधिविस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवमुक्त कर दिया जायेगा।

10. **विभागीय परीक्षा।–** (i) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा संचालित की जायेगी।

(ii) विभागीय परीक्षा में दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

<u>पत्र – 1</u>

<u>सेवा नियमावली</u> – बिहार सेवा संहिता, पेंसन नियमावली, वरीयता एवं प्रोन्नति के विधि, टिप्पणी एवं प्रारूपण।

---

[4] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–14227 दिनांक–02.09.2013 द्वारा संशोधित।

[5] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–16103 दिनांक–18.12.2017 द्वारा संशोधित।

पत्र – 2

वित्तीय नियमावली – कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस ऐंड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली, यात्रा भत्ता नियमावली, बीमा नियमावली।

11. **सम्पुष्टि।**– कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।

12. **वरीयता।**– संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी;

परन्तु यह कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से कनीय होंगे जो संबंधित भर्ती वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किये गये हैं;

परन्तु यह भी कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे।

13. **प्रोन्नति।**– (1) मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नानुसार गठित होगी–

(क) [6][जिला पदाधिकारी]	–	अध्यक्ष
(ख) अपर समाहर्ता	–	सदस्य
(ग) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक पदाधिकारी	–	सदस्य
(घ) स्थापना वरीय उपसमाहर्ता	–	सदस्य सचिव

14. **संवर्ग का स्तर।**– यह संवर्ग जिला स्तरीय होगा। परन्तु, अचानक जरूरत होने पर या किसी समाहरणालय में लिपिक के अभाव जैसी अत्यावश्यकता होने पर संवर्ग के किसी कर्मचारी को दूसरे जिला में, सेवा में उसके प्रवेश के आधार पर उसकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए, स्थानान्तरित करने की शक्ति सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) को होगी।

15. **अवशिष्ट मामले।**– ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं; संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

[6] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–14227 दिनांक–02.09.2013 द्वारा संशोधित।

16. **कठिनाई का निराकरण** ।– सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) समय–समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो।

17. **शिथिल करने की शक्ति** ।– जहाँ सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ आदेश द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए किसी व्यक्ति या किसी कोटि के संबंध में इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को शिथिल कर सकेगी।

18. **निर्वचन** ।– जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

19. **निरसन एवं व्यावृत्ति**।– (i) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश निरसित किये जाते हैं।

(ii) ऐसा निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश में प्रदत्त किसी शक्ति के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–3/एम॰ –098/2010 – सा० 821 /पटना–15, दिनांक 23 मार्च, 2011

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 फाल्गुन 1944 (श0)
(सं0 पटना 203) पटना शुक्रवार, 3 मार्च 2023

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना
2 मार्च 2023

सं० 26/नि0नि0–19–02/2021–4319/सा०प्र०— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** ।–
   (i) यह नियमावली "बिहार उत्कृष्ट खिलाडियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023" कही जा सकेगी।
   (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ** ।–इस नियमावली में जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–
   (i) "**नियमावली**" से अभिप्रेत है "बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023" ।
   (ii) "**सरकार**" से अभिप्रेत है बिहार सरकार।
   (iii) "**वर्ष**" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक।
   (iv) "**नियुक्ति प्राधिकार**" से अभिप्रेत है संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में परिभाषित नियुक्ति प्राधिकार।
   (v) "**उत्कृष्ट खिलाड़ी**" से अभिप्रेत है बिहार राज्य के वैसे खिलाड़ी जो बिहार राज्य के मूल निवासी हों, जिन्होंने भारत वर्ष की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो/सहभागिता की हो/किसी राज्य की ओर से राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक प्राप्त किया हो।
   (vi) "**व्यक्तिगत स्पर्धा**" से अभिप्रेत है वैसी स्पर्धा, जिसमें व्यक्तिगत प्रदर्शन से उपलब्धि प्राप्त की गयी हो।
   (vii) "**दलीय स्पर्धा**" से अभिप्रेत है वैसी स्पर्धा, जिसमें एक से अधिक खिलाडियों द्वारा एक दल के रूप मे खेलते हुये उपलब्धि प्राप्त की गयी हो।
   (viii) "**भारत वर्ष का प्रतिनिधित्व**" से अभिप्रेत है बिहार राज्य के मूल निवासी जो भारत देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में करने वाले खिलाड़ी हैं।

3. **अर्हताएँ** ।–

(क) इस नियमावली के अंतर्गत निम्नांकित अर्हता प्राप्त खिलाडी राज्य सरकार की सेवा में उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी मे नियुक्ति के पात्र होंगे:–

(i) जो बिहार राज्य के मूल निवासी हों।

(ii) **पदक विजेता की सीधी भर्ती** के लिये निर्धारित पे–बैंड/स्केल एवं वेतन स्तर तथा उसके लिये निर्धारित न्यूनतम खेल अर्हता:–

क्र० सं०	पे–बैंड/स्केल का नाम	वेतन स्तर	सीधी भर्ती के लिये निर्धारित न्यूनतम खेल अर्हता
(i)	पीबी–II(9300–34800) ग्रेड पे–5400	9	ओलम्पिक खेलो में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक विजेता या एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स मे स्वर्ण पदक विजेता।
(ii)	पीबी–II(9300–34800) ग्रेड पे–4600	7	ओलम्पिक खेलो मे सहभागिता या एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत/कांस्य पदक विजेता।
(iii)	पीबी–II(9300–34800) ग्रेड पे–4200	6	**1.** एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में सहभागिता या नेशनल गेम्स/सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में स्वर्ण/रजत पदक विजेता। **2.** केवल वैसे गेम्स जो ओलम्पिक गेम्स/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल है।
(iv) (क)	पीबी–I(5200–20200) ग्रेड पे–1800/1900	1/2	**1.** नेशनल गेम्स/सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में कांस्य पदक विजेता। **2.** जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में स्वर्ण/रजत/कांस्य पदक विजेता (क) उम्र 18 वर्ष के बाद आवेदन कर सकते है। (ख) व्यक्तिगत स्पर्धा में न्यूनतम 16 प्रतिभागी एवं दलीय स्पर्धा में संबंधित खेल से कम से कम 8 दल भाग लिये हों। **3.** केवल वैसे गेम्स जो ओलम्पिक गेम्स/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल है।

ट्रायल/परीक्षण के आधार पर

(iv) (ख)	पीबी–I(5200–20200) ग्रेड पे–1800/1900	1/2	(क)नेशनल गेम्स में व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम आठ या क्वार्टर फाईनलिस्ट एवं दलीय स्पर्धा में सेमीफाईनलिस्ट, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम छः या क्वार्टर फाईनलिस्ट एवं दलीय स्पर्धा में सेमीफाईनलिस्ट। (ख) व्यक्तिगत स्पर्धा मे न्यूनतम 16 प्रतिभागी एवं दलीय स्पर्धा में संबंधित खेल से कम से कम 8 दल भाग लिये हों। (ग) केवल वैसे गेम्स जो ओलम्पिक गेम्स/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स मे शामिल हैं।

नोटः

1. दिव्यांग* खिलाड़ियों के लिये भी उपरोक्त अर्हता प्रभावी होगी।
   *Para sports/deaf/cerebral palsy /autism
2. किसी भी आमंत्रण/मेमोरियल/गैरआधिकारिक चैम्पियनशीप/प्रतिस्पर्धा को मान्यता नहीं दी जायेगी।

(ख) इस नियमावली के अन्तंर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम खेल अर्हता के आधार पर जिस श्रेणी मे सभी प्रक्रियाओ का पालन करते हुए उत्कृष्ट खिलाडी की नियुक्ति होती है, वे यदि भविष्य में अपने प्रदर्शन मे सुधार कर उच्च श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता को प्राप्त कर लेते है, तो

उन्हें स्वतः उस श्रेणी के लिए योग्य मानते हुए उस रिक्त पद के विरूद्ध सीधी नियुक्ति की जायेगी। परंतु इस तरह की नियुक्ति किये जाने की स्थिति में पूर्व सेवा की गणना की जायेगी तथा कर्मी की सेवा में टूट नहीं माना जायेगा।

4. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता।**—न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो समूह–ख के पदों पर नियुक्ति हेतु स्नातक अथवा समकक्ष, समूह–ग के लिपिकीय संवर्ग के निम्नवर्गीय लिपिकीय पदों पर नियुक्ति हेतु इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष एवं कार्यालय परिचारी के पदों पर नियुक्ति हेतु मैट्रिक अथवा इसके समकक्ष स्तर की शैक्षणिक योग्यता धारण करते हों। सीधी भर्ती हेतु राज्य सरकार की अनुमति से उपर्युक्त नियम–3(क) (ii) के खिलाड़ी यदि शैक्षणिक योग्यता धारण नहीं करते/करती हों वैसे खिलाड़ियों को नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष के अंदर उस पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक अर्हता को प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह कि नियुक्त किया गया व्यक्ति संबंधित सेवा में पदोन्नति हेतु विचार किये जाने के लिये तब तक पात्र नही होगा/होगी जब तक कि वह विहित शैक्षणिक अर्हता धारण नहीं कर लेता/लेती है।

5. **चयनित खेल विधा।**—इस नियमावली के अन्तर्गत खेल विधाओं के अलावा किसी भी खिलाड़ी द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा में पदक प्राप्त करने की स्थिति में उस खेल विधा में भी नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित खेल विधा समिति द्वारा अनुशंसा की जायेगी। समिति के सदस्य निम्नवत् होंगे :–

(I) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	:–	सदस्य
(II) महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण	:–	सदस्य
(III) भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल विशेषज्ञ	:–	सदस्य
(IV) निदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण	:–	सदस्य

6. **चयन प्रक्रिया ।**–

(i) चयनित खेल विधा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति असैनिक संवर्ग में सीधी भर्ती हेतु (प्रोन्नति हेतु आरक्षित पदों को छोड़कर) उपलब्ध मूल कोटि के कुल बल के 10 प्रतिशत के अंतर्गत होगी। सिपाही संवर्ग एवं पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु आगामी प्रत्येक रिक्त पदों में एक प्रतिशत पद खिलाड़ियों के लिए खेल कोटा के रूप में आरक्षित रहेगा। पुलिस उपाधीक्षक के लिये स्वीकृत बल का दस प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा।

(ii) चयनित खिलाड़ी आरक्षण की दृष्टि से जिस कोटि से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षण कोटि में की जायेगी, अर्थात् आरक्षित कोटि के चयनित खिलाड़ियों की गणना संगत आरक्षित कोटि के विरुद्ध तथा गैर आरक्षित वर्ग के खिलाड़ियों की गणना गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

(iii) चयनित खेल विद्याओं में प्राप्त उपलब्धि के आधार पर समूह–'ख' तथा समूह 'ग' के पदों पर नियुक्ति की जायेगी।

(iv) सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सभी विभागों/कार्यालयों से प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक नियम–3(क)(ii) के पदों हेतु रिक्तियाँ प्राप्त किया जायेगा।

(v) बिहार के निवासी किसी अन्य राज्य में या भारत सरकार या भारत सरकार के किसी संगठन एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कार्यरत खिलाड़ी खेल के निर्धारित अर्हता को प्राप्त करते हैं तो वे भी आवेदन देने के पात्र होंगे तथा इस तरह की नियुक्ति किये जाने की स्थिति में पूर्व सेवा की गणना की जायेगी एवं कर्मी की सेवा में टूट नहीं माना जायेगा। पूर्व का वेतन स्तर कायम रहेगा।

(vi) **ट्रायल।**–ट्रायल के आधार पर भर्ती के लिए खेल विधावार ट्रायल, ट्रायल समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा। ट्रायल समिति के अध्यक्ष/सदस्य निम्नलिखित होंगे :–

(क)	महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण	–	अध्यक्ष
(ख)	निदेशक, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	–	सदस्य
(ग)	निदेशक–सह–सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण	–	संयोजक
(घ)	बिहार राज्य प्राधिकरण द्वारा मनोनित राष्ट्रीय स्तर के खेल सलाहकार (खेल विधा के अनुसार)	–	सदस्य
(ड.)	जिला खेल पदाधिकारी	–	सदस्य

7. **पदक विजेताओं के लिए विशेष प्रक्रिया ।**–

(i) नियम–3 (ii) के क्रम संख्या (i) से (iv(क)) के पदों के लिये पदक विजेता/सहभागिता प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से आवेदन प्रपत्र में प्राप्त कर, आवेदनों की स्क्रूटिनी कर सीधे तौर पर महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के अनुशंसा पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के अतंर्गत ऐसे खिलाड़ियों की नियुक्ति गठित चयन समिति के अनुमोदन से किया जायेगा।

(ii) उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति के निम्नांकित अध्यक्ष/सदस्य होंगे:–

(क)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना	–	अध्यक्ष
(ख)	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
(ग)	महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण	–	सदस्य
(घ)	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के उप सचिव के अन्यून स्तर के पदाधिकारी	–	सदस्य
(ङ)	बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा मनोनीत संबंधित खेलविधा के एक राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ	–	सदस्य

(iii) किसी एक खेल विधा में (अपवाद एथलेटिक्स), एक वर्ष में पाँच से अधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नहीं की जायेगी। दल द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर अधिकतम 5 खिलाड़ियों की नियुक्ति की शर्त्त को विशेष परिस्थिति में शिथिल किया जाएगा।

(iv) टीम आयोजनों में, यदि अपेक्षित योग्यता रखने वाले सभी टीम सदस्य नियुक्ति के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो चयन समिति भर्ती के लिए ऐसे सभी व्यक्तियों पर विचार करेगी। इस मामले मे खिलाडी/प्रति खेल/प्रति वर्ष की संख्या पर कोई बंधेज नही होगी।

(v) दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित मान्यता प्राप्त सभी खेल विधाओं को एक ही खेल विधा मानते हुए नियुक्ति के लिए समेकित रूप से विचार किया जायेगा एवं राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए निर्धारित कोटा के अनुसार अनुमान्य रिक्त पदों पर उत्कृष्ट दिव्यांग खिलाड़ियों की नियुक्ति की जायेगी। दिव्यांग खिलाड़ियों की नियुक्ति पुलिस सम्वर्ग में नहीं होगी।

(vi) **खेल अर्हता की गणना की अवधि** ।–

1. उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु, खेल उपलब्धियाँ तत्काल पिछले 2 वर्षों के अंदर की होनी चाहिये अर्थात् नियुक्ति के वित्तीय वर्ष एवं उससे पहले के दो वित्तीय वर्ष के बीच का होना चाहिये।
2. पदक धारक, पदक जीतने की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

(vii) **टाई को तोड़ने की विधि** । –दो या दो से अधिक खिलाड़ियों के द्वारा धारित योग्यता/अंक समान रहने की स्थिति में चयन हेतु निम्नांकित प्राथमिकता/विधि अपनाई जायेगी :–

(क) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नये कीर्तिमान बनाने की स्थिति में संबंधित खिलाड़ी को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) नियम–08(क) मे उल्लिखित क्रम में उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धा की उपलब्धि को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ग) व्यक्तिगत उपलब्धि दलीय उपलब्धि से बड़ी मानी जायेगी।

(घ) प्रभावी वर्ष में प्राप्त उपलब्धि को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ङ) यदि नियम–7(vi)(क), (ख), (ग), (घ) एवं (ङ) द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया के बावजूद दो या दो से अधिक खिलाड़ियों के द्वारा धारित योग्यता/अंक समान आता है तो जिनका उम्र अधिक होगा उनका चयन पहले किया जायेगा।

(viii) दलीय प्रतिस्पर्धा में अर्हता प्राप्त दल के सभी सदस्यों के द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन दिये जाने की स्थिति में उपर्युक्त नियम–7(vi) में वर्णित शर्त्तों के अनुसार चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(ix) बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा तैयार औपबंधिक मेधा सूची प्रारूप सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से चयन समिति के समक्ष रखा जायेगा। चयन समिति द्वारा औपबंधिक मेधा सूची के अनुमोदनोपरांत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार, पटना द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित खेल प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघो से कराया जायेगा। सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि औपबंधिक मेधा सूची में संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी तो उसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तदनुरूप प्रकाशित किया जायेगा, परन्तु यदि औपबंधिक मेधा सूची में संशोधन की आवश्यकता होगी, तब चयन समिति द्वारा औपबंधिक मेधा सूची को तदनुरूप संशोधित किया जाएगा एवं संशोधित औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाइट पर किया जायेगा।

(क) औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर किसी प्रकार की दावा/आपत्ति बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को समर्पित की जा सकेगी।

(ख) प्राप्त दावा/आपत्तियों की जाँच कर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण अपना जाँच प्रतिवेदन चयन समिति को प्रस्तुत करेगी एवं चयन समिति उक्त प्रतिवेदन के आधार पर दावा/आपत्ति का निराकरण कर प्रत्येक कोटि एवं पद के लिए अंतिम मेधा सूची जारी करेगी। अंतिम मेधा सूची अधिकतम पाँच खिलाड़ियो की तैयार की जाएगी। अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर किया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रिक्तियों की अधियाचना के आधार पर अंतिम मेधा सूची में अंकित उत्कृष्ट खिलाड़ियों की अनुशंसा संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को भेजी जायेगी। अंतिम मेधा सूची की वैधता इसके प्रकाशन की तिथि से केवल एक वर्ष तक होगी।

किसी खिलाड़ी द्वारा योगदान नहीं देने पर उक्त रिक्ति आगामी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर ली जाएगी। कोई प्रतीक्षा सूची संधारित नहीं होगी।

8. **खिलाड़ियों की वरीयता** ।–

(क) खिलाड़ियों की वरीयता निम्न प्रकार से निर्धारित होगी।

1. ऑलम्पिक गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता।
2. ऑलम्पिक गेम्स के रजत पदक विजेता।
3. ऑलम्पिक गेम्स के कांस्य पदक विजेता।
4. ऑलम्पिक गेम्स में सहभागिता।
5. एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता
6. कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता
7. एशियन गेम्स के रजत पदक विजेता
8. कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता
9. एशियन गेम्स के कांस्य पदक विजेता
10. कॉमनवेल्थ गेम्स के कांस्य पदक विजेता
11. एशियन गेम्स में सहभागिता।
12. कॉमनवेल्थ गेम्स में सहभागिता।
13. सीनियर नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता
14. सीनियर नेशनल गेम्स में रजत पदक विजेता
15. सीनियर नेशनल गेम्स में कांस्य पदक विजेता
16. सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप मे स्वर्ण पदक विजेता
17. सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप मे रजत पदक विजेता
18. सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में कांस्य पदक विजेता
19. जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप स्वर्ण पदक विजेता
20. जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप रजत पदक विजेता
21. जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप कांस्य पदक विजेता

(ख) किसी पंचांग (कैलेण्डर) वर्ष मे, किसी संवर्ग में प्रोन्नति एवं सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मी मेधावी खिलाड़ियों से वरीय होंगे परंतु अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मी मेधावी खिलाड़ी से कनीय होंगे।

9. **आयु सीमा** ।–उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र की सीमा नहीं होगी।

10. **सेवा शर्त** ।–

(i) इस नियमावली के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) तथा बिहार खिलाडी सरकारी सेवक (सेवा शर्त्त) नियमावली, 2015 लागू होगी।

(ii) खेल कोटा के अधीन नियुक्ति इसी शर्त्त पर की जायेगी कि नियुक्त सभी उम्मीदवार नियुक्ति की तिथि से 05 वर्षो तक सक्रिय खिलाड़ी के रूप में प्रतिस्पर्धाओं में शामिल होंगे एवं इस प्रयोजनार्थ एक बंधपत्र (Bond) अनिवार्य रूप से देंगे। बंधपत्र (Bond) के शर्त्तो को पूरा करने में विफल रहने वाले खिलाड़ियों की सेवा संपुष्टि नहीं की जायेगी।

11. **विनियमावली** ।–इस नियमावली के किसी नियम उपबंध को लागू करने में कठिनाई होने पर अथवा चयन प्रक्रिया, ट्रायल, अर्हता तथा अन्य मामलों के संबंध में जिनका इस नियमावली में स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है, उन्हें लागू किये जाने हेतु विनियमावली बनाई जायेगी।

12. **प्रकीर्ण** ।–किसी अन्य नियमावली में इस नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के होने पर भी इस नियमावली के प्रावधानों का अविभावी प्रभाव होगा।

13. **कठिनाईयों का निराकरण** ।–इस नियमावली के किसी उपबन्धों के कार्यान्वयन में होने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिये समय–समय पर सरकार यथावश्यक सामान्य या विशेष निर्देश जारी कर सकेगी तथा प्रवृत्त नियमावली में संशोधन कर सकेगी।

14. **निरसन एवं व्यावृति** ।–तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–3792 दिनांक 14.03.1973 संकल्प संख्या–1086 दिनांक 20.01.1979 एवं बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली–2009 (वर्ष–2012 तक यथासंशोधित) में उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति से संबंधित सभी अनुदेश, बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली–2014 में उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति से संबंधित सभी अनुदेश, बिहार उत्कृष्ट खिलाडियों की नियुक्ति (संशोधन) नियमावली–2020 एवं गृह विभाग द्वारा अधिसूचित बिहार पुलिस खेल–कूद नीति, 2013 में उत्कृष्ट खिलाडी की नियुक्ति से संबधित सभी अनुदेश निरसित समझे जायेंगे।

ऐसा निरसन के होते हुये भी उपर्युक्त परिपत्र/संकल्प/नियमावली के अधीन इस नियमावली के लागू होने के पूर्व की गई कार्रवाई या किये गये किसी कार्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार

आवेदन पत्र आवेदन संख्या ....

(एकल / दलीय प्रतिस्पर्धा) (केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

स्वअभिप्रमाणित फोटो

1. नाम : ....
2. जन्म तिथि (जन्म प्रमाण–पत्र या दसवीं का प्रमाण–पत्र संलग्न करें):..
3. पत्राचार का पता : ....

   ....
4. मेल पता : ....
5. आधार नं0 .... मोबाईल फोन नं0 ....
6. क्या आप बिहार के स्थायी निवासी हैं ? हाँ / नही
   (यदि हाँ, तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
7. क्या आप बिहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं ? हाँ / नहीं (यदि हाँ, तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
8. शैक्षणिक योग्यताएं (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) ....
9. निःशक्तता की किस्म तथा प्रतिशतता (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए प्रमाण–पत्र संलग्न करें) ....
10. खेलविधा का नाम : ....
11. सर्वोत्तम खेल उपलब्धि (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :

    (i) खेल प्रतियोगिता का नाम : ....

    (ii) आयोजित करने वाला प्राधिकरण : ....

    (iii) मास तथा वर्ष : ....

    (iv) खेल प्रतियोगिता का स्थान : ....

    (v) खेल प्रतियोगिता का स्तर : ....

    (vi) जीता गया पदक : ....
12. भारत सरकार / भारत सरकार के कोई संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अन्य राज्य में कार्यरत खिलाड़ी हैं यदि है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें या योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोटः– सभी प्रमाण–पत्र स्वअभिप्रमाणित होने चाहिए।

खिलाड़ी द्वारा घोषणा

1. मैंने बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 पढ़ लिया है तथा घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि मैं इन नियमों के अधीन नियुक्ति के विचारण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हूँ।
2. मैंने आवेदन के समर्थन मे सभी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न की हैं।
3. मैंने अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर बिहार/अन्य किसी राज्य.................................. का प्रतिनिधित्व किया है।
4. मैं कदाचार जैसे कि डोपिंग, लैगिक उत्पीड़न तथा गाली देना, प्रतिस्पर्धा हेर–फेर जैसे कि शर्त लगाना, आन्तरिक जानकारी, मैच फिक्सिंग, खेल की अखण्डता तथा सार को खतरा पैदा करने वाली धमकी देने का दोषी नहीं हूँ।
5. यदि नियुक्ति दी जाती है, तो मैं वचन देता हूँ कि सेवा ग्रहण करने से पूर्व, मै धन संबंधी लाभ जैसे कि वाणिज्यिक समर्थन या व्यावसायिक खेल संबंधी अस्तित्वयुक्त संविदा नही करूंगा।
6. यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए विवरण सत्य तथा सही हैं। यहाँ कुछ भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। दी गई गलत सूचना या तथ्य छिपाने की दशा में मेरी सेवाएं बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाऐंगी।

दिनांक : .... **(खिलाड़ी का हस्ताक्षर)**

स्थान :...............................

..................................**केवल कार्यालय प्रयोग के लिए** ....

महानिदेशक, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की अनुशंसा

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ मूल से जाँच ली गई हैं तथा सही पाई गई हैं।

नाम .... आधार संख्या .... आवेदन पत्र क्रमांक .... को .... की सरकारी सेवा के लिए अनुशंसा की जाती है।

जाँचे गये दस्तावेजों की सूची :–

1. खेल उपलब्धि प्रमाण–पत्र
2. निःशक्तता प्रमाण–पत्र (पैरा, नेत्रहीन, बधिर, विशेष ओलम्पिक खेल के लिए)
3. पदक का नाम एवं प्रमाण–पत्र

दिनांक :–

महानिदेशक,
बिहार राज्य खेल प्राधिकरण।

डॉ० बी० राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

2 मार्च 2023

सं० 26/नि0नि0–19–02/2021–4320/सा0प्र0–अधिसूचना संख्या 4319, दिनांक 2 मार्च 2023 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका अधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 बी0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 2nd March 2023

No. 26/Ni.Ni.-19-02/2021 GAD/4319—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following rules for direct appointment of outstanding sportspersons :-

1. ***Short title, extent and commencement.:-***
   - (i) These Rules may be called as "The Bihar Outstanding Sportspersons Direct Appointment Rules, 2023."
   - (ii) It shall extend to the whole State of Bihar.
   - (iii) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. ***Definitions.*** *:- In these rules, unless the context otherwise requires:-*
   - **(i)** ***'Rules'*** means "*The Bihar Outstanding Sportsperson Direct Appointment Rules, 2023.*"
   - **(ii)** ***'Government'*** means, the Government of Bihar.
   - **(iii)** ***'Year'*** means the financial year i.e. from 1st April to 31st March of next year.
   - **(iv)** ***'Appointing authority'*** means Appointing authority as defined in the concerned service/cadre Rules ;
   - **(v)** ***'Outstanding Sportsperson'*** means such Sportsperson who is native of the State of Bihar and have won medal/participated in international competitions on behalf of India/ have won medal in national competitions representing any of the state.
   - **(vi)** ***'Individual event'*** means such events in which the achievement is by the individual's effort.
   - **(vii)** ***'Team event'*** means, such events in which achievement done by two or more than twoindividuals as a team.
   - **(viii)** ***'Representation of India'*** means the permanent resident of the Bihar State representing Indiaas Sportsperson in international competition.

3. **(a)** ***Qualifications.—*** Under these rules, the Sportspersons having the following qualifications shall be suitable for appointment in the category of outstanding Sportspersonunder the service of the State Government, who
   - **(i)** is the permanent resident of State of Bihar
   - **(ii)** Pay band/scale and pay level and minimum sports achievement qualification fixed for direct appointment of medal winner :-

Sl. No.	Pay band/ name ofscale	Pay level	Minimum qualification fixed forsports for direct appointment
(i)	PB-II (9300-34800) Grade pay 5400	9	Winner of Gold/Silver/Bronze medalin Olympic games or winner of Goldmedal of Asian games/Commonwealth games.
(ii)	PB-II (9300-34800) Grade pay 4600	7	Participation in Olympic games or Winner of Silver/ Bronze medal inAsian games/ Commonwealth games.
(iii)	PB-II (9300-34800) Grade pay 4200	6	1. Participation in Asian games /Commonwealth games or Gold/ Silver in National games /Senior National Championship. 2. Only those games which are included in Olympic games/Asian games/ Commonwealth games.
(iv) (a)	PB-I(5200-20200) Grade pay 1800/1900	Level 1 & 2	1. Winner of bronze medal in National games/ Senior Nationalchampionship. 2. Winner of Gold/Silver bronze medal in Junior National Championship. (a) Applicable to submit application after age of 18 (b) There must be minimum 16 participants in 'Individual event' and in 'Team event" at least 8 teams might have participated from the respective games. 3. Only those games which are Included in Olympic games/ Asian games/ Commonwealth games.

			On the basis of Trial
(iv) (b)	PB-I (5200-20200) Grade pay 1800/1900	Level1 & 2	(a) In National games first 8 (eight) positions in an individual event or a quarter finalist/In team event semifinalist. In senior National championship in an individual event first 6 (six) positions or a quarter finalist/in team eventsemifinalist. (b) There must be minimum 16 participants in 'Individual event' and in 'Team event" at least 8 teams might have participated from the respective games. (c) Only those games which are included in Olympic games/ Asian games/Commonwealth games.

Note :- 1. The aforesaid qualifications would also be effective in the matter of the differently abled * sportsperson.

* Para sports/deaf/cerebral palsy /autism

2. Invitation/memorial/non official championships/competitions shall not be recognized for recruitment purposes.

(b). If any outstanding Sportsperson appointed under these rules, attains minimum eligibility criteria required for higher grade by improving his or her performance in future, he/she shall be automatically deemed to be fit for the next higher grade as per his performance level and he/she shall be appointed (Out of turn) in that particular next higher grade directly against the vacant post.

In case of out of turn appointment, the previous service of such sportsperson will also be counted in continuity with his new service.

4. ***Minimum educational qualification***— The minimum academic qualification for appointment to the Group 'B' post, would be graduate or equivalent, and for Group 'C' posts, for appointment to the post of lower Division Clerk (Clerical cadre), Intermediate or equivalent and for appointment to the post of Office Attendant, Matric or equivalent to it.

Provided the sportsperson appointed directly, do not have required academic qualification under aforesaid rule 3(a)(ii) he/she, would be mandatorily required to obtain required academic qualification for the said post within five years from the date of his/ her appointment. They would not be eligible for promotion in concerned service/cadre untill they obtain the required academic qualification.

5. *Any other sports discipline.* .—Under these rules, if any of the sportsperson gets a medal in an affiliated/recognized (Indian Olympic Association) international sports competition, such Sportsperson will also be considered for appointment.

For this purpose, recommendation of a sports discipline committee, constituted in the General Administration Department (GAD) under the Chairmanship of Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, GAD, will be required. The following would be the members of the Committee :-

(i) Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary Art, Culture and Youth Department- Member

(ii) Director General, Bihar State Sports Authority-Member

(iii) Sports specialist of Indian Sports Authority-Member

(iv) Director, Bihar State Sports Authority-Member

6. ***Selection procedure.—***

(i) The appointment of outstanding Sportsperson would be done in the selected sports discipline as direct appointment in civil cadre under 10% of total strength of basic cadre [except reserved posts for promotion]

For constable cadre and police sub inspector cadre, a quota of 01% post would be reserved for direct appointment of the sportsperson in every subsequent transaction and for Deputy Superintendent of Police, 10% of sanctioned post would be reserved.

(ii) The sportspersons recruited under these rules will be adjusted in reserved/unreserved category according to the reservation rules of the state. for example: If the sportsperson so recruited belongs to any of the reserved category he/she shall be adjusted under reserved category. Similarly if the sportsperson so recruited belongs to unreserved

(General) category he or she shall be adjusted under unreserved (General) category.

(iii) The appointment would be made to the posts of Group 'B' and 'C' on the basis of achievement in respective sports discipline.

(iv) The General Administration Department will collect vacanciesbetween 1st April to 31st March of every year for the posts mentioned in Rule 3(a)(ii) from all departments/offices.

(v) The sportspersons who are native/permanent resident of Bihar and are employed in any public sector or in any other state government/ Government of India are also eligible to submit application if they fulfil required qualification/criteria and service of such appointed persons will be treated as continuous from their previous service and it will not be treated as break in service.

(vi) ***Trial*** .— For appointment on the basis of trial, Trial committee will convene sports discipline wise trial. The following would be chairman/members of trial committee :-

- **a.** Director General, Bihar State Sports Authority-Chairman
- **b.** Director, Art, Culture and Youth Department-Member
- **c.** Director-cum-Secretary, Bihar State Sports Authority-Convenor
- **d.** Any nationally reputed Sports consultant (as per the sport) nominated by Bihar State Sports Authority- Member
- **e.** District Sports Officer- Member

7. ***Special procedure for medal winner.—***

(i) The application form of the sportsperson who have won medal/participants applied for the posts Sl. No. (i) to (iv) (a) of rule 3(a)(ii) shall be received, scrutinized and shall be recommended by Director General, Bihar State Sports Authority under direct recruitment process. Based on the recommendation they would be recruited after the approval of constituted selection committee.

(ii) For selection of outstanding sportsperson, the following shall be the chairman and members of the selection committee constituted by the State Government :-

- **(a)** Additional Chief Secretary/Principal Secretary/ Secretary, General AdministrationDepartment- Chairman
- **(b)** Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary, Art, Culture and YouthDepartment - Member
- **(c)** Director General, Bihar State Sports Authority-Member
- **(d)** An officer not below the rank of Deputy Secretary belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe nominated by the General Administration Department-Member
- **(e)** Any nationally reputed Sports consultant (as per the sport) nominated by Bihar State Sports Authority -Member

(iii) Except Athletics, in any other individual event, not more than five outstanding sportspersons would be appointed in a year.

(iv) In team events, if all the team members having requisite qualifications submit their applications for appointment, the selection committee shall consider all such persons for recruitment. In such, case there will not be any bar on number of players/per game/per year.

(v) For appointment of differently abled sportspersons, all the sports and games included in Para Olympics, Deaf Olympics, Cerebral Palsy/Autism games shall be treated as one sport discipline. They would be appointed against vacant posts as per their quota fixed time to time by the GAD of the State Government. As a rule, differently abled outstanding sportspersons shall not be appointed in police department.

(vi) Time period for applying under this rule :-

1. Those outstanding sportspersons whose achievements are within a maximum period of three years including the year of winning the medal and the same rule applies for participation also.
2. Medal holders can submit their applications to the DG, Bihar State Sports Authority within a maximum period of three years including the year of winning the medal and the same rule applies for participation also.

(vii) ***Tie breaking procedures***:- In case of tie between two or more outstanding sportsperson the following procedures shall be adopted.

(a) Person, who has set a new international/National/ Championship record, shall be given the priority.

(b) The achievement of high level competition, as mentioned in Rule 8 (a), shall be given priority.

(c) Individual event will prevail over team event.

(d) The achievement received in the current year shall be given priority.

(e) If the tie persists even after following the above procedures, the person who is elder on the basis of his/her age shall be given priority.

(viii) In team events, if all the team members having requisite qualifications submit their applications for appointment, the process of selection would be followed as per conditions laid out under Rule 7 (vi) above.

(ix) The provisional merit list prepared by the Bihar State Sports Authority, shall be placed before the selection committee of the GAD. Once approved by the selection committee, the provisional merit list will be published. The Bihar State Sports Authority will be the nodal agency for verification of all sports certificates submitted by the qualified applicants. The final merit list will be published by the GAD after the submission of the verification reports by the Bihar State Sports Authority (BSSA).

(a) Any claim/objection shall be submitted to the BSSA within a fortnight from the date of publication of the provisional merit list.

(b) The claim/objections received would be examined by the BSSA and it shall be placed before the selection committee. The selection committee on the basis of report will redress the claim/objections and will publish final merit list of five candidates for each category and post. The final merit list will be published on the website of GAD/BSSA.

The GAD will sent the final merit list to the appointing authority for necessary appointment process. The final merit list will be valid only for one year from the date of its publication.

If any Sportsperson does not submit his joining report, the said vacancy would be carried forward for next appointment process. No waiting list would be published.

8. Seniority of the Sportspersons.—

(a) The seniority of the sportspersons would be fixed in the following manner :-

(1) The winner of Gold medal of Olympic games.
(2) The winner of silver medal of Olympic games.
(3) The winner of bronze medal of Olympic games.
(4) Participation of Olympic games.
(5) Winner of gold medal of Asian games.
(6) Winner of gold medal of commonwealth games.
(7) Winner of silver medal of Asian games.
(8) Winner of silver medal of commonwealth games.
(9) Winner of bronze medal of Asian games.
(10) Winner of bronze medal of commonwealth games.
(11) Participation in Asian games.
(12) Participation in commonwealth games.
(13) Winner of gold medal of senior national games.
(14) Winner of silver medal of senior national games.
(15) Winner of bronze medal of senior national games.
(16) Winner of gold medal of senior national championship.
(17) Winner of silver medal of senior national championship.
(18) Winner of bronze medal of senior nationalchampionship.
(19) Winner of gold medal of junior national championship.
(20) Winner of silver medal of junior national championship.
(21) Winner of bronze medal of junior nationalchampionship.

(b) In a calendar year, the persons appointed by direct recruitment or promotion in a service/cadre shall rank senior to outstanding sportsperson but persons appointed on compassionate ground shall rank junior to outstanding sportsperson.

9. ***Age limit.***— The minimum age for appointment of outstanding sportsperson would be 18 years. There will be no upper age limit.

10. Service conditions.—

(i) In the pursuance of provisions of this rules, the Bihar Government Servant (Classification, Control and Appeal) Rules, 2005 as (amended time to time) would be applicable to the appointed outstanding Sportspersons and Bihar Sportspersons Government servants (Service conditions) Rules, 2015 would also be applicable.

(ii) The appointment under the sports quota would be done on the condition that so appointed Sportsperson shall take part actively in all sports competitions for five years from the date of their appointment.

For this purpose, it is mandatory to sign a Bond to this effect. If they fail to fulfil the conditions of the Bond, their services will not be confirmed.

11. ***Regulations.***— To overcome any difficulty in implementing these rules or to further explain the provisions regarding selection, trial, qualifications and other issues, regulations may be notified.

12. ***Miscellaneous.***—Not withstanding anything contained in these rules contrary to any other Rules, provisions of these Rules shall have overriding effect.

13. ***Removal of difficulties.***—The Government may from time to time issue such general or special directions as may be necessary to remove difficulties in the operation of any of the provisions of these Rules and shall amend/modify to in force Rules.

14. ***Repeal and savings.***—Letter No. 3792 dated 14.03.1973, Resolution No. 1086 dated 20.01.1979 and Bihar Outstanding Sportsperson Appointment Rules, 2009 (amended till the year 2012) and also all the directions, Bihar Outstanding Sportsperson Appointment Rules, 2014, Bihar Outstanding Sportsperson Appointment Rules (amendment) Rules, 2020 and Bihar Police Sports Policy, 2013 notified by the Home Department, Bihar, Patna for appointment of outstanding Sportspersons shall be deemed to be repealed.

Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said circular/resolution/rules/instructions prior to coming into force of these rules, shall have no adverse effect.

By order of the Governor of Bihar,
Dr. B. Rajender,
Principal Secretary to Government.

Application form

(Single/Team competition)

Application No.-……………..

(For office use only)

Self Attested Photo

1. Name :……………………………………………………………………...
2. Date of Birth (enclose birth certificate or certificate passing out 10th class) ……………………………………………………………………
3. Correspondence Address :…………………………………………………
4. Mail Address :……………………………………………………………………..
5. Aadhar No…………………………….. Mobile No. ……………………………
6. Are you Permanent resident of Bihar ? Yes/No (If yes, then enclose certificate)
7. Have you played International sports representing India/National level games representing any of the State?-Yes/No (If yes then enclose certificate)
8. Academic qualification (enclose certificate) ………………………………………
9. Type of disability and percentage (Para, Blindness/Deaf)
   For special Olympic game enclose certificate …………………………………….
10. Name of Sports discipline …………………………………………………………
11. Highest achievement in sports (enclose certificate) :
    (i) Name of competition of sports……………………………………………..
    (ii) The Authority convened ……………………………………………………
    (iii) Month and year ……………………………………………………………..
    (iv) The place of competition of sports …………………………………………..
    (v) The level of sports competition ………………………………………………..
    (vi) The Medal won ………………………………………………..
12. If you are sportspersons of Government of India/ any organization/ enterprises of public sector/working Sportsperson of other states. Then enclose no objection certificate or it would be mandatory toproduce it at the time of joining.

Note:- All the Documents should be self attested.

Declaration by Sportspersons

1. I have read the Rules 2023 meant for appointment of outstanding Sportspersons of Bihar and I declare that I am eligible under these rules to consider my application for appointment.
2. I have enclosed all the attested copy of documents in support of my application.
3. I have represented in the International/National level Sports representing any of the State ……………………
4. I am not defaulter for misconduct as such doping, age fraud, sexual harassment, foul play in competition or any other moral turpitude issues.
5. In case of appointment, prior joining the service I shall give it in writing that I shall not enter into any contract with commercial enterprises/private sectors/business entities for any sponsorship and finical assistance.
6. It is certified that all the details/documents submitted by me herein above are true and just and I have not hidden any facts. In future, if it is found that facts submitted by me are wrong and have been concealed, my service shall be terminated without any intimation.

Date …………………….. (Name of Sportsperson)

Place …………………..

Only for Office Use

The recommendation of Director General of Bihar State SportsAuthority

It is certified that the self attested copy of documents produced by the applicant have been verified with original and found correct.

Name …………………………….. Aadhar No. ……………………….

Sl. No. of application .... recommended for Government Service.

The list of documents verified :-

1. The certificate of merit/participation
2. Disability certificates (Para, blindness, deaf (for special Olympic sports)
3. Validity and level of the championship/tournament

Date ....

Director General,
Bihar State Sports Authority.

Dr. B. Rajender,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 203-571+300-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–15, दिनांक– 29 जून, 2006

संख्या–9/सं0सं0–20–102/99का०–6216– भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सचिवालय लिपिकों की भर्त्ती एवं सेवाशर्त्तो के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ**।– (i) यह नियमावली **"बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा नियमावली, 2006"** कही जा सकेगी।
(ii) यह तुरत प्रवृत होगो।

2. **परिभाषाएँ**।– इस नियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हा–
(क) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;
(ख) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा;
(ग) "कोटि" से अभिप्रेत है नियम–3 में विनिर्दिष्ट कोटि;
(घ) "सीधी भर्त्ती से नियुक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्त व्यक्ति;
(ङ) "संलग्न कार्यालय" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे कार्यालय;
(च) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित विभागों के आयुक्त एवं सचिव/सचिव;
(छ) "परिवीक्षाधीन" से अभिप्रेत है निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में परिवीक्षाधीन रूप से नियुक्त व्यक्ति;
(ज) "सामान्य वरीयता सूची" से अभिप्रेत है नियत तिथि की स्थिति तथा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी जानेवाली विनियमावली के अनुसार समय–समय पर पुनरीक्षित, सेवा के कर्मचारियों की वरीयता सूची, जिसका संधारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग करेगा;
(झ) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग।

3. **सेवा का गठन**।– इस सेवा में दो कोटियाँ होंगी, यथा;
(क) उच्चवर्गीय लिपिक, एवं
(ख) निम्नवर्गीय लिपिक।

4. **संवर्ग**।– इस सेवा का संवर्ग विभागवार होगा।

5. **सेवा का अधिकृत बल**।– सेवा के अधिकृत बल का आवश्यकतानुसार समय–समय पर पुनर्निर्धारण संबंधित विभाग से परामर्श कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा;

परन्तु यह कि प्रत्येक विभाग में नियत तिथि को टंककों/विपत्रलिपिकों/दिनचर्यालिपिकों के स्वीकृत पद बल का 50 प्रतिशत निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि का और 50 प्रतिशत उच्चवर्गीय लिपिक कोटि का समझा जायेगा। अतिरिक्त विषम संख्यावाले पद निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में समझे जायेंगे। लेकिन उच्चवर्गीय लिपिक का कार्यरत बल यदि किसी विभाग में 50 प्रतिशत से अधिक हो तो कायरत उच्चवर्गीय लिपिक की सेवानिवृत्ति या प्रोन्नति होने तक ऐसा पद उच्चवर्गीय लिपिक का समझा जायेगा। उच्चवर्गीय लिपिक का पद बल जब तक 50 प्रतिशत से कम नहीं हो जाता है तब तक उच्चवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति नहीं दी जायेगी।

6. **आरक्षण**।— सेवा में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

7. **निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में भर्त्ती**।— (1) निम्नवर्गीय लिपिकों में भर्त्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अर्हता तथा भर्त्ता की प्रक्रिया विनियमावली के उपबंधों के अनुसार होगी।

(2) प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष की रिक्तियों के लिए अधियाचना आयोग को पूर्ववर्ती कैलेन्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेज दी जायेगी। आयु की अर्हता 01 जनवरी के अनुसार होगी।

[1](3) निम्नवर्गीय लिपिक के प्राधिकृत बल का 10 प्रतिशत पद बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 में विहित प्रक्रिया के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा। ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, के आश्रितों पर, सीधी भर्त्ती कोटा के शेष 75 प्रतिशत पद के विरुद्ध अपेक्षित मानदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारण किया जा सकेगा, जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी।

परन्तु सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति के उपरान्त, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की शेष रिक्तियों के लिये अधियाचना आयोग को [2]उस कैलेण्डर वर्ष के दिसम्बर माह तक भेजी जायेगी।"

(4) नियत तिथि को विभिन्न विभागों एवं संलग्न कार्यालयों में निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत और अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस कोटि में स्वतः समाहित समझे जायेंगे;

परन्तु यह कि वैसे निम्नवर्गीय लिपिक जो इस सेवा में स्वतः शामिल समझे गये हैं और जिनकी उम्र नियत तिथि को 50 वर्षों से कम हो, को नियत तिथि से दो वर्षों के अन्दर टंकण एवं कम्प्यूटर में, यथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, योग्यता हासिल कर लेनी होगी। उक्त अवधि के अन्दर ऐसी योग्यता हासिल नहीं करने पर आगे उन्हें कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।

---

[1] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–12428 दिनांक–12.09.2016 द्वारा संशोधित।

[2] सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प ज्ञापांक–7095 दिनांक–15.07.2021 सहपठित ज्ञापांक–10527 दिनांक–14.09.2021 द्वारा संशोधित।

[3](5) "प्राधिकृत बल का शेष पन्द्रह प्रतिशत (15%) पद सचिवालय के विभागों एवं संलग्न कार्यालयों की नियमित स्थापना में कार्यरत समूह 'घ' के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर्मियों से, वरीयता के आधार पर, प्रोन्नति द्वारा संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा भरे जायेंगे;

परन्तु इस प्रकार से प्रोन्नत निम्नवर्गीय लिपिकों को प्रोन्नति एवं प्रथम वेतन वृद्धि के उपरांत अगली वेतन वृद्धि तबतक देय नहीं होगी जबतक की उनके द्वारा कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा एवं हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लिया जाय। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर उनकी सेवा सम्पुष्ट की जा सकेगी।

(यह संशोधन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–5046 दिनांक–11.04.2014 के प्रवृत्त होने की तिथि अर्थात् दिनांक–11.04.2014 से प्रवृत्त होगा।)

(6) संबंधित विभागों द्वारा रिक्तियों की सूचना दिये जाने के आधार पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजी जायेगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर प्रत्येक संवर्ग को उम्मीदवारों का आबंटन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मेधा–सह–विकल्प के आधार पर किया जायेगा। मेधा–सह–विकल्प के आधार पर आबंटन की प्रक्रिया विनियमावली द्वारा बनायी जायेगी।

[4](7) उप नियम (3) में संदर्भित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अर्हता, नियम, पाठयक्रम आदि वही होंगे जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभागीय राज्य सरकार द्वारा विनियमावली के माध्यम से विनिश्चित की जाय।

8. **परिवीक्षा अवधि।**– निम्नवर्गीय लिपिक कोटि, मे कोई भी नियुक्ति, चाहे वह सीधी भर्त्ती द्वारा हो या सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा अनुकम्पा के आधार पर, प्रारम्भ में परिवीक्षा पर होगी। परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी, जो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा बढ़ाई जा सकेगी;

परन्तु नियत तिथि के पूर्व से निम्नवर्गीय लिपिक के रूप मे नियुक्त कर्मियों को नियत तिथि के प्रभाव से परिवीक्षा पर नियुक्त माना जायेगा;

परन्तु यह और कि परिवीक्षा के विस्तार की कुल अवधि तीन वर्षों से अधिक की नहीं होगी। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं होने पर सेवामुक्त किया जा सकेगा।

9. **प्रशिक्षण**– परिवीक्षा अवधि में निम्नवर्गीय लिपिक को ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा, जो विनियमावली द्वारा विहित की जायेगी।

10. **सम्पुष्टि।**– (1) निम्नवर्गीय लिपिक कोटि मे परिवीक्षा पर नियुक्त कोई व्यक्ति, संतोषप्रद परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने पर और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने तथा टंकण

---

[3] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–3295 दिनांक–20.03.2017 द्वारा संशोधित।

[4] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–7443 दिनांक–30.06.2011 द्वारा संशोधित।

एवं कम्प्यूटर योग्यता की जाँच में उत्तोर्ण होने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सम्पुष्ट किया जाा सकेगा।

(2) उप नियम–(1) में उल्लेखित जाँच का संचालन राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा। उप नियम–(1) एवं नियम–7 के उप नियम–(4) के परन्तुक तथा नियम–12 के उप–नियम–(3) के परन्तुक के अधीन टंकण एवं कम्प्यूटर में योग्यता जाँच के लिए प्रक्रिया आदि का निर्धारण राजस्व पर्षद के परामर्श से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा विनियमावली के तहत किया जायेगा।

(3) निम्नवर्गीय लिपिक की कोटि में नियुक्त कर्मियों को टंकण एवं कम्प्यूटर योग्यता की जाँच में उत्तीर्ण हुए बिना वेतनवद्धि नहीं मिलेगी।

11. निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में वरीयता का अवधारण।– (1) विभागवार अलग–अलग वरीयता सूची होगी।

(2) नियम–7 के उप–नियम–(3) के अधीन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित योग्यता सूची के अनुसार होगी।

(3) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता उनकी नियुक्ति की तिथि के अनुसार होगी।

[5](4) किसी वर्ष में नियम–7(3) के अधीन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त सभी कर्मी उस वर्ष में अनुकम्पा के आधार पर सामूहिक रूप से नियुक्त सभी कर्मियों से वरीय होंगे।

[4](5) नियम–7(5) के अधीन प्रोन्नति द्वारा नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता वही होगी जो पूर्व सेवा में थी।

[4](6) किसी भरती वर्ष में नियम–7(5) के अधीन नियुक्त सभी कर्मी उसी भरती वर्ष में नियम–7(3) के अधीन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे।

12. उच्चवर्गीय लिपिक की कोटि में प्रोन्नति।– (1) इस कोटि के अधिकृत बल को निम्नवर्गीय लिपिक कोटि के उन लिपिकों में से वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर भरा जायेगा जो सम्पुष्ट हों तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित एवं समय–समय पर यथापुनरीक्षित कालावधि पूरा करते हों।

(2) उच्चवर्गीय लिपिक कोटि में प्रोन्नति संबंधित विभागों द्वारा इस प्रयोजनार्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जा सकेगी।

(3) विभागों एवं संलग्न कार्यालयों में, नियत तिथि को कार्यरत सभी टंकक दिनचर्यालिपिक एवं विपत्र लिपिक इस सेवा के उच्चवर्गीय लिपिकों की कोटि के स्वतः सदस्य हो जायेंगे;

परन्तु यह कि वैसे टंकक दिनचर्या लिपिक, विपत्र लिपिक, जो उच्चवर्गीय लिपिक की कोटि में स्वतः आमेलित किये गये हैं और जिनकी उम्र नियत तिथि को 50 वर्ष से कम

---

[5] सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–7443 दिनांक–30.06.2011 द्वारा संशोधित।

हो, को नियत तिथि से दो वर्षों के अन्दर टंकण एवं कम्प्यूटर में योग्यता हासिल कर लेनी होगी। उक्त अवधि के अन्दर ऐसी योग्यता हासिल नहीं करने पर आगे उन्हें कोई वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।"

13. **सामान्य वरीयता सूची** ।– इस सेवा की सामान्य वरीयता सूची विनियमावली में निर्धारित सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा तैयार एवं संधारित की जायेगी।

14. **निर्वचन** ।– जहाँ इस नियमावली के प्रावधान के किसी के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ वह विषय कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को निर्देशित किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

15. **विनियम बनाने की शक्ति**।– इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार कामिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग विनियमावली बना सकेगा।

16. **प्रकीर्ण**।– किसी अन्य नियमावली में सचिवालय निम्नवर्गीय लिपिक एवं उच्चवर्गीय लिपिक के संदर्भ में इस नियमावली के प्रतिकूल किसी बात के होने पर इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–9/सं0सं0–20–102/99– 6216 / पटना–15, दिनांक– 29 जून, 2006

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–9/सं0सं0–20–102/99– 6216 / पटना–15, दिनांक– 29 जून, 2006

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।